VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

नीतिशास्त्र

A SUPPLEMENTARY DOCUMENT TO MAINS 365, 2023

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

नीतिशास्त्र (Ethics)

विषय सूची

1. प्रमुख नैतिक मूल्य और उनका इस्तेमाल (Key Ethical Values and their Application) 5

1.1. ईमानदारी (Honesty) 5

1.2. सत्यनिष्ठा (Integrity) 6

1.3. प्रोबिटी/ शुचिता (Probity) 7

1.4. जवाबदेही (Accountability) 7

1.5. न्याय (Justice) 8

1.6. समानुभूति (Empathy) 9

1.7. निःस्वार्थता (Selflessness) 10

1.8. लोक सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service) 11

1.9. नेतृत्व (Leadership) 12

2. सरकारी और निजी संस्थानों से संबद्ध नैतिक चिंताएं और दुविधाएं (Ethical Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions) 13

2.1. भारत में भ्रष्टाचार और सिविल सेवाएं (Corruption and Civil Services in India) 13

2.2. भगवद गीता और प्रशासनिक नैतिकता के लिए सीख (Bhagavad Gita and The Learnings for Administrative Ethics) 14

2.3. पेट्रोनेज नियुक्तियां (Patronage Appointments) 16

2.4. खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर (Manipulation of Sports Competitions) 17

2.5. मीडिया ट्रायल (Media Trial) 19

2.6. सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertisements) 20

3. नैतिकता और सामाजिक मुद्दे (Ethics and Societal Issues) 23

3.1. कार्य संस्कृति का बदलता स्वरूप (Changing Work Culture) 23

3.2. बाल कलाकार और संबंधित नैतिकता (Child Artists and Ethics) 24

3.3. भारत में मद्यपान (Alcoholism in India) 27

3.4. पशु अधिकारों की नैतिकता (Ethics of Animal Rights) 28

4. नैतिकता और प्रौद्योगिकी (Ethics and Technology) 31

4.1. मानवता के बिना विज्ञान (Science Without Humanity) 31

4.2. मेटावर्स के संदर्भ में नैतिकता (Ethics of Metaverse) 32

4.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Artificial Intelligence) 34

4.4. हेल्थकेयर या स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में AI नैतिकता (AI Ethics in Healthcare) 36

5. सोशल मीडिया और नैतिकता (Social Media and Ethics) 38

5.1. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति (या बोलने) की स्वतंत्रता (Freedom of Speech on Social Media) 38

5.2. सोशल मीडिया और सिविल सेवक (Social Media and Civil Servants) 39

5.3. उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता (Ethics of Influencer Endorsements) 41

6. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वित्त-पोषण से जुड़े नैतिक मुद्दे (Ethical Issues In International Relations and Funding) 44

6.1. वैश्विक शासन व्यवस्था की नैतिकता (Ethics of Global Governance) 44

6.2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्संबंधों से जुड़ी नैतिकता (Ethics of International Interactions) 45

6.3. युद्ध की नैतिकता (Ethics of War) 46

6.4. प्रवासन से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Migration) 48

6.5. नैतिकता और जलवायु परिवर्तन (Ethics and Climate Change) 50

7. विविध (Miscellaneous) 52

7.1. संज्ञानात्मक असंगति अथवा मानसिक द्वंद्व (Cognitive Dissonance) 52

7.2. स्टार्ट-अप्स में नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Ethical Corporate Governance in Startups) 53

7.3. फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम की नैतिकता (Ethics of Pharmaceutical Ecosystem) 55

7.4. नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials) 56

परिशिष्ट (Appendix): सिविल सेवाओं के लिए योग्यता संबंधी ढांचा (Competency Framework For Civil Services) 60

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- हमें एक नए डॉक्यूमेंट **"मेन्स 365 नीतिशास्त्र"** जारी करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य **हाल के समय के नैतिक मुद्दों** को रेखांकित करके, एक **मानकीकृत दृष्टिकोण** प्रस्तुत कर तथा **नैतिक मूल्यों** की उपयोगी **परिभाषाएं** और **उदाहरण** प्रदान करके **एथिक्स पेपर की तैयारी में सहायता करना** है।

इस डॉक्यूमेंट को मुख्य रूप से 3 भागों में व्यवस्थित किया गया है:

मूल्य विश्लेषण आधारित भाग:

इस भाग में सिविल सेवा से जुड़े प्रमुख मूल्यों की परिभाषाओं, स्पष्टीकरण, आयामों और उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है।

समसामयिक नैतिक मुद्दों का विश्लेषण

इस भाग में समसामयिक मुद्दों या प्रकरण को प्रमुख हितधारकों और उनके हितों, संबंधित नैतिक मुद्दों एवं उनके लिए संभावित समाधानों में विभाजित करने वाला एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सिविल सेवाओं के लिए योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क पर परिशिष्ट

यह फ्रेमवर्क अभ्यर्थियों को सिविल सेवकों के दृष्टिकोण से समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है।

हम आशा करते हैं कि एथिक्स मेन्स 365 डॉक्यूमेंट आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेगा।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

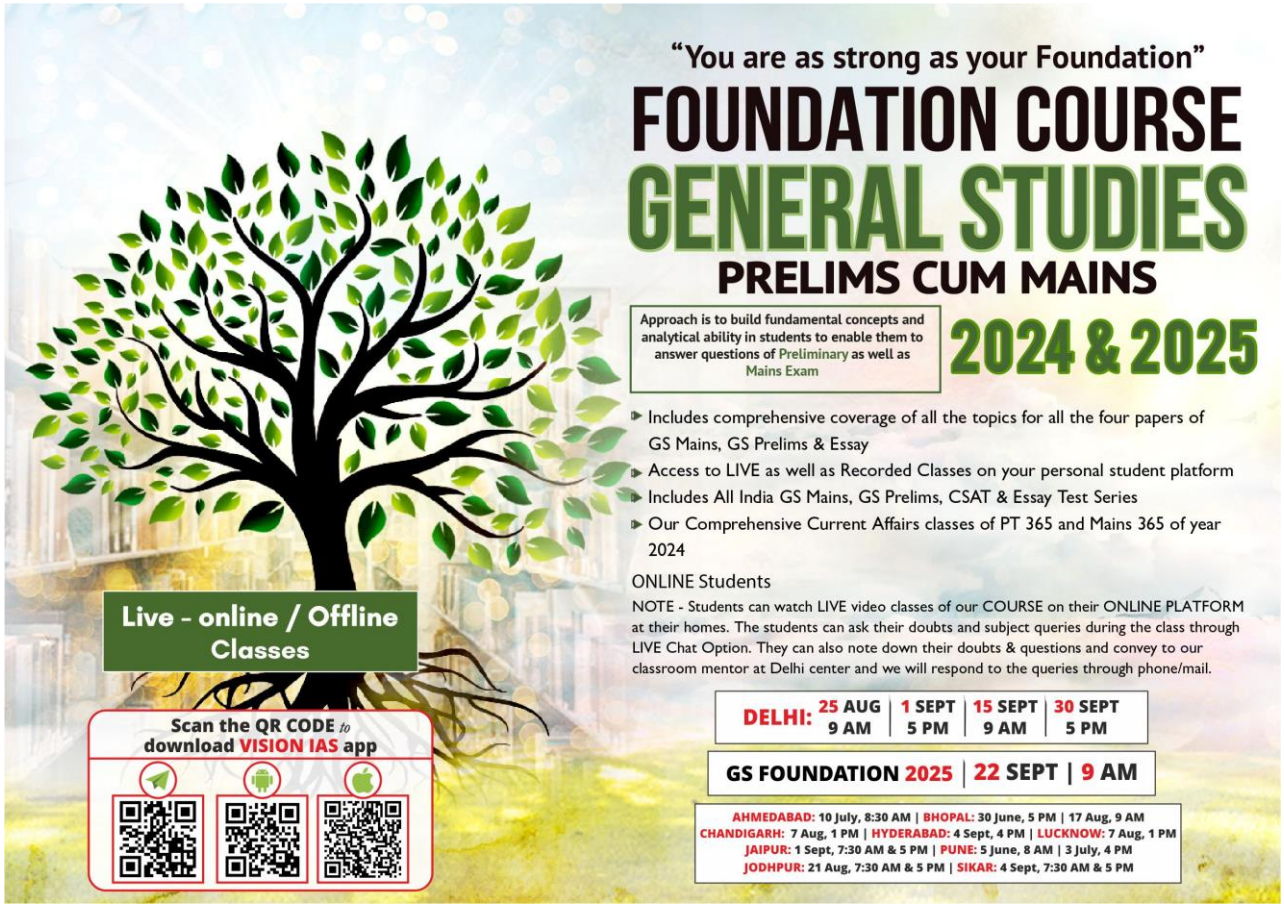
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
2024 & 2025
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 25 AUG 9 AM | 1 SEPT 5 PM | 15 SEPT 9 AM | 30 SEPT 5 PM
GS FOUNDATION 2025 | 22 SEPT | 9 AM
AHMEDABAD: 10 July, 8:30 AM | BHOPAL: 30 June, 5 PM | 17 Aug, 9 AM
CHANDIGARH: 7 Aug, 1 PM | HYDERABAD: 4 Sept, 4 PM | LUCKNOW: 7 Aug, 1 PM
JAIPUR: 1 Sept, 7:30 AM & 5 PM | PUNE: 5 June, 8 AM | 3 July, 4 PM
JODHPUR: 21 Aug, 7:30 AM & 5 PM | SIKAR: 4 Sept, 7:30 AM & 5 PM

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2024 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2024 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)
दिनांक 31 अगस्त
अवधि 5 महीने
हिन्दी/English माध्यम
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं
अत्यधिक अनुभवी और योग्य मेंटर्स की टीम
अधिकतम अंक दिलाने और प्रदर्शन में सुधार पर विशेष बल
'दक्ष' मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
मेंटर के साथ वन–टू–वन सेशन
मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन, निबंध और नीतिशास्त्र विषयों के लिए रिवीजन एवं प्रैक्टिस की बेहतर व्यवस्था
शोध आधारित और विषय के अनुसार रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स
रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव
For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in

1. प्रमुख नैतिक मूल्य और उनका इस्तेमाल (Key Ethical Values and their Application)

1.1. ईमानदारी (Honesty)

ईमानदारी (Honesty)

अर्थः ईमानदारी का अर्थ सत्य बोलने और उसी के अनुसार कार्य करने से है। ईमानदारी **झूठ नहीं बोलने, धोखा नहीं देने, चोरी या धोखाधड़ी नहीं करने से कहीं अधिक** है।

- इसमें **दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करना और आत्म-जागरूकता** शामिल है।
- ईमानदारी **विश्वास की नींव** है और सामाजिक संबंधों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

नैतिकता के परंपरागत (क्लासिकल) फ्रेमवर्क में ईमानदारीः

- **अरस्तू द्वारा प्रतिपादित सद्गुण नीतिशास्त्र या सदाचार युक्त नैतिकता (Virtue ethics)** के अनुसार, ईमानदारी एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति में अन्य सद्गुणों का भी विकास करता है। इसके अनुसार, ईमानदारी से रहित होने के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति अविश्वासी बन सकता है। वहीं दूसरी ओर, बहुत अधिक ईमानदारी के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति लोगों की भावनाओं की कीमत पर अनावश्यक रूप से सत्य बातें सामने रखता है।
- **ईमानदारी का मध्य मार्ग (Midde ground)** वह है जहां अपनी ईमानदारी को इस तरह से ढाला जा सकता है जो मध्यम स्तर पर और रचनात्मक हो। मोटे तौर पर, **परिणामवाद सिद्धांत (Consequentialism theory) हमें व्यक्तिगत स्थितियों और परिणामों के आधार पर थोड़ी अधिक या थोड़ी कम ईमानदारी के साथ व्यवहार करने** की सलाह देता है, अन्यथा सत्य से बड़ा नुकसान पहुंच सकता है।
- दूसरी ओर, इमैनुएल कांट द्वारा प्रतिपादित कर्तव्यशास्त्र **(Deontology)** के अनुसार, ईमानदारी वस्तुतः निरपेक्ष नैतिक दायित्व है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। कर्तव्यशास्त्र में इसका खंडन किया गया है कि किसी भी कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणामों पर निर्भर करता है।

जीवन में ईमानदारी का उदाहरणःमदन मोहन मालवीय

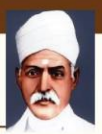

- मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज (पहले इलाहाबाद) में हुआ था। वे एक **स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद्** थे। वे महामना के नाम से भी प्रसिद्ध थे।
- उन्होंने **1906 में हिंदू महासभा और 1916** में **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय** की स्थापना की।
- **उनके जीवन से ईमानदारी के उदाहरणः**
  - **सत्यमेव जयते** शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है, जिसका अर्थ है- **सत्य की हमेशा जीत होती है**। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
  - **राजा रामपाल सिंह** के कहने पर जब मालवीय जी ने **"हिंदुस्तान" के संपादक का पद** संभाला तो उन्होंने राजा रामपाल से यह वादा लिया था कि **यदि वे कभी भी नशे की हालत में मालवीय जी के कार्यालय में पहुंचे तो वे नौकरी छोड़ देंगे।** वह अपनी बात पर अडिग रहे और **एक शाम जब राजा रामपाल शराब के नशे में उनके कार्यालय में आए तो उन्होंने तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया।**

1.2. सत्यनिष्ठा (Integrity)

सत्यनिष्ठा (Integrity)

अर्थ: सत्यनिष्ठा एक अपरिहार्य नैतिक सद्गुण है जिसमें **ईमानदारी, निष्पक्षता** और **शालीनता के साथ व्यवहार करना** शामिल है।

आदर्श रूप में सत्यनिष्ठा की व्याख्या:

- सत्यनिष्ठ व्यवहार का अर्थ है कि **अपने सिद्धांतों को समझना, स्वीकार करना और उनके अनुसार जीवन जीने का विकल्प चुनना।**
- लेखक **सी. एस. लेविस** के अनुसार, जब कोई नहीं भी देख रहा हो तब भी न्यायोचित रूप से कार्य करना ही **सत्यनिष्ठा** है।
- सत्यनिष्ठा **नैतिकता और नैतिक व्यवहार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी** है।

जीवन में सत्यनिष्ठा का उदाहरण: शहीद हेमू कालाणी

- वह **सिंध के भगत सिंह** के नाम से प्रसिद्ध थे। वह एक **क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी** थे।
- वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे और अपने विश्वासों पर अडिग थे। वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

- **सत्यनिष्ठा दर्शाने वाली घटना:** अक्टूबर 1942 में जब उन्हें पता चला कि राजनीतिक आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी तथा हथियारों से भरी एक ट्रेन रोहड़ी से होकर गुजरेगी तो उन्होंने अपने साथियों के साथ उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई। पुलिस के आने के बाद उन्होंने अपने सभी साथियों को भगा दिया, किंतु खुद पकड़े गए। इसके बाद हेमू को अपने सहयोगियों और उनके संगठन (स्वराज सेना) की पहचान उजागर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा थर्ड–डिग्री यातना दी गई थी। फिर भी, उन्होंने विरोध जारी रखा और बहादुरी से कष्ट सहा।

1.3. प्रोबिटी/ शुचिता (Probity)

प्रोबिटी/ शुचिता (Probity)

अर्थः शुचिता का आशय मजबूत नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, शालीनता, चरित्र या व्यवहार में ईमानदारी से है।

- शुचिता केवल भ्रष्ट या बेईमान आचरण से बचने की बजाय उच्चतम **सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करने से संबंधित व्यवहार** है।

शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) में शुचिता न केवल एक अनिवार्य घटक है, बल्कि **एक कुशल और प्रभावी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी यह आवश्यक है।**

- सार्वजनिक जीवन में शुचिता की कमी भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट होती है जिसके परिणामस्वरूप अमीरों और गरीबों के बीच अंतराल बढ़ता है।

जीवन में शुचिता का उदाहरणः सुब्रह्मण्यम भारती

- **महाकवि भरतियार के नाम से प्रसिद्ध,** सुब्रह्मण्यम भारती का जन्म मद्रास (वर्तमान तमिलनाडु) प्रांत में हुआ था। वे **एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।**
- अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और **स्वतंत्र भारत के लिए अपना विजन भी प्रस्तुत किया था।**
- **उनके जीवन में शुचिताः** उन्होंने दूसरों को जो भी उपदेश दिया उसका स्वयं भी पालन किया।
  - ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल में अपना समय **स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और देश के कल्याण पर कविताएं लिख कर** बिताया।
  - वह **जाति व्यवस्था के खिलाफ थे** और **जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं** करते थे।
  - वह **महिलाओं के अधिकारों व लैंगिक समानता के भी समर्थक** थे। उन्होंने **बाल विवाह** व **दहेज प्रथा का विरोध** किया और **विधवा पुनर्विवाह का समर्थन** किया।

1.4. जवाबदेही (Accountability)

जवाबदेही (Accountability)

अर्थः जवाबदेही का आशय किसी संस्था/ तंत्र, उसके कार्य–कलापों और संभावित प्रभावों के लिए उत्तरदायी होने से है।

- अपने **कार्यों, निर्णयों और सेवाओं/ उत्पादों के लिए जिम्मेदारी लेना** ही जवाबदेही है।
- शासन के ढांचे में, जवाबदेही का तात्पर्य **सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों की जिम्मेदारियों को पूरा करने पर उनकी समीक्षा और राजनीतिक शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण तथा संतुलन** से है।

जवाबदेही के विभिन्न प्रकारः

- **लंबवत जवाबदेही (Vertical accountability):** इसका आशय प्रिंसिपल–एजेंट संबंध से है, उदाहरण के लिए– चुनाव, जहां मतदाता (प्रिंसिपल) सरकारों (एजेंटों) को जवाबदेह ठहराते हैं।
- **क्षैतिज जवाबदेही (Horizontal accountability):** यह जवाबदेही संस्थानों के एक नेटवर्क की सहायता से तय की जाती है, जिसमें शासन की विभिन्न शाखाओं (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) तथा स्वतंत्र संस्थानों के बीच पारंपरिक तरीके से एक–दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।
- **सामाजिक जवाबदेही (Social accountability):** जब सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों की कई नागरिक समाज संगठनों, स्वतंत्र मीडिया आदि द्वारा समीक्षा की जाती है तो उसे सामाजिक जवाबदेही कहा जाता है।

जीवन में जवाबदेही का उदाहरणः मोरारजी देसाई

- मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1977–79 के दौरान भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- **उनके जीवन से जवाबदेही के उदाहरणः**
  - मोरारजी देसाई अलग–अलग मुद्दों पर **चर्चा एवं वाद–विवाद की जीवंतता के साथ–साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात् मीडिया की स्वतंत्रता में विश्वास** करते थे। वे नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जहां पत्रकारों को सवाल पूछने की पूरी आजादी दी जाती थी।

1.5. न्याय (Justice)

न्याय (Justice)

अर्थः न्याय को अक्सर **"निष्पक्षता (Fairness)"** या "समान व्यवहार **(Equal treatment)**" के रूप में परिभाषित किया जाता है।
हालांकि, अलग-अलग समूहों के लिए इसके अलग-अलग मायने होते हैं।

परंपरागत रूप से, **न्याय को चार प्रमुख सद्गुणों (Cardinal virtues)** में से एक माना गया है। **जॉन रॉल्स** ने इसे **"सामाजिक संस्थाओं के प्रथम सद्गुण"** के रूप में वर्णित किया है।

चार प्रमुख सद्गुण	
न्याय (Justice)	विवेक (Prudence)
संयम (Temperance)	साहस (Courage)

न्याय के विभिन्न प्रकारः

- **सामाजिक न्याय (Social justice):** जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना जब प्रत्येक व्यक्ति समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अवसरों का हकदार हो जाता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं।
- **वितरणात्मक न्याय (Distributive justice):** इसका तात्पर्य **समाज में संपत्ति के न्यायसंगत वितरण** से है।
- **प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive justice):** गलत काम करने वालों को **वस्तुनिष्ठ और आनुपातिक रूप से** दंडित करना ही प्रतिशोधात्मक न्याय है।

जीवन में न्याय का उदाहरणः सागरमल गोपा

- सागरमल गोपा ने **प्रजा मंडल का नेतृत्व** किया और **जैसलमेर रियासत के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने** के लिए प्रेरित किया।
- **उनके जीवन में न्याय संबंधी उदाहरणः** सागरमल गोपा ने जैसलमेर रियासत के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक **"जैसलमेर में गुंडाराज"** में इसका उल्लेख भी किया था और वहां के लोगों को न्याय दिलाने पर अडिग रहे थे।

ऑल इंडिया मुख्य टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

for GS 2023: 13 August
सामान्य अध्ययन 2023: 13 अगस्त

for GS 2024: 3 September
सामान्य अध्ययन 2024: 3 सितंबर

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

1.6. समानुभूति (Empathy)

समानुभूति (Empathy)

अर्थ: समानुभूति को आम तौर पर **दूसरों की मनः स्थितियों/ भावनाओं को समझने की क्षमता** के साथ–साथ यह कल्पना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि **कोई और क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है**।

समानुभूति के विभिन्न प्रकार:

- **भावनात्मक समानुभूति (Affective empathy)**: दूसरों की मनः स्थितियों/ भावनाओं को समझ लेने के बाद, हम जिन संवेदनाओं और भावनाओं की अनुभूति करते हैं, उसे ही भावनात्मक समानुभूति कहा जाता है। इसमें अग्रलिखित शामिल हो सकते हैं– जिस व्यक्ति की मनः स्थिति/ भावनाओं को हम समझ चुके हैं, वह क्या महसूस कर रहा है; या किसी दूसरे के डर या चिंता के बारे में जानकर महसूस किया जाने वाला तनाव।
- **संज्ञानात्मक समानुभूति (Cognitive empathy)**: दूसरों की मनः स्थिति को पहचानना और उसे ठीक से समझना संज्ञानात्मक समानुभूति कहलाता है। इसमें दूसरों की मनः स्थिति को महसूस करना शामिल नहीं होता है। इसे कभी–कभी "पर्सपेक्टिव टेकिंग" भी कहा जाता है।

समानुभूति द्वारा मजबूत होने वाले कौशल

वार्ता (Negotiation)	रचनात्मकता (Creativity)	भावनात्मक संबंध (Emotional connection)
सहयोग (Collaboration)	सुरक्षित महसूस करना (Feeling safe)	आवश्यकताओं की पहचान करना (Identifying need)

जीवन में समानुभूति का उदाहरण: सी. एफ. एंड्रयूज

- उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ मित्र थे।
- उन्हें गरीबों और पीड़ितों की बहुत चिंता थी और उन्हें **'दीनबंधु'** कहा जाता था।
- **उनके जीवन से समानुभूति का उदाहरण:**
  - सी. एफ. एंड्रयूज ने **गिरमिटिया मजदूरों की दुर्दशा को समझा और गोपाल कृष्ण गोखले के गिरमिटिया विरोधी अभियान में शामिल हो गए।** उन्होंने **भारतीय श्रमिकों के समर्थन में फिजी, मलाया और केन्या की यात्रा की।**

1.7. निःस्वार्थता (Selflessness)

निःस्वार्थता (Selflessness)

अर्थ: निःस्वार्थता **एक ऐसी अभिवृत्ति** है जो स्वयं और दूसरों की **आवश्यकताओं के बीच संतुलन** स्थापित करती है। इसका आशय यह नहीं है कि **कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से त्याग** दे।

शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) में निःस्वार्थता के विचार का आशय है कि सार्वजनिक भूमिकाओं का निर्वहन करने वाले व्यक्ति **पूरी तरह से लोक हित में कार्य करते** हैं। इसका मतलब है कि ऐसे **व्यक्तियों द्वारा उनकी खुद की निजी आवश्यकताओं की बजाय जनता की आवश्यकताओं पर अधिक प्राथमिकता** से ध्यान दिया जाता है।

- निःस्वार्थता का सिद्धांत **सार्वजनिक क्षेत्रक के सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता को मिलने वाले लाभ के बीच संभावित संघर्ष का समाधान करता है।**
- निःस्वार्थता के मूल्य का प्रदर्शन केवल महामारी जैसी चरम स्थितियों में ही नहीं किया जाता है, बल्कि **निःस्वार्थता सार्वजनिक क्षेत्रक के एक सक्रिय कर्मी के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।**

निःस्वार्थ व्यक्तित्व के लक्षण

करुणा (Compassion)	दयालुता (Kindness)
सम्मान (Respect)	समानुभूति (Empathy)

जीवन में निःस्वार्थता का उदाहरण: जयप्रकाश नारायण

- वह एक **भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिज्ञ** थे।
- वह 1934 में **कांग्रेस पार्टी के भीतर गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी** छोड़ दी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।

- **उनके जीवन से निःस्वार्थता का उदाहरण:** स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के दौरान उनकी **प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।** हालांकि, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनके दल का कांग्रेस में विलय करने का सुझाव दिया था।
  - इस विलय के लिए **जयप्रकाश नारायण ने कुछ कठोर** शर्तें रखीं। इन शर्तों में उन्हें **या उनके सहयोगियों के लिए पद की मांग नहीं बल्कि रियासतों के राजाओं को मिलने वाली पेंशन और जमींदारी प्रथा की समाप्ति, भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण, लोक सेवकों के वेतन का विनियमन आदि मुद्दे** शामिल थे। उनकी शर्तों को नहीं माना गया, जिसके चलते संभावित विलय भी टल गया।

1.8. लोक सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service)

लोक सेवा के प्रति समर्पण

अर्थः किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए अपना **समय और पूरी ताकत झोंक देना ही समर्पण** कहलाता है। लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है **"लोक हित को व्यक्तिगत हित से पहले प्राथमिकता देना।"**

लोक सेवक सरकार और नागरिकों के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए **सेवा की उच्च भावना** (समाज या देश के लिए योगदान की भावना) **और त्याग की आवश्यकता** होती है।

- कांट के अनुसार, **कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर किए गए किसी कार्य का नैतिक मूल्य** उस कार्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या इच्छित परिणाम में नहीं बल्कि उस नैतिक सिद्धांत में निहित होता है जिसके अनुसार कार्य पर निर्णय लिया जाता है। यह नैतिक सिद्धांत या सामान्य सत्य वस्तुतः अपने कर्तव्य के निर्वहन का सिद्धांत ही है, चाहे वह कर्तव्य कुछ भी हो अर्थात् व्यक्ति को निष्पक्ष रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए।

जीवन में लोक सेवा के प्रति समर्पण का उदाहरणः डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

- वह एक एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के **11वें राष्ट्रपति के रूप** में कार्य किया।
- **उनके जीवन से समर्पण के उदाहरणः** डॉ. कलाम को **मिसाइल मैन ऑफ़ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति** के रूप में जाना जाता है।
  - उन्होंने **अपना जीवन अनेक रूपों में देश की सेवा में समर्पित** किया। डॉ. कलाम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य **भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत और परमाणु कार्यक्रम में योगदान** है।
  - राष्ट्रपति के रूप में सेवामुक्ति के बाद, उन्होंने **सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं लिया** बल्कि शिक्षा और लेखन के माध्यम से अपना योगदान जारी रखा।

1.9. नेतृत्व (Leadership)

नेतृत्व (Leadership)

अर्थ: एक व्यक्ति, जो अपने सहयोगियों का किन्हीं विशेष साध्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करता है, नेतृत्वकर्ता (लीडर) कहलाता है। जॉन मैक्सवेल के अनुसार, **"नेतृत्वकर्ता वह है जो अपने मार्ग के बारे में जानता है, उस मार्ग पर चलता है और अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन करता है।"**

- **नेतृत्व की भावना** किसी अधिकार या शक्ति के बजाय **सामाजिक प्रभाव से उत्पन्न** होती है और इसमें **इच्छित परिणाम के साथ-साथ एक लक्ष्य** भी शामिल होता है।

नेतृत्व सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है।

- एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता **निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी** सुनिश्चित करता है तथा **विधि के शासन को समान रूप से लागू** करता है। इसके अलावा, वह **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बनाए रखता** है और उन **लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है जिनकी वह सेवा** करता है।

नेतृत्व की प्रभावशीलता को दर्शाने वाला व्यवहार

सहायक होना	ठोस परिणाम के लिए कार्य करना	अलग-अलग दृष्टिकोणों की खोज
परिवर्तन को अपनाने की क्षमता	भावनात्मक बुद्धिमत्ता	प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान करना	सक्रिय संचार

जीवन में नेतृत्व का उदाहरण: डॉ. वर्गीस कुरियन

- डॉ. वर्गीस कुरियन का जन्म केरल में हुआ था। वह एक **इंजीनियर और उद्यमी** थे। उन्हें भारत में **श्वेत क्रांति का जनक** माना जाता है।
- वह **अमूल के अध्यक्ष और संस्थापक** दोनों थे। डॉ. कुरियन ने **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अध्यक्ष** के रूप में भी कार्य किया।
- **डॉ. कुरियन का नेतृत्व कौशल:** उन्होंने एक **सफल सहकारी संगठन "अमूल" की स्थापना** की। इस सहकारी संगठन का **स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास** नहीं होकर सभी उत्पादक सदस्यों के पास है और वे प्रत्येक स्तर पर हितधारक तथा निर्णयकर्ता होते हैं।
  - 1960 के दशक के अंत में, डॉ. कुरियन ने **ऑपरेशन फ्लड** नामक एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसने **भारत के दूध उत्पादन को मूल्य के संदर्भ में 55,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाने में मदद** की। इसके अलावा, ऑपरेशन फ्लड **भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनकर** उभरा।

2. सरकारी और निजी संस्थानों से संबद्ध नैतिक चिंताएं और दुविधाएं (Ethical Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions)

2.1. भारत में भ्रष्टाचार और सिविल सेवाएं (Corruption and Civil Services in India)

परिचय

"भारतीय खाद्य निगम (FCI) भ्रष्टाचार मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 19 और स्थानों पर छापेमारी की", "CBI ने 50 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया".... भ्रष्टाचार के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां लोक सेवकों की संलिप्तता पाई गई है।

इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार के मामले में अवैध उपहार (Illegal Gratification) लेने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य हो या न हो।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां जवाबदेही के बिना एकाधिपत्य और विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।

एकाधिपत्य + विवेकाधिकार - जवाबदेही = भ्रष्टाचार

(Monopoly + Discretion - Accountability = Corruption)

कई सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण क्या हैं?

- **कम वेतन** तथा उच्चतम एवं निम्नतम ग्रेड के वेतन के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त है।
- **दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता:** व्यवसायियों, राजनेताओं और नागरिकों के बीच लगभग सभी स्तरों पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता है।
- **अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का कमजोर अनुपालन:** इन नियमों का सीमित विस्तार, कार्यान्वयन संबंधी अभाव और समग्र रूप से समर्पित आचार संहिता की अनुपलब्धता जैसी कमियों के कारण पर्याप्त अनुपालन नहीं किया जाता है।
- **अपारदर्शी विनियमन और विवेकाधिकार शक्ति की अधिकता।**
- **औपनिवेशिक विरासत के रूप में निरंकुश प्राधिकार की उपस्थिति।**
- **सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण।**

प्रमुख हितधारक और उनके हित

राजनेता	सिविल सेवकों पर प्रभाव डालना, पेट्रोनेज नेटवर्क में शामिल होना या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नीतियों, अनुबंधों आदि में हेर-फेर करने हेतु अपनी शक्ति का दुरूपयोग करना।
नागरिक	कई सारे नागरिक प्रायः रिश्वतखोरी में भागीदारी कर या फेवर (अनुग्रह) की मांग और उसे स्वीकार करके भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं। यह आचरण भ्रष्टाचार की संस्कृति को कायम रखता है। इसके चलते नागरिक (विशेषकर हाशिए पर रहने वाला वर्ग) ही भ्रष्टाचार के प्राथमिक पीड़ित होते हैं।
कारोबारी और निजी क्षेत्रक	इनमें से कई सरकारी अनुबंध, लाइसेंस, परमिट या अनुकूल व्यवहार पाने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां	आरोपों की जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाना।
न्यायपालिका	भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाकर न्याय सुनिश्चित करना और विधि के शासन को बनाए रखना।
मीडिया	भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज को बढ़ावा देना, अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना और जनता के सामने भ्रष्टाचार को उजागर करना।

भ्रष्टाचार से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **संसाधनों का दुरुपयोग:** यह सेवाओं के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है।
- **शक्ति का दुरुपयोग:** भ्रष्टाचार से संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होता है तथा इससे सत्यनिष्ठा की भावना का उल्लंघन और प्राधिकारों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों का अवैध गठजोड़:** इससे कानूनों के उल्लंघन, सेवा की खराब गुणवत्ता, अपराधों की जांच में पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप जैसी परिस्थितियों में वृद्धि हो सकती है।
- **राज्य की क्षमता को सीमित करता है:** भ्रष्टाचार राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **विश्वास में कमी:** सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है तथा सरकार और सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **समाज में असमानता को बढ़ाता है:** परिणामतः समाज के विभिन्न स्तरों में आक्रोश, क्रोध और घृणा इत्यादि भावनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **रोल मॉडल मानने की भावना पर नकारात्मक प्रभाव:** कई बार लोग नैतिक मूल्यों की अनदेखी करते हुए भ्रष्टाचार करके काफी तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के कई लोग कड़ी मेहनत, प्रतिभा और नैतिक व्यवहार के माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाले पारंपरिक रोल मॉडल के बजाए ऐसे लोगों को रोल मॉडल मान लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र आरंभ हो सकता है।

संभावित समाधान

- **मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर जोर देना:** सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी सिविल सेवकों के मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है।
- **कानूनी और विनियामकीय सुधार:** यह विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग को सीमित करने और सिविल सेवकों के लिए स्पष्ट जवाबदेही प्रणाली के निर्माण में मदद कर सकता है।
- **संस्थागत सुधार:** CBI, CVC, अदालतों और लोकपाल जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना:** ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-गवर्नेंस जैसी तकनीक का उपयोग सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रबंधन:** सिविल सेवकों के प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाना चाहिए। इससे सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार करने की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाई का डर पैदा होगा।
- **नागरिकों के दायित्व:** नागरिकों को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इसमें उनकी संलिप्तता को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

> जब कोई नहीं भी देख रहा हो तब भी न्यायोचित रूप से कार्य करना ही सत्यनिष्ठा है।
>
> — सी. एस. लुईस

2.2. भगवद गीता और प्रशासनिक नैतिकता के लिए सीख (Bhagavad Gita and The Learnings for Administrative Ethics)

परिचय

हाल ही में, गुजरात सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में (कक्षा 6 से 12 तक) भगवत गीता को शामिल किया जाएगा।

इस धर्मग्रंथ द्वारा प्रतिपादित नैतिक आचरण के सिद्धांत एवं विचार न केवल स्कूली शिक्षा के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक नैतिकता, चिकित्सीय नैतिकता आदि के लिए भी उपयोगी हैं। इसकी व्यापक उपयोगिता को देखते हुए इसे प्रशासनिक नैतिकता में भी शामिल किया जा सकता है, जो व्यवस्था और प्रशासकों को समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

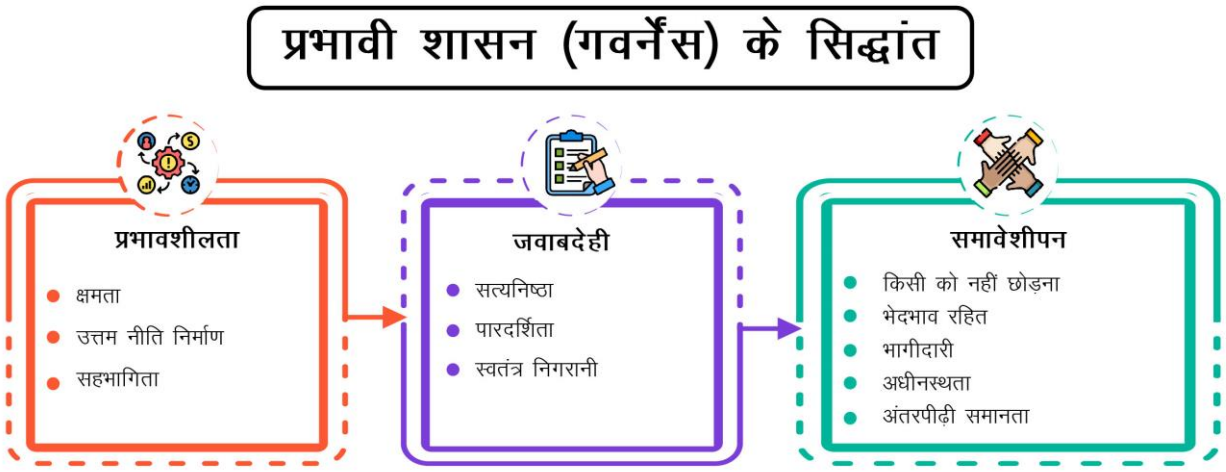

प्रशासन और शासन व्यवस्था से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **भ्रष्टाचार,** अर्थात् प्राधिकार का दुरुपयोग और सार्वजनिक धन की बर्बादी। उदाहरण के लिए, भाई-भतीजावाद और रिश्वतखोरी के कारण भारत अभी भी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI)[1] में 85वें स्थान पर है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और हेगेलियन एप्रोच के अनुसरण के कारण निर्णय लेने में निष्पक्षता का अभाव देखा जाता रहा है। हेगेलियन एप्रोच के अनुसार, प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति खुद को समाज के सार्वभौमिक हित का प्रतिनिधित्व करने वाला समझता है।
  - इससे निष्क्रियता, प्रक्रियाओं की जटिलता, नीरसता आदि को बढ़ावा मिलता है।
- **अप्रभावी नेतृत्व** या ख़राब निगरानी के चलते उच्च अधिकारी अपने सभी अधीनस्थों से संवैधानिक मूल्यों या न्यूनतम आचार संहिता का अनुपालन करवाने में विफल रहते हैं।
- **सुगम्यता और जवाबदेही की कमी** भी इन मुद्दों में शामिल हैं, जैसे कि अधिकारी को लोक सेवक की जगह शासक के दर्जे के रूप में देखा जाता है।
- सूचना के अधिकार जैसे कानूनों के बावजूद **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव** बना हुआ है।

भगवद गीता की शिक्षाएं, प्रशासन एवं शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में कैसे सहायता कर सकती हैं?

भगवद गीता की शिक्षाएं नैतिक व्यवहार या आचरण के संबंध में लोक सेवकों का मार्गदर्शन करके **प्रभावी**, **जवाबदेह और समावेशी शासन** की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे निर्णयन संबंधी मुद्दों से निपटने और नीतिगत कार्यस्थल का निर्माण करने में मदद मिलेगी:

- **कार्यप्रणाली या व्यवहार में सत्यनिष्ठा:** भगवद गीता में सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म पर बल दिया गया है जो इस ग्रंथ का मूल दर्शन है।
  - **निष्काम कर्म** फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना है। यह व्यक्तिगत उत्थान को ध्यान में रखते हुए मोह, अहंकार या निष्क्रियता को दूर कर सत्यनिष्ठा और पवित्रता की ओर ले जाता है। यह स्व-हित और सार्वजनिक लाभ के मध्य उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं को हल करने में भी मदद करता है।
- **निर्णय लेने में निष्पक्षता:** भगवद गीता की शिक्षाएं **लोक संग्रह** को बढ़ावा देती हैं, यानी **सभी को एक साथ/ संगठित बनाए रखने पर जोर** देती हैं।
  - इसकी शिक्षाएं मन की दृढ़ता और **प्रेय पर श्रेय,** अर्थात् आनंद या प्रसन्नता पर अच्छाई या निष्पक्षता को वरीयता देकर **सार्वभौमिक कल्याण (समावेशी और संधारणीय विकास)** की प्रेरणा देती हैं।
- **नेतृत्व विकास:** भगवद गीता **स्वधर्म** अर्थात् **अपने कर्तव्य या धर्म** का पालन करने पर बल देती है।
  - जब नेतृत्व सदाचारी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो अधीनस्थ भी नेतृत्व को मान्यता देते हैं और उसका सम्मान करते हैं और उसके पथ निर्देशन का अनुसरण करते हैं।
- **अभिप्रेरणा:** भगवद गीता मन पर केंद्रित है तथा **सभी में सत्व** और **देवत्व** को बढ़ावा देने के लिए **अवचेतन व चेतन कार्यों** के मध्य अंतर को रेखांकित करती है, ईर्ष्या को दूर करने में मदद करती है और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

[1] Corruption Perception Index

- भगवद गीता प्रशासकों को अलग-अलग गुण विकसित करने में मदद कर सकती है, जैसे-
  - **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** भगवद गीता **स्थितप्रज्ञ** होने अर्थात् समभाव या दृढ़ संकल्प के साथ धीरता प्राप्त करने पर जोर देती है। यह प्रशासकों की अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और लक्ष्यों/ उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ बनने में मदद कर सकती है।
  - **करुणा: सत्व** और **मन की शुद्धि** सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखने में मदद करती है। यह **लोगों की समस्याओं** का समाधान करने की दिशा में आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए **मन की स्पष्टता** तथा **प्रेरणा** के माध्यम से पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने में प्रशासकों की मदद कर सकती है।

> "जब मैंने "भगवद गीता" जैसे अपने प्राचीन ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि यह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए मैंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैं इसको एक प्रशासनिक सिद्धांत मानता हूँ, जो आपको संगठन संचालन जैसे कार्यों में मदद कर सकता है।"
>
> — ई. श्रीधरन

2.3. पेट्रोनेज नियुक्तियां (Patronage Appointments)

परिचय

सिफारिश/ जुगाड़ आधारित नियुक्तियां अथवा पेट्रोनेज नियुक्तियां उन नियुक्तियों को संदर्भित करती हैं जिन्हें किसी प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, लोक सेवक आदि की सिफारिश पर या व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर किया जाता है। इससे न केवल पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल लोगों पर असर पड़ता है, बल्कि इससे भारत के संपूर्ण गवर्नेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पेट्रोनेज नियुक्तियों में निहित प्रेरणा स्रोत

क्विड प्रो क्वो (प्रतिफल): रिश्वत या एहसान या फेवर के बदले में की जाने वाली नियुक्तियां।

भाई–भतीजावाद/ पक्षपात: नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अपने अधिकार/ शक्ति का उपयोग करना।

प्रशासनिक प्रभाव बनाना: किसी सिस्टम/ व्यवस्था में उद्यम करने और प्रभाव बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत विवेकाधिकार के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।

पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल नैतिक मुद्दे

- **व्यक्ति के प्रति वफादारी बनाम मौजूदा सिस्टम के प्रति जवाबदेही:** जब व्यक्तियों की किसी पद पर नियुक्ति सिफारिश/ जुगाड़ के कारण होता है, तो वे सिस्टम के बजाय उस व्यक्ति के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाते हैं जिन्होंने उनकी नियुक्ति में मदद की है।
- **मेरिटोक्रेसी या योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन:** आदर्शतः पदों को व्यक्तियों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए। हालांकि, इस तरह की नियुक्तियों में मेरिटोक्रेसी की उपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पदों पर या अहम भूमिकाओं के निर्वहन में अयोग्य या अक्षम व्यक्तियों के शामिल/ नियुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन:** सिफारिश/ जुगाड़ के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के कारण, योग्य और सक्षम व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही, उनकी इस धारणा को भी बल मिलता है कि उनके प्रयासों और योग्यताओं की उपेक्षा की गई है तथा इस पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
- **लोगों का विश्वास:** यह 'सिस्टम और सत्ता' में बैठे लोगों के न्यायपूर्ण और गैर-पक्षपाती रवैये के प्रति जनता के भरोसे को खत्म कर सकता है। इससे समग्र रूप से गवर्नेंस पर लोगों के विश्वास को क्षति पहुंचती है।
  - इसके अलावा पेट्रोनेज नियुक्तियों से संबद्ध भाई-भतीजावाद/ पक्षपातवाद, सिस्टम में आम जनता के भरोसे को और भी कम करता है।

पेट्रोनेज नियुक्तियों का प्रभाव

- **भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन:** इसका उपयोग एक साधन के रूप में जैसे कि राजनीतिक सहयोगियों को पुरस्कृत करने, समर्थन को बनाए रखने या क्विड प्रो क्वो (प्रतिफल) व्यवस्था में शामिल होने के लिए किया जा सकता है।
- **ख़राब नीतिगत कार्यान्वयन:** सिफारिश/ जुगाड़ के माध्यम से नियुक्त किए गए अक्षम और अनुभवहीन प्राधिकारियों को नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **सक्षम अधिकारियों के मनोबल में गिरावट:** इससे सार्वजनिक सेवा के भीतर प्रेरणा और प्रतिभा की धारणा बाधित होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को अप्रासंगिक और अयोग्य महसूस करता है।
- **वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट:** यह नागरिकों के समक्ष सिस्टम को भ्रष्ट, भाई-भतीजावाद पर आधारित और अपारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- **आर्थिक विकास का बाधित होना:** संवृद्धि और विकास मुख्यतः गवर्नेंस पर निर्भर करते हैं। सिफारिश/ जुगाड़ प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किए गए अक्षम अधिकारी संसाधनों का उचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं।

आगे की राह

- **संस्थानों को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थानों के पास योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यक अधिकार, संसाधन और अधिदेश उपलब्ध हों।
  - इसे **सूचना का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2005** और **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)**[2] जैसे प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **नियुक्तियों के राजनीतिकरण से बचना:** सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की देख-रेख के लिए उत्तरदायी एक स्वतंत्र और गैर-पक्षपातपूर्ण निकाय की स्थापना करके, नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।
- **योग्यता-आधारित भर्ती को बढ़ावा देना:** भर्ती और चयन प्रक्रिया में योग्यता, अनुभव एवं क्षमता के महत्त्व पर जोर देना चाहिए।
- **नीति और आचार संहिता को लागू करना:** नीतिपरक निर्णयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा और सत्यनिष्ठा की अवधारणाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, उदाहरण के लिए- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 आदि।
- **बहु-हितधारक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना:** जवाबदेही को बढ़ाने, नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी और सुधारों के समर्थन हेतु नागरिक समाज संगठनों, पेशेवर संघों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

> "वास्तविक योग्यता या प्रतिभा वाले व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के पराश्रय पर निर्भर रहना हानिकारक होता है। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक होता है जिनके पास कोई उपलब्धि या प्रतिभा नहीं होती है।"
>
> — रदरफोर्ड बी. हेस

2.4. खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर (Manipulation of Sports Competitions)

परिचय

"मैच फिक्सिंग के आरोप में टेनिस कोच मैक्स वेंडर्स पर प्रतिबंध", "इंटरनेशनल बेटिंग इंटीग्रिटी एसोसिएशन (IBIA) ने 2017 से 2020 के बीच विभिन्न खेलों में विश्व स्तर पर 986 अलर्ट जारी किए".... उक्त सुर्ख़ियां खेलों में हेरफेर के बढ़ते मामलों को उजागर करती हैं। खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर मोटे तौर पर दो प्रकार की लालसाओं पर आधारित होते हैं-

- खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डोपिंग के माध्यम से खेल में गलत तरीके से बढ़त हासिल करने से संबंधित, या
- मैच फिक्सिंग के माध्यम से वित्तीय लाभ जैसे **खेल से इतर कोई फायदा प्राप्त** करने से संबंधित।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

एथलीट	वे जानबूझकर खराब प्रदर्शन या धोखाधड़ी करके **खेल के परिणाम में हेरफेर** करने का प्रयास करते हैं। ऐसा खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
प्रशिक्षक/ कोच	वे निर्देश और प्रोत्साहन प्रदान करके मैच फिक्सिंग को अंजाम देने या एथलीटों के प्रदर्शन में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं।

[2] National e-Governance Plan

सट्टेबाजी सिंडिकेट	वे पूर्वनिर्धारित परिणामों पर बड़ा दांव लगाते हैं और उनके वित्तीय हित मैच फिक्सिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।
शासी निकाय	अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों या राष्ट्रीय संघों को संबंधित खेलों की शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है।
मीडिया और प्रसारक	वे आम जन की धारणा और सट्टेबाजी पैटर्न को प्रभावित करते हैं तथा इसकी मदद से वे अप्रत्यक्ष रूप से खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर में लोगों को शामिल करते हैं।
प्रायोजक और विज्ञापनदाता	प्रतियोगिताओं में होने वाले हेरफेर से उनकी वित्तीय सहायता प्रभावित हो सकती है।

खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर से जुड़े नैतिक मुद्दे कौन-से हैं?

- **अनुचित प्रतिस्पर्धा:** खेलों में असमान अवसर को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यह सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर की संभावना को कम कर देता है।
- **विश्वास में कमी:** हेरफेर से खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और खेलों पर दर्शकों का भरोसा कम होता जाता है। इस प्रकार, इससे स्पोर्ट्समैनशिप की भावना प्रभावित होती है।
- **ख़राब रोल मॉडल:** खिलाड़ियों का अनैतिक व्यवहार युवा पीढ़ी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि वे युवाओं के रोल मॉडल होते हैं।
- **सामूहिक प्रतिष्ठा को क्षति:** खेल में होने वाले हेरफेर से व्यक्तियों, संघों और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, उदाहरण के लिए- 2015 में **रशियन एथलेटिक्स फेडरेशन को निलंबित** कर दिया गया था।

संभावित समाधान

- हेरफेर की पहचान करने के लिए **खुफिया सूचना और जांच** महत्वपूर्ण है। यह जानना भी जरूरी है कि ये हेरफेर किस प्रकार (Modus operandi) किए जाते हैं। इससे जुड़ी जानकारी को अन्य देशों/ निकायों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- सम्मानजनक व्यवहार के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए **जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण** की आवश्यकता है। खेलों में हेरफेर से निपटने के लिए **मूलतः खेल को ही माध्यम बनाया** जाना चाहिए।
- **प्रतियोगिताओं में हेरफेर की रोकथाम पर ओलंपिक मूवमेंट संहिता** की तर्ज पर उचित विनियमन और कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी संहिता के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - खेलों में हेराफेरी के खिलाफ एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के माध्यम से **विधायी और संस्थागत अंतराल को समाप्त** करना।
  - खेलों में कुछ विशेष प्रकार के हेरफेर के लिए अनुशासनात्मक और आपराधिक प्रतिबंध लागू करना, तथा
  - सभी प्रमुख हितधारकों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समन्वय एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना।

खेल प्रतियोगिता में हेरफेर से निपटने से संबंधित नैतिक दुविधाएं

- हेरफेर के मामलों में **गोपनीयता बनाम गहन जांच** सुनिश्चित करना।
- हेराफेरी को रोकने के लिए **व्यक्तिगत अधिकार बनाम निवारक विनियमों** को संतुलित करना, उदाहरण के लिए- एथलीटों के व्यक्तिगत आचरण की बारीकी से निगरानी करना।
- किसी आरोप के मामले में **निर्दोषता की धारणा का सिद्धांत बनाम पूर्व-निवारक कार्रवाई।**

> खेल का वास्तविक सार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में निहित है, जहां खिलाड़ी ईमानदारी, एक–दूसरे के प्रति सम्मान और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बेहतर क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक–दूसरे को प्रेरित करते हैं।
>
> — मोहम्मद अली

2.5. मीडिया ट्रायल (Media Trial)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कहा है कि "मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, **'कंगारू कोर्ट'** चला रही है।" आरुषि तलवार मामले में भी न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि मीडिया ट्रायल अदालतों की न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित करता है और सुनवाई की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। ये बयान मीडिया ट्रायल और इससे संबंधित नैतिक मुद्दे को भी रेखांकित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्वयं व्याख्या करने लगते हैं, तब उसे मीडिया ट्रायल कहा जाता है। इसके पश्चात् मीडिया इन मामलों को आम जनता के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे उस मामले को लेकर जनता की राय प्रभावित होती है।

प्रमुख हितधारक और ट्रायल/ सुनवाई में उनकी भूमिका:

हितधारक	ट्रायल में भूमिका
आरोपी व्यक्ति और उनका परिवार	• **सुभेद्यता/ जोखिम:** उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार और रोजगार पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे वे अपराध और शोषण के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।
पीड़ित और उनका परिवार	• मीडिया अन्याय के मामलों को प्रकाश में लाता है। मीडिया ने दिवंगत जेसिका लाल और दिल्ली में 2012 के बलात्कार मामले की दिवंगत दामिनी जैसी पीड़िताओं की मदद की है।
सोशल मीडिया और अन्य रूपों में मीडिया	• **मीडिया का व्यापक दायरा:** सोशल मीडिया के आगमन के साथ, मीडिया ट्रायल का दायरा व्यापक हो गया है। इसमें सोशल मीडिया पर आम जनता द्वारा किया जाने वाला मीडिया ट्रायल भी शामिल है, जो आम तौर पर गलत तरीके से सूचित और सनसनीखेज होता है।

मीडिया ट्रायल में शामिल नैतिक मुद्दे

- **निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बाधा:** मीडिया ट्रायल विधि के शासन को खतरे में डालता है। मीडिया ट्रायल, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बाधित और अवरुद्ध करता है।
- **वाक् और प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग:** मीडिया की बहसों में असंवेदनशील भाषा के उपयोग के उदाहरण सामने आए हैं, जो अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से बदनाम करते हैं।
- **व्यक्ति की गरिमा का ह्रास:** मीडिया ट्रायल बिना सबूत के व्यक्तियों को दोषी ठहरा सकता है। इस प्रकार यह व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को कम करता है।
- **सरकारी संस्थानों पर विश्वास में कमी:** मीडिया ट्रायल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। यह न्यायपालिका जैसे संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
- **पत्रकारिता की नैतिक संहिता का उल्लंघन:** मीडिया ट्रायल को पत्रकारिता की अंतर्राष्ट्रीय नैतिक संहिता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

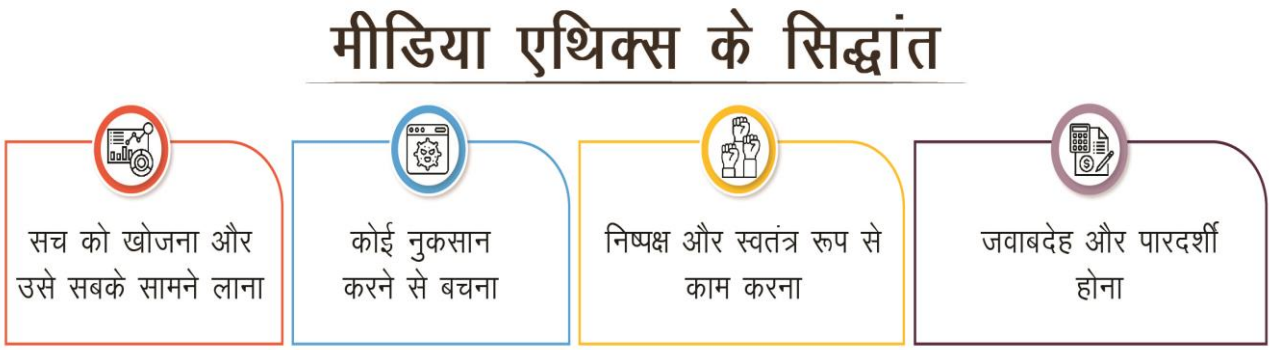

संभावित समाधान

- **स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय:** दिशा-निर्देशों के पालन के लिए एक आंतरिक तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- आंतरिक लोकपाल और मीडिया काउंसिल ऑफ पीयर्स।
- **डिजिटल मीडिया में नैतिकता पर विमर्श स्थापित करना:** डिजिटल मीडिया के स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। साथ ही, डिजिटल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए।
- **हमारे लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन जैसी तकनीकों का उपयोग कर किसी दिए गए समाचार की प्रामाणिकता को रियल टाइम में सत्यापित किया जा सकता है।
- **नागरिक समाज की एक केंद्रीय भूमिका को प्रोत्साहित करना:** नागरिक समाज मीडिया कंटेंट के विनियमन, पर्यवेक्षण और निर्माण में एक अभिन्न भूमिका निभाए।
- **पूर्वाग्रह से बचना:** मीडिया को निष्पक्ष रूप से केवल समाचार प्रसारित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मीडिया को किसी भी मामले पर निर्णय लेने या निष्कर्ष तक पहुँचने से बचना चाहिए। उसे केवल मामले से जुड़े तथ्यों का प्रसारण करना चाहिए।

> मीडिया के पास जनमत की दिशा निर्धारित करने की व्यापक शक्ति होती है, लेकिन व्यापक शक्ति अपने साथ यह सुनिश्चित करने की व्यापक जिम्मेदारी भी लाती है कि सुर्ख़ियों की होड़ में न्याय से समझौता न हो।
>
> — मेरी रोबिंसन

2.6. सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertisements)

परिचय

हाल ही में, बॉलीवुड के एक अभिनेता ने सोशल मीडिया पर स्वयं द्वारा किए गए विज्ञापन की आलोचना होने के बाद तंबाकू उत्पादों से जुड़े एक ब्रांड के साथ अपने विज्ञापन समझौता को रद्द कर दिया है। हालांकि, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सिद्धांतों की कमी को उजागर करने के साथ तंबाकू उत्पादों और **सरोगेट विज्ञापन** को विनियमित करने के लिए विज्ञापन कानूनों में बदलाव करने का आग्रह किया है।

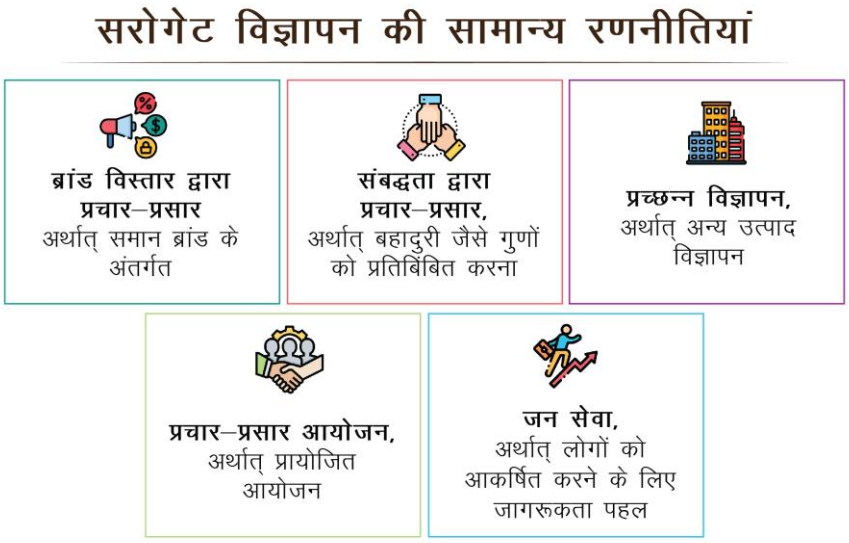

कई कंपनियां किसी मादक पदार्थ या प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार सीधे तौर पर न करके ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए सरोगेट विज्ञापन का सहारा लेती हैं। ऐसे में कंपनी उसी ब्रांड नाम का एक अन्य उत्पाद (जो प्रतिबंधित न हो) बना देती है, उदाहरण के लिए- सेलिब्रिटी से प्रचार कराकर सोडा या म्यूजिक सी.डी.के विज्ञापन की आड़ में शराब और इलायची की आड़ में पान मसाला बेचना। ये सभी सरोगेट विज्ञापन के उदाहरण हैं। इसके लिए कंपनियां दोनों के पैकेजिंग और ब्रांडिंग को एक तरह का रखती हैं।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

कंपनियां और ब्रांड	ब्रांड की दृश्यता बनाए रखना और अपने उत्पादों को लोगों की स्मृति में बनाए रखना।
विनियामक प्राधिकरण	भ्रामक या कपटपूर्ण विज्ञापन प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विज्ञापन विनियमों को लागू करना तथा अनुपालन सुनिश्चित करना।
उपभोक्ता	सभी तथ्यों को जानना/ जागरूक बने रहना और खरीदारी संबंधी सूचित निर्णय लेना।
मीडिया	कानूनी उपबंधों का पालन करते हुए अपने ग्राहकों के लिए प्रभावी विपणन समाधान प्रदान करना।
सरकार	सरकार का ध्येय व्यवसायों के हितों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है।
लोक स्वास्थ्य संगठन	लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दायित्वपूर्ण विज्ञापन सुनिश्चित करना।

सरोगेट विज्ञापनों से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **पसंद या चयन संबंधी विकल्पों को प्रभावित करना: असुरक्षित या खतरनाक** उत्पादों को बेचने के लिए मशहूर हस्तियों की साख और विश्वसनीयता का लाभ उठाना, उदाहरण के लिए-
  - जंक फूड या कार्बोनेटेड शीतल पेय का प्रचार-प्रसार करने वाले खिलाड़ी।
- **विशेषज्ञों की राय की उपेक्षा करना:** विशेषज्ञों द्वारा किसी उत्पाद के विज्ञापन को भ्रामक बताने के बावजूद, सेलिब्रिटीज द्वारा ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने पर लोगों द्वारा इसका सेवन करने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण यह है कि सेलिब्रिटीज अधिक प्रसिद्ध होते हैं और उनकी लोगों तक अधिक पहुंच होती है।
- **कलंकित छवि:** इस तरह के विज्ञापन मशहूर हस्तियों को पूरी तरह से धनलोलुप या नैतिकता से वंचित व्यक्ति के रूप में दिखाकर उनकी छवि को धूमिल करते हैं।
- **उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन:** भ्रामक जानकारी/सूचना वस्तुतः **विज्ञापन में बुनियादी सत्य के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। साथ ही, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत गारंटीकृत उपभोक्ता अधिकारों का भी अतिक्रमण करती है।
- **सामाजिक क्षति:** सरोगेट विज्ञापन न केवल तंबाकू, शराब आदि के व्यवसाय के प्रोत्साहन में सहायता करते हैं बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों के प्रसार को भी बढ़ावा देते हैं।

सरोगेट विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने में आने वाली चुनौतियां

- व्यक्ति के **पसंद/ चयन की स्वतंत्रता** और **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व** सीमित हो सकता है।
- **वास्तविक विज्ञापनों से जुड़ी दुविधाएं** और उनके व्यापार करने के अधिकार।
- **संभावित अन्य अनैतिक तौर-तरीके या कीमतों में कमी करने जैसे प्रयासों से संबंधित चिंताएं।**
- **रोजगार और राजस्व का नुकसान।**

सरोगेट विज्ञापन के मुद्दे का संभावित समाधान

सरोगेट विज्ञापन की समाप्ति से जुड़ा समाधान वस्तुतः **सदाचार आधारित नैतिकता** अर्थात् उच्च नैतिक मानकों के अभ्यास में निहित है। साथ ही, यह:

- **उचित विनियामकीय नियंत्रण:** कानून से संबंधित कमियों को व्यापक रूप से दूर करने या भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 या ट्रेडमार्क अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन करना।
- **विज्ञापनों के अनुसमर्थन या प्रचार प्रसार से संबंधित नियम:** कंपनियों ने उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ विज्ञापनों के लिए उचित संहिता को भी विकसित किया है। यह कानून के अनुपालन और उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

- मशहूर हस्तियों को अपने प्रभाव या साख के परिणामस्वरूप पड़ने वाले व्यापक सामाजिक निहितार्थों की नैतिक जांच/ आकलन हेतु प्रयास करने चाहिए। यह किसी भी भ्रामक प्रभाव या हितों के टकराव से बचने में मदद करने के साथ-साथ उनमें उचित तत्परता को भी बढ़ावा देगा।
- **नागरिक,** नैतिक रूख या तार्किक चयन के विकास में कंपनियों, मशहूर हस्तियों और सरकार को अपना **रवैया बदलने** और अपने **कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से निभाने के लिए विवश कर सकते हैं।**

> "अच्छे लोगों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बुरे लोग कानूनों की खामियों से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं।"
>
> — प्लेटो

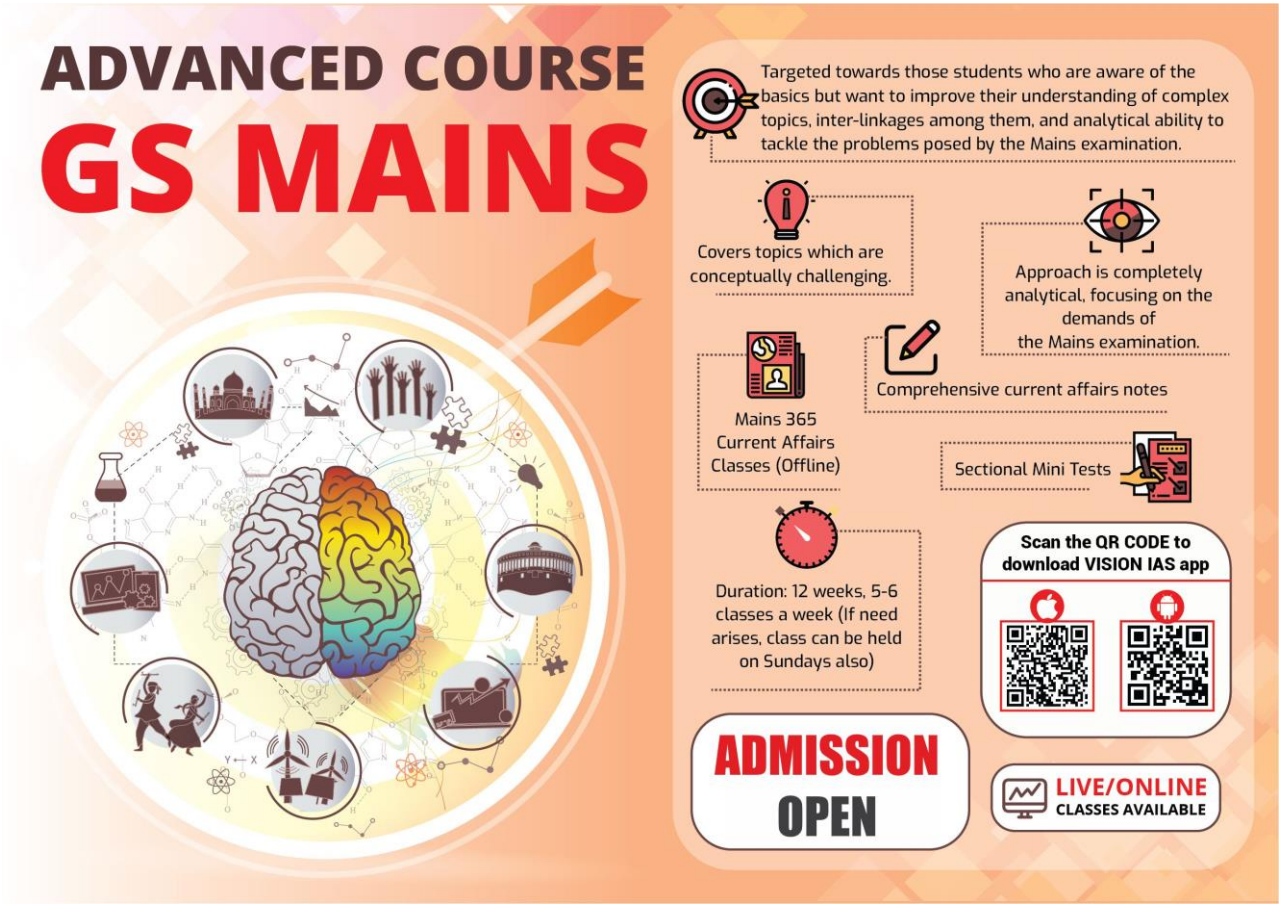

3. नैतिकता और सामाजिक मुद्दे (Ethics and Societal Issues)

3.1. कार्य संस्कृति का बदलता स्वरूप (Changing Work Culture)

परिचय

"TCS प्रबंधन ने **मूनलाइटिंग** पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।" "खराब कार्य संस्कृति ही वह प्राथमिक कारक है, जो कर्मचारियों के बीच व्यापक इस्तीफे को बढ़ावा दे रही है।" "क्वाइट क्विटिंग और क्वाइट फायरिंग की घटनाओं ने कार्य संस्कृति में विश्वास के महत्व को रेखांकित किया है।" अलग-अलग अख़बारों की उपर्युक्त सुर्ख़ियां बदलती हुई कार्य संस्कृति के कारण उभरने वाले मुद्दों को रेखांकित कर रही हैं। इन परिवर्तनों के लिए महामारी जनित लॉकडाउन के स्थायी प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हाल के दिनों में कार्य संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तनों में **रिमोट वर्किंग, कार्यों के निष्पादन व निगरानी के लिए स्वचालन (ऑटोमेशन) और AI का उपयोग, काम के घंटों में वृद्धि** आदि शामिल हैं। इससे हमेशा काम करते रहने की कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कार्यस्थल में अनेक प्रवृतियों/ रुझानों को बढ़ावा मिला है-

- **मूनलाइटिंग (Moonlighting)**: मूनलाइटिंग के तहत एक कर्मचारी अपनी पूर्णकालिक नौकरी के साथ-साथ **दूसरी नौकरी या कोई अन्य वर्क असाइनमेंट** पूरा करता है। सरल शब्दों में कहें तो, दो जगहों पर एक साथ नौकरी करने को मूनलाइटिंग कहते हैं।
- **क्वाइट क्विटिंग (Quiet Quitting):** इसका आशय ऐसे कर्मचारियों से है जो **बहुत कम या आधा-अधूरा काम** करते हैं।
- **हसल कल्चर (Hustle Culture):** यह कार्य संस्कृति कर्मचारियों या श्रमिकों या मजदूरों को **काम के सामान्य घंटों से अधिक काम करने** के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **क्वाइट फायरिंग (Quiet Firing):** कर्मचारी के लिए कार्यस्थल को **अप्रिय बना दिया जाता है या उसकी भूमिका को कम कर दिया** जाता है। इससे वह स्वयं नौकरी छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। इस तरीके को **क्वाइट फायरिंग** कहते हैं।
- **सामूहिक त्याग-पत्र (Mass resignations):** हाइब्रिड कार्य संस्कृति की समाप्ति के परिणामस्वरूप महिलाएं अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे रही हैं।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

नेतृत्व एवं प्रबंधन	कार्य संस्कृति का निर्माण करना, मूल्य स्थापित करना तथा नीतियों और पद्धतियों को कार्यान्वित करना, जो समग्र कार्य परिवेश को आकार प्रदान करते हैं।
कर्मचारी	उनके दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्य संबंधी नए तरीकों को अपनाने की इच्छा सांस्कृतिक परिवर्तनों की सफलता पर उल्लेखनीय प्रभाव डालती है।
मानव संसाधन (HR) विभाग	वांछित सांस्कृतिक बदलावों व कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए रणनीतियों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का विकास करना।
ग्राहक और क्लाइंट	संगठन ग्राहक-केंद्रित एवं अनुक्रियाशीलता जैसे मूल्यों पर जोर देते हुए अपनी संस्कृति को ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास कर सकते हैं।

इन परिवर्तनों के चलते कौन-कौन से नैतिक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं?

- **सामुदायिक भावना में गिरावट:** प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ हाइब्रिड कार्य संस्कृति के कारण कर्मचारियों के बीच सामुदायिकता की भावना में कमी आई है। इसने **अकेलेपन जैसी समस्याओं को बढ़ाया है।**
- **कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच विश्वास की कमी:** क्वाइट क्विटिंग और क्वाइट फायरिंग जैसे मुद्दे कर्मचारियों व नियोक्ता के बीच बेहतर संचार को बाधित करते हैं। लंबे समय में, ऐसे मुद्दे संगठन के भीतर विश्वास को समाप्त कर देते हैं।
- **स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे:** दीर्घकालिक कार्यावधि अक्सर तनाव, चिंता आदि का कारण बनती है और मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष खतरा पैदा करती है।
- **डिजिटलीकरण से संबंधित जोखिम:** इनमें साइबर खतरों और हमलों की संभावना शामिल है।

- **लैंगिक असमानता:** लंबे समय में, घर से काम करने के विकल्प के अभाव के कारण महिला कर्मियों द्वारा दिए जा रहे इस्तीफे की प्रवृत्ति से भावी नियुक्तियों में लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहन मिल सकता है।

सकारात्मक कार्य संस्कृति के प्रमुख घटक

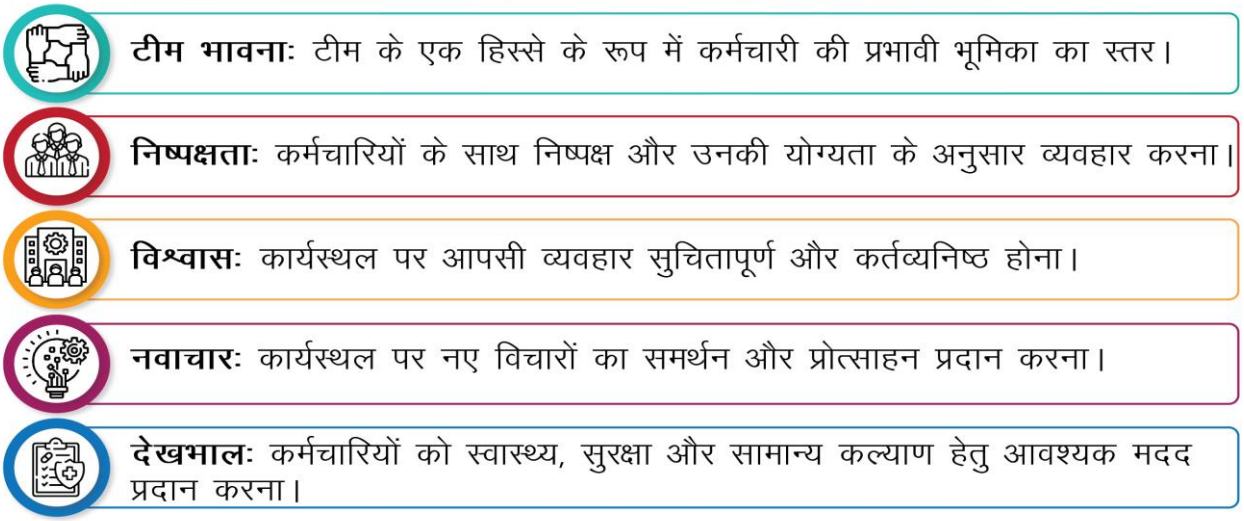

संभावित समाधान

- **समग्र कल्याण का लक्ष्य:** अलग-अलग लोगों के लिए सफलता का अलग-अलग अर्थ हो सकता है। संगठन को अपने कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों के समग्र विकास के तहत मौद्रिक लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा सकारात्मक कार्य संस्कृति के सभी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **सकारात्मक कार्य संस्कृति को वास्तविक रूप प्रदान करने हेतु, जहां तक संभव हो तकनीक का उपयोग करना:** वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, साझा कार्य मंच और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी तकनीकी अवधारणाएं/ विचार हाइब्रिड कार्य संस्कृति में कार्य की गति को बनाए रख सकते हैं।
- **स्वस्थ और स्पष्ट संचार बनाए रखना:** क्वाइट क्विटिंग/ फायरिंग जैसे मुद्दे आम तौर पर दोनों पक्षों की उन अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जो पूरे नहीं होते हैं। इसे कम करने के लिए, अपेक्षाओं के संबंध में नियमित और स्पष्ट संचार की व्यवस्था की जा सकती है।
- **काम को पूरा करने में पारदर्शिता:** पारदर्शिता निम्नलिखित घटकों को सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है, जैसे:
  - जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में,
  - उचित तरीके से अवसर प्रदान करने में, और
  - योग्य कर्मचारियों को श्रेय देने में।

> "ग्राहक तब तक किसी कंपनी को पसंद नहीं करेंगे, जब तक कि कंपनी के कर्मचारी कंपनी को पसंद न करें।"
>
> — साइमन सिनेक

3.2. बाल कलाकार और संबंधित नैतिकता (Child Artists and Ethics)

परिचय

बाल कलाकार जहां एक तरफ अपनी जरूरतों और अधिकारों को लेकर दुविधा का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी योगदान करने की क्षमता सवालों के घेरे में है। हालांकि इस संदर्भ में, **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[3] ने मनोरंजन उद्योग या किसी व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि में बच्चों और किशोरों की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

[3] National Commission on Protection of Child Rights

निम्नलिखित के चलते ये दिशा-निर्देश और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं:

- **बच्चों की बढ़ती भागीदारी:** प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रयोग में हुई वृद्धि के साथ, कंटेंट क्रिएशन में बच्चों की व्यापक भागीदारी बढ़ रही है।
- **बाल शोषण:** कई हितधारकों से बच्चों की और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले पर्याप्त विनियमों की कमी के कारण ऐसा होता है।
- **कार्य परिवेश : शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करने के साथ-साथ उनके लिए काम का एक स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना** अत्यंत आवश्यक है।
- **बच्चे अक्सर** अनुपयुक्त, चिंताजनक परिस्थितियों और कभी-कभी खतरनाक कार्यों तथा स्थितियों से **नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं।**
- **बच्चों के खिलाफ अपराध:** एक अविनियमित परिवेश में बच्चों के कार्यरत होने की स्थिति में व्यापक तौर पर ऐसे बच्चों की अन्य अपराधों, जैसे- यौन शोषण, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी आदि से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है।

बाल कलाकारों के लिए कानूनी ढांचा

- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन नियम[4], 2017** बाल कलाकारों के संबंध में एक तंत्र और प्रक्रिया का प्रावधान करता है। साथ ही, यह कलाकार के रूप में बच्चों का उपयोग करने वाले प्रोडक्शन हाउस के लिए इन नियमों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।
- इस उद्योग में कार्यरत बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। यह कदम उनके साथ होने वाली क्रूरता, शोषण और दुर्व्यवहार के मद्देनजर उठाया गया है। इस प्रकार ऐसे बच्चों का पुनर्वास **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम[5], 2015** के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान

- **दायरा:** ये दिशा-निर्देश रियलिटी शो, टीवी धारावाहिक, समाचार और इनफॉर्मेटिव मीडिया, फिल्म, ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट, निष्पादन कला (Performing art), विज्ञापन और किसी भी अन्य व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि सहित टेलीविजन कार्यक्रमों को कवर करते हैं।
- **जिलाधिकारी (DM) के समक्ष बाल कलाकारों का पंजीकरण:** जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही बच्चों को किसी भी दृश्य-श्रव्य संबंधी कंटेंट क्रिएशन में शामिल किया जा सकता है।
  - **निर्माता को माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के साथ बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम को DM के समक्ष प्रस्तुत** करना होता है।
- **कार्यस्थल का निरीक्षण:** DM को जिला बाल संरक्षण इकाई (DPSU)[6] को कार्यस्थल का निरीक्षण करने और तदनुसार निर्माता को परमिट जारी करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
- **कंटेंट संबंधी प्रतिबंध:** किसी भी बच्चे/ किशोर को किसी ऐसी भूमिका या स्थिति या कंटेंट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जो:
  - बच्चे के लिए अनुपयुक्त है या जो **उसे परेशान कर सकता है या उसे अपमानजनक स्थितियों में डाल सकता** है।
  - बच्चे के लिए **अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता हो।**
  - किसी **बच्चे का अभद्र या अश्लील चित्रण करता हो** या नग्नता अथवा लैंगिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता हो।
  - उनके द्वारा **देखे जाने योग्य न हो या देखने के लिए प्रमाणित न किया गया हो।**
- **माता-पिता/ किसी अभिभावक की उपस्थिति:** यदि **बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का** है, तो माता-पिता में से कम-से-कम एक या किसी अभिभावक का उपस्थित होना आवश्यक है।
- **काम की अवधि:** किसी भी बच्चे को **एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने दिया जाएगा।**

[4] Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules

[5] Juvenile Justice (Care and Protection of Children) (JJ) Act

[6] District Child Protection Unit

- **पारिश्रमिक:** बच्चे/ किशोर द्वारा **कंटेंट क्रिएशन से अर्जित आय का कम-से-कम 20% सीधे सावधि जमा खाते में जमा** किया जाना चाहिए।

हितधारकों का नजरिया और नैतिक चिंताएं		
हितधारक	**नैतिक सरोकार**	**जिम्मेदारी पूर्ण आचरण**
बच्चे	• बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली विषम परिस्थितियों में उनके पास चयन संबंधी **विकल्पों का अभाव** होता है। • **शिक्षा** और संज्ञानात्मक विकास **के साथ संघर्ष** की स्थिति। • विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य** के प्रभावित होने की संभावना। • सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण **निजता का ह्रास होना**।	• बच्चों की पसंद/ समस्याओं को समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं के साथ **नियमित सत्र** आयोजित किया जाना चाहिए। • न्यूनतम अपवादों के साथ स्कूलों में **अनिवार्य उपस्थिति** मानदंड को लागू किया जाना चाहिए। • बच्चों को उनकी **शारीरिक स्वायत्तता, अधिकारों के बारे में शिक्षित** किया जाना चाहिए और शोषण की स्थिति में **उन तक मदद उपलब्ध** होनी चाहिए।
माता-पिता/ अभिभावक	• प्रसिद्धि और पैसे का आकर्षण बच्चों तथा उनके माता-पिता पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है। • माता-पिता को बच्चे की स्वयं की भावना को मजबूत करने और पेशे की वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें वेश-भूषा (दिखावट) सबसे अधिक मायने रखती है।	• उद्योग की कठिनाइयों और वास्तविकताओं पर माता-पिता और बच्चों का संवेदीकरण किया जाना चाहिए। • सूचित सहमति के लिए माता-पिता को भी बच्चे के रोजगार के सभी पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
प्रोडक्शन हाउस / उद्योग एजेंट	• वैधानिक सीमाओं से अधिक शिफ्टों/ कार्य अवधि का विस्तार किया जाता है। • बाल कलाकारों को कम वेतन दिया जाता है। • कई बेईमान एजेंट माता-पिता और बच्चों की उम्मीदों का फायदा उठा लेते हैं।	• कानूनी रूप से मान्य कार्य अवधि को लागू किया जाना चाहिए। • एजेंटिंग से जुड़ी अवैध प्रथाओं और धोखाधड़ी पर भारी जुर्माना तथा दंड दिया जाना चाहिए। • प्रोडक्शन हाउस की कुछ बुनियादी ज़िम्मेदारियों को निर्धारित करने वाले और बुनियादी बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले एक मॉडल अनुबंध को लागू किया जाना चाहिए।
दर्शक/ ऑडियंस	• झूठे आदर्शों तथा परिपक्वता का दिखावा, जिनका बच्चों द्वारा अनुकरण कर पाना कठिन होता है और इससे वे अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। • बच्चे के चरित्र के अनुचित प्रदर्शन से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।	• बच्चे के चरित्र का अनुचित प्रदर्शन किसी भी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। • ऐसी स्थितियों पर वैधानिक चेतावनी जारी की जानी चाहिए जिससे दर्शकों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
सरकार	• विनियमों में ढील देने के लिए उद्योग समूहों द्वारा पैरवी की जाती है। • बच्चे के अधिकारों, शिक्षा, माता-पिता की आकांक्षाओं, उद्योग की मांगों, दर्शकों के विवेक आदि के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	• बच्चे की शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास और मूल्यों के समावेश के मामले में विनियमों और कानूनों को उनके सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

निष्कर्ष

मनोरंजन उद्योग में बच्चों के नियोजन के संबंध में नैतिक आचरण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उद्योग के हितधारकों, माता-पिता, बाल अधिकार संगठनों और सरकार को बच्चों के रोजगार के लिए एक व्यापक आचार संहिता विकसित करने तथा उसका पालन करने के लिए साझा प्रयास करना चाहिए।

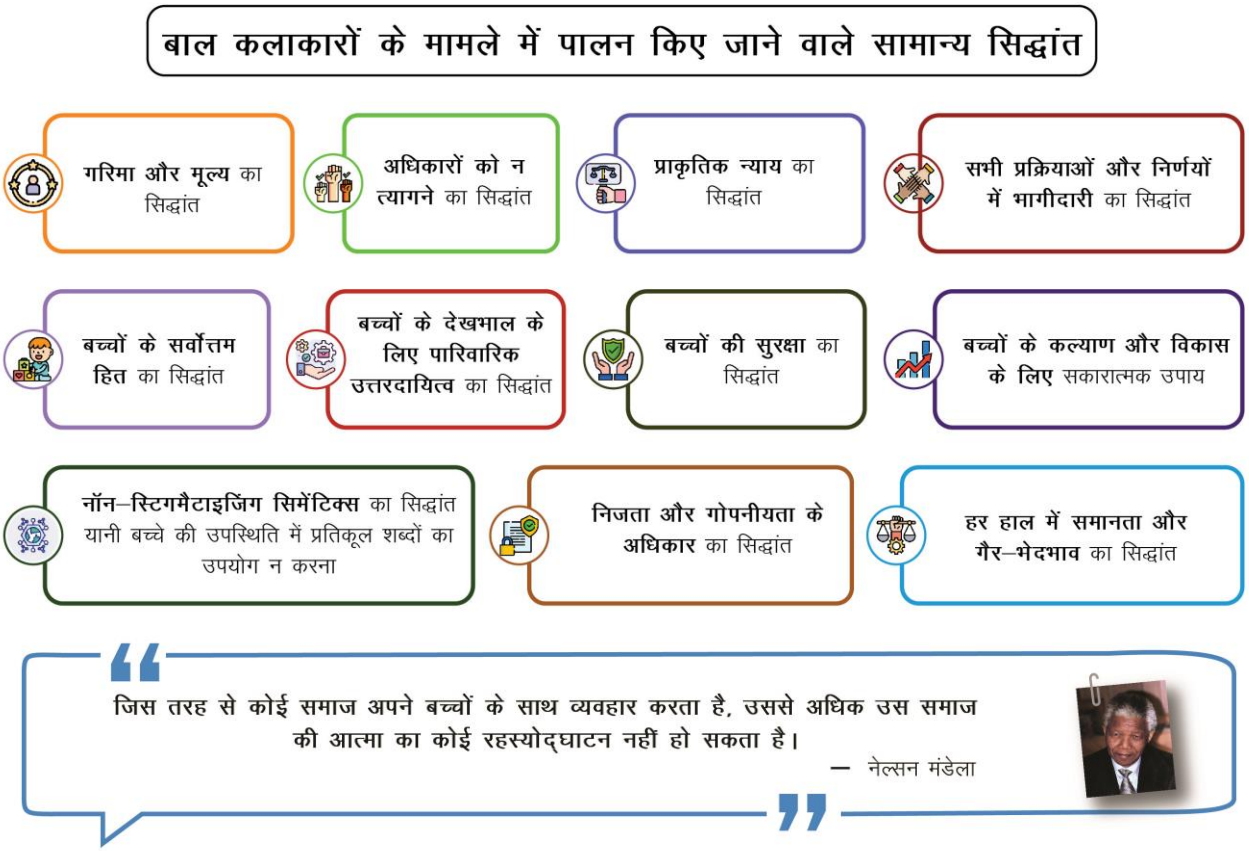

3.3. भारत में मद्यपान (Alcoholism in India)

परिचय

भारत में शराब का बढ़ता सेवन, **स्वास्थ्य और समाज के लिए एक प्रमुख खतरा** बनता जा रहा है। हाल ही में, गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने शराबबंदी से जुड़ी खामियों को उजागर किया है। साथ ही, यह घटना शराब की बढ़ती खपत को कम करने की दिशा में सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

प्रमुख हितधारक और उनसे संबंधित मुद्दे?

हितधारक	संबंधित मुद्दे
सरकार	• इस मामले में **राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को लेकर नैतिक दुविधा** की स्थिति देखने को मिलती है। यह दुविधा इस बात को लेकर है कि **मौलिक अधिकारों** के तहत **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** या **स्वायत्तता** की रक्षा की जानी चाहिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में हस्तक्षेप कर DPSP[7] के तहत प्रदत्त **संवैधानिक जिम्मेदारियों** को पूरा किया जाना चाहिए। • जहाँ शराब की बिक्री से **सरकारी राजस्व** (राज्य सरकार के लिए) में वृद्धि होती है, वहीं **गरीब, सुभेद्य** और **अतिसंवेदनशील व्यक्तियों** की रक्षा का दायित्व भी राज्य के ऊपर ही है। ऐसे में **नैतिक दुविधा** की स्थिति स्वाभाविक है।
व्यक्ति और परिवार	• **व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता** और **निजता के अधिकार** से जुड़े मुद्दे। • नशे की स्थिति में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले **घरेलू हिंसा को कम करने की आवश्यकता।** • विशेष रूप से गरीबों द्वारा शराब पर किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को कम करके उन्हें **ऋणग्रस्तता से बचाना।**
शराब उद्योग	• समझदारीपूर्ण मद्यपान को बढ़ावा देने हेतु लाभ कमाने और सामाजिक दायित्व के पालन को प्रोत्साहित करने को लेकर नैतिक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। • **शराब उद्योग में नौकरियों** की रक्षा करना।
स्थानीय प्रशासन	• गैर-कानूनी शराब उद्योग पर अंकुश लगाने के लिए **कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना।** • शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में **लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना।**
समाज	• सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने और व्यक्ति की पसंद को स्वीकार करने से संबंधित नैतिक दुविधा बनी रहती है।

[7] Directive Principles of State Policy/ राज्य की नीति के निदेशक तत्व

बढ़ते मद्यपान से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** मद्यपान की बढ़ती व्यापकता स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं पर भी बोझ उत्पन्न कर सकती है। साथ ही, इससे संसाधनों का कहीं और उपयोग होता है, जिनका स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में उपयोग हो सकता था।
- **सामाजिक लागत:** मद्यपान का अत्यधिक प्रसार सामाजिक असमानता में व्यापक वृद्धि कर सकता है और मौजूदा सामाजिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है।
- **भ्रष्ट निर्णय और अहितकर व्यवहार:** यह प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके आस-पास के लोगों दोनों के लिए दुर्घटनाएं, हिंसा व अन्य नकारात्मक परिणामों का कारण बनता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:** शराब कंपनियों द्वारा सुभेद्य आबादी को लक्षित करने या भ्रामक विज्ञापन रणनीति का उपयोग करने से मद्यपान के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में कंपनियां व्यक्तियों की कमजोरियों का भी फायदा उठा सकती है।
- **शराबबंदी से जुड़े नैतिक मुद्दे:**
  - **काला बाज़ारी में वृद्धि:** शराबबंदी से अवैध गतिविधियों, जैसे- बूटलेगिंग (अर्थात् शराब का अवैध विनिर्माण, वितरण या बिक्री) और तस्करी के लिए सुगम अवसरों के सृजन को बढ़ावा मिल सकता है।
  - इससे **प्रशासनिक भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होती** है। गौरतलब है कि बूटलेगिंग उद्योग ने प्रणालीगत भ्रष्टाचार तथा अनुचित लाभ अर्जित करने के अवसरों में वृद्धि की है।
  - शराब की अनुपलब्धता की स्थिति **अनपेक्षित परिणामों को जन्म** दे सकती है। ऐसे में व्यक्ति अवैध दवाओं की ओर रुख कर सकते हैं या जोखिम भरी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, जिससे अन्य क्षति हो सकती है।

संभावित समाधान

- ऐसे **कानून** बनाए जा सकते हैं जो दायित्वपूर्ण व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हों तथा घरेलू हिंसा, शराब पीकर गाड़ी चलाने या अवैध शराब उद्योग या इसकी तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही को सुनिश्चित करते हों।
- शराब की खपत को बढ़ावा देने वाली अप्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीति (जैसे कि सरोगेट या छद्म विज्ञापन) से बचने के लिए **शराब उद्योग को विनियमन** के अधीन लाया जाना चाहिए।
- लोगों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त नोटिस और सावधानी के साथ **लेबल मानकों को लागू** किया जाना चाहिए।
- मद्यपान को सीमित करने और नशा मुक्ति संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- व्यसन/ नशे से बचने और व्यसन से ग्रसित लोगों के पुनर्वास के लिए **सामुदायिक समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रयास** किया जाना चाहिए।
- शराब के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य और जिला प्रशासन द्वारा **सूचना, शिक्षा और जागरूकता (IEC)**[8] अभियान को आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा है:

> "मात्र कर्म करने से अज्ञानता का नाश नहीं होता, क्योंकि अज्ञानता में किया गया कर्म अज्ञानता से बंधा होता है। जिस प्रकार, प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान ही अज्ञानता का नाश कर सकता है।"
>
> — आदि शंकराचार्य

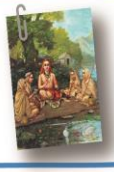

3.4. पशु अधिकारों की नैतिकता (Ethics of Animal Rights)

परिचय

हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज़ से कहा है कि **आवारा कुत्तों** के प्रति क्रूरता और नफरती व्यवहार न कर उनके प्रति करुणा और सहयोग दिखाएं।

पशु अधिकारों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण

- **पशुओं के मूलभूत/ प्राकृतिक अधिकार:** इस दृष्टिकोण के अनुसार, पशुओं के भी अपने मूलभूत/ प्राकृतिक अधिकार हैं। ऐसे में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार पूरी तरह से मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

[8] Information, Education and Awareness

- इसमें यह तर्क दिया जाता है कि मांस, दूध, अंडे, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि सहित सभी उद्देश्यों के लिए पशुओं का उपयोग समाप्त होना चाहिए।

- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह तर्क दिया जाता है कि अगर किन्हीं कारणों से मनुष्यों और/या पशुओं के कल्याण में समग्र वृद्धि होती है, तो कुछ पशुओं के कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कुछ गतिविधियां न्यायोचित हैं।

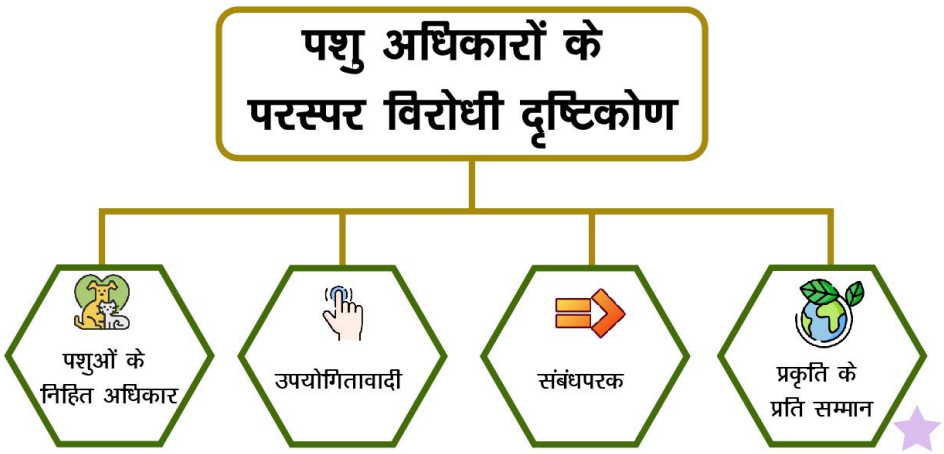

  - उदाहरण के लिए- मांस के लिए पशुवध करना नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, यदि
    - पशुओं का जीवन यथोचित रूप से अच्छा था,
    - दर्द रहित तरीके से उनका वध किया गया था, और
    - उस मांस को खाने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी लाभ मांस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं के कल्याण की लागत से अधिक था।

- **प्रकृति के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण:** 'प्रकृति के प्रति सम्मान' का दृष्टिकोण प्रजातियों के नुकसान या उनकी विलुप्ति की चिंता पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सभी पशु मूल्यवान हैं क्योंकि वे किसी न किसी प्रजाति या समूह का हिस्सा हैं और एक प्रजाति का नुकसान या विलुप्त होना चिंता का विषय है।
  - यह दृष्टिकोण आनुवंशिक हेर-फेर को समग्र पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे के रूप में देखते हुए इसे हतोत्साहित करता है।
- **संबंध-परक दृष्टिकोण:** इसमें तर्क दिया गया है कि कुछ पशुओं के साथ लोगों के भावनात्मक संबंधों के आधार पर पशुओं के प्रति लोगों के अलग-अलग दायित्व हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** जंगली जानवरों की तुलना में लोगों की अपने पालतू पशुओं के प्रति अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि लोगों का पशुओं के साथ एक अलग रिश्ता होता है।

पशु अधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **संविधान:** पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम सहित **पशुओं का संरक्षण और उनके प्रति करुणा।**
  - संविधान के अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 48A के जरिए पशुओं के प्रति करुणा व उनके संरक्षण पर बल दिया गया है।
- **जीवन का अधिकार:** 2014 में, **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज और अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के प्रावधानों का विस्तार कर इसे जानवरों के लिए भी लागू कर दिया। दूसरे शब्दों में, जानवरों के अधिकारों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में लाया गया। इसकी मदद से पशुओं को उनके प्राकृतिक अधिकार, गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- **भारत में पशुओं के लिए गैर-मानव प्राणी (Non-Human Personhood) की अवधारणा:** 2019 में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने **करनैल सिंह वाद** में एवियन और जलीय प्रजातियों सहित **पशु जगत के सभी जानवरों** को वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को 'इन लोको पेरेंटिस (in loco parentis)' (माता-पिता का स्थान) घोषित किया गया था।
- **पशु संरक्षण के लिए कानून:**
  - **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA) 1972**
  - **भारतीय दंड संहिता 1860**

एक नैतिक पशु अधिकार प्रणाली का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार किया जा सकता है:

फाइव फ्रीडम फ्रेमवर्क	**अवधारणात्मक फ्रेमवर्क**
यह ऐसी पशु देखभाल प्रथाओं का वर्णन करता है जो नकारात्मक अनुभवों को कम कर सकते हैं। **इन पांच स्वतंत्रताओं में शामिल हैं:** • **भूख-प्यास** से मुक्ति। • **तकलीफ** से मुक्ति। • **दर्द, चोट या बीमारी** से मुक्ति। • **सामान्य व्यवहार करने की स्वतंत्रता।** • **भय और तनाव** से मुक्ति।	यह पशु की स्थिति पर सिद्धांतों को निर्दिष्ट/ प्रस्तुत करता है। • **प्रभावी अवस्था:** एक जानवर का एहसास या उसकी भावनाएं। • **प्राकृतिक व्यवहार:** एक जानवर की स्वाभाविक व्यवहार करने की क्षमता। • **कार्यप्रणाली:** एक जानवर का स्वास्थ्य और जैविक कार्यप्रणाली।

> जो व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूर होता है वह मनुष्यों के प्रति भी कठोर और असंवेदनशील हो जाता है। हम मानव के स्वभाव का पता पशुओं के प्रति उसके व्यवहार से लगा सकते हैं।
>
> — इमैनुएल कांट

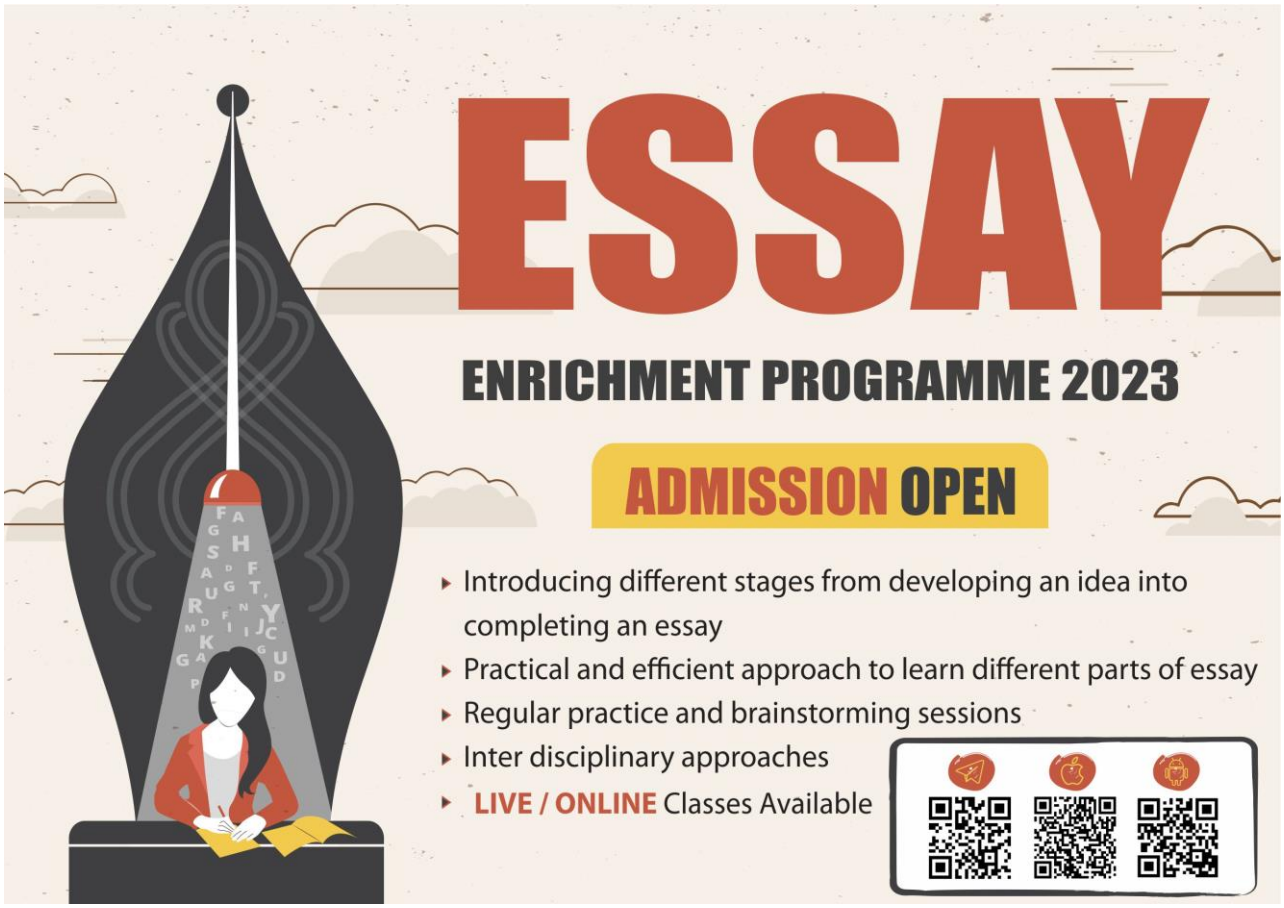

4. नैतिकता और प्रौद्योगिकी (Ethics and Technology)

4.1. मानवता के बिना विज्ञान (Science Without Humanity)

परिचय

'मानवता के बिना विज्ञान' को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित **सात सामजिक पापों** में से एक माना गया है। गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि विज्ञान की अवधारणा पूरी तरह तकनीक और प्रौद्योगिकी तक सीमित हो जाती है, तो यह मनुष्य को शीघ्र ही मानवता के विरुद्ध कर देगा। उन्होंने उन उच्च मानवीय उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, जिन्हें **प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाना** चाहिए।

मानवता के बिना वैज्ञानिक विकास के हालिया उदाहरण: रूस-यूक्रेन युद्ध में घातक हथियारों का प्रयोग किया गया, डिजाइनर बेबी (वांछित गुणों वाले बच्चे) बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल, आदि।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

वैज्ञानिक समुदाय	• **वैज्ञानिक:** वैज्ञानिक विकास, बड़े पैमाने पर लोक कल्याण के विचार को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
	• **संस्थान:** इसमें **सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाएं** शामिल हैं।
	  ○ सार्वजनिक संस्थाएं आम तौर पर राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती हैं।
	  ○ निजी संस्थान आमतौर पर लाभ पर अधिक जोर देते हैं।

नियामक निकाय (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय)	• उनका लक्ष्य अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है।
संप्रभु राज्य	• **संप्रभु राज्यों का हित उनके राष्ट्रीय हित पर निर्भर** करता है। ○ ये हित भू-राजनीतिक परिस्थितियों और घरेलू जरूरतों के अनुरूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
नागरिक/ व्यक्ति	• एक व्यक्ति की आकांक्षा मानव सभ्यता के समग्र कल्याण के साथ-साथ वैज्ञानिक विकास की मदद से अपने जीवन को बेहतर बनाना है।

मानवता के बिना विज्ञान से जुड़ी नैतिक चिंताएं/ मुद्दे

- **लाभों का असमान वितरण:** वैज्ञानिक विकास की दिशा अक्सर समाज के अधिक संपन्न वर्गों की समस्याओं को दूर करने से प्रेरित होती है।
  - उदाहरण के लिए- समाज के गरीब वर्गों को उनका उचित हक़ न मिलने जैसी कई सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाथ से मैला ढोना, कुपोषण आदि।
- **सीमित जवाबदेही:** संभावित विनाशकारी प्रौद्योगिकियों के विकास की जांच करने के लिए सटीक जवाबदेही तंत्र और प्रणालियों का अभाव है।
  - उदाहरण के लिए- कुछ देशों द्वारा **रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास।**
- **प्रौद्योगिकी का अवैध उपयोग:** जब वैज्ञानिक विकास या कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी विशिष्ट एजेंडे का समर्थन करने के लिए छिपाया जाता है या उसमें हेर-फेर किया जाता है, तब ऐसे वैज्ञानिक विकास के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है।
- **मनुष्य एक साधन के रूप में:** अक्सर, विज्ञान मनुष्य को एक साधन के रूप में उपयोग करता है जिससे **मानवीय गरिमा और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन** होता है, उदाहरण के लिए- **सरोगेसी के कुछ मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का शोषण** होना।

आगे की राह

- **वैज्ञानिक नैतिकता:** वैज्ञानिक नैतिकता को लागू करना, वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि विज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी से और लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए।

- **बहुहितधारक भागीदारी तंत्र:** ऐसी प्रणालियां स्थापित की जानी चाहिए, जहां खुले संवाद के लिए बिना किसी रोक-टोक के **वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति-निर्माता और जनता** की भागीदारी को बढ़ावा मिले। ऐसे खुले संवाद से वैज्ञानिक विकास की सही दिशा तय हो सकती है।
- **शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना:** नैतिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है, यानी सिद्धांतों, मूल्यों और वैज्ञानिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक प्रभाव संकेतक:** तकनीकी विकास के लिए सामान्य सामाजिक प्रभाव संकेतक विकसित किए जा सकते हैं। यह **अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को अधिक कल्याणकारी दिशा में काम करने** के लिए प्रेरित करेगा।
- एक **स्थायी मंच की स्थापना** की जानी चाहिए। इसमें **विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सभी प्राथमिक भागीदारों को शामिल** किया जाना चाहिए। यह **अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श के लिए एक मंच** को तैयार करने में मदद करेगा।

> विज्ञान के बिना मानवता कमजोर है, मानवता के बिना विज्ञान घातक है।
>
> — अभिजीत नस्कर

4.2. मेटावर्स के संदर्भ में नैतिकता (Ethics of Metaverse)

परिचय

तमिलनाडु में एक युगल ने **मेटावर्स** के माध्यम से भारत के पहले वैवाहिक रिसेप्शन (स्वागत समारोह) की मेजबानी की। दुल्हन के पिता का निधन हो गया था, लेकिन फिर भी डिजिटल अवतार के रूप में वे शादी में शामिल हुए और उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। हालांकि, वहीं दूसरी तरफ मेटावर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं के साथ अभद्रता और अनैतिक व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं।

ये दो उदाहरण डिजिटल और भौतिक दुनियाओं के मध्य संभावित जुड़वा को उजागर करते हैं। साथ ही, ये इस तथ्य पर भी बल देते हैं कि मेटावर्स के संदर्भ में नैतिकता को समझने और विकसित करने की कितनी आवश्यकता है।

मेटावर्स क्या है?

मेटावर्स को आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और वीडियो सहित प्रौद्योगिकी के अनेक घटकों/ तत्वों के संयोजन के रूप में समझा जा सकता है, जहां **उपयोगकर्ता डिजिटल रूप से उन्नत परिवेश में "लाइव अर्थात् आभासी रूप से उपस्थित"** होते हैं।

मेटावर्स की दुनिया में प्रमुख हितधारक और उनके हित

ग्राहक	चेतनापूर्ण आभासी परिवेश, परस्पर सामाजिक जुड़ाव, मनोरंजक, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मंच, रचनात्मकता के लिए अवसर और मूल्यवान संसाधनों एवं सेवाओं तक पहुंच।
डेवलपर्स और प्रौद्योगिकी कंपनियां	नवोन्मेषी फीचर्स और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस तैयार करना तथा उन्हें ग्राहकों को उपलब्ध कराना व बदले में राजस्व प्राप्त करना।
कंटेंट निर्माता	अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना, पहचान और लोकप्रियता हासिल करना, अपनी रचनाओं के जरिए धन प्राप्त करना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को बरकरार रखना।
व्यवसाय और उद्यमी	आभासी अर्थव्यवस्था में उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करना, व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच हासिल करना और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करना।
निवेशक	मेटावर्स इकोसिस्टम के भीतर निवेश से लाभदायक रिटर्न प्राप्त करना, उभरते रुझानों की पहचान करना तथा नवीन कंपनियों और परियोजनाओं का समर्थन करना।
विनियामक और सरकारें	उपभोक्ता संरक्षण, निजता से जुड़े विनियमन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन, कराधान, अवैध गतिविधियों को रोकना तथा एक निष्पक्ष और पारदर्शी आभासी बाज़ार को सुनिश्चित करना।

सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन	मेटावर्स का उपयोग सामाजिक परस्पर जुड़ाव, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, शिक्षा और सामुदायिक निर्माण पर प्रभाव डालने के लिए करना।
अकादमिक और अनुसंधान संस्थान	शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव-कंप्यूटर अंतः क्रिया और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रकों पर मेटावर्स के निहितार्थ को समझना।

मेटावर्स से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **डेटा उल्लंघन और निजता का अभाव:** व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त हो सकती है और आभासी परिवेश के भीतर निगरानी या शोषण की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** मेटावर्स में भाग लेने के लिए प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण सामाजिक-आर्थिक स्थिति, दुर्गम भौगोलिक अवस्थित में रहने या कम तकनीकी साक्षरता वाले लोग इसके लाभ से वंचित रह सकते हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी चिंताएं:** स्वामित्व अधिकारों को सुनिश्चित करने और लागू करने, चोरी को रोकने एवं कंटेंट निर्माताओं के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के मुद्दे उठते रहे हैं।
- **लत और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** वास्तविक दुनिया के रिश्तों की बजाये आभासी रिश्तों को प्राथमिकता देने से सामाजिक अलगाव और अन्य मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
- **पहचान से संबंधित नैतिक दुविधाएं:** प्रामाणिकता बनाए रखना और अवतारों के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को रोकना मेटावर्स के भीतर विश्वास व प्रतिष्ठा के संदर्भ में एक चिंता का विषय बन सकता है।
- **आभासी अपराध:** धोखाधड़ी, उत्पीड़न और साइबरबुलिंग जैसे **आभासी अपराध** घटित होने की संभावना है।
- **गवर्नेंस और विनियमन का अभाव:** किसी भी कानून की अनुपस्थिति से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे कौन से अधिकार हैं, जिनकी रक्षा की जाएगी और कैसे उन्हें आभासी दुनिया में संरक्षित किया जाएगा।

संभावित समाधान

- **अहितकारी न हो:** ऐसे परीक्षण वातावरण का निर्माण करना जो यह सुनिश्चित करता हो कि इसके अनुभव संबंधी प्रभाव किसी को हानि न पहुँचाते हों।
  - इस सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम/निष्कर्ष यह है कि ऐसी **सामग्री के सृजन से बचा जाए जो मनुष्यों या जानवरों के अधिकारों के लिए आपत्तिजनक हो, उनका अनादर या उनका उल्लंघन करते हों।**
- **सुरक्षित अनुभव को सुनिश्चित करना:** दुर्भावना से ग्रसित लोगों को VR अनुभव के दौरान उपयोगकर्ताओं को बहकाने या नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रोटोकॉल और संरक्षण उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **डेटा संग्रह के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गोपनीयता से संबंधित नीतियां मुख्य रूप से मेटावर्स डेटा का उल्लेख करती हों तथा यह निर्धारण करती हों कि इसका उपयोग, साझाकरण और संरक्षण कैसे किया जाएगा।
- **अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान:** आई-ट्रैकिंग, स्वास्थ्य, और गतिविधिजन्य डेटा सहित अन्य बायोमेट्रिक जानकारी जैसे संवेदनशील डेटा के लिए अनुमति/अनुरोध की व्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व में विविधता लाना:** उपयोगकर्ताओं को अवतारों के विविधतापूर्ण समुच्चय उपलब्ध कराया जाना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समूहों और पात्रों का निरूपण रूढ़िवादिता से युक्त न हो तथा यह नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे भेदभावपूर्ण प्रथाओं से मुक्त हो।
- **सामाजिक स्थानों को विनियमित करना:** साइबर धमकी और यौन उत्पीड़न को रोकना तथा सामुदायिक दिशा-निर्देशों एवं गोपनीयता सुरक्षा के माध्यम से समावेशिता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **सभी के लिए सुलभता पर विचार करना:** उन लोगों के लिए भी विकल्पों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास मानक दृष्टि, श्रवण या संचलन की क्षमता नहीं है ताकि वे मेटावर्स के अनुभवों में सार्थक रूप से भाग ले सकें।

> "प्रौद्योगिकी एक उपयोगी सेवक, लेकिन एक घातक स्वामी होता है।"
>
> — क्रिश्चियन लुई लैंग

4.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Artificial Intelligence)

परिचय

एलॉन की गाड़ी के एक अन्य गाड़ी से टकराने की घटना कैमरे में कैद हो गई, किन्तु एलॉन को दोषी नहीं ठहराया गया। उसका तर्क था कि गाड़ी ऑटोनॉमस (स्व-चालित) मोड पर थी, इसलिए दुर्घटना की जिम्मेदारी उसकी नहीं, कार विनिर्माता की है। एलॉन दोषी है या नहीं?

हमारे जीवन के कई हिस्सों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का समावेश हो गया है। इस कारण हमारे समक्ष इस तरह की असंख्य दुविधाएं पैदा हो गई हैं। इस संदर्भ में, यूनेस्को इस बात पर विचार कर रहा है कि सरकार और टेक कंपनियों द्वारा AI का उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए।

AI एथिक्स वस्तुतः नैतिक सिद्धांतों और तकनीकों से बनी एक ऐसी प्रणाली है, जो इसे जागरूकतापूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। यह निर्णय नैतिक रूप से स्वीकार्य और तार्किक रूप से श्रेष्ठ होने चाहिए।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

उपयोगकर्ता	प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से AI प्रणाली का उपयोग करना। अपने डेटा की निजता, सिस्टम आधारित पूर्वानुमान की सटीकता और सिस्टम द्वारा पक्षपातपूर्णता परिणाम की संभावना से जुड़े मुद्दे।
डेवलपर्स	AI सिस्टम विकसित करना और इसे बनाए रखना। AI सिस्टम को विकसित करने और संचालित करने की लागत तथा सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं।
निवेशक	AI सिस्टम के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
विनियामक	AI सिस्टम के विकास और उपयोग को विनियमित करने वाले कानून व नियम निर्धारित करना।
नागरिक समाज संगठन (CSOs)	AI सिस्टम के दायित्वपूर्ण विकास और उपयोग पर जोर देना।

AI से जुड़ी नैतिक समस्याएं क्या हैं?

- **निजता और निगरानी:** AI के आने से, पहले से विद्यमान समस्याओं को अधिक बढ़ावा मिला है। इसमें डेटा की निगरानी, चोरी, प्रोफाइलिंग आदि शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिए- AI आधारित इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके फ़ोटो और वीडियो में चेहरा पहचानने की तकनीक व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग करने और उन्हें खोजने में मदद करेगी।
- **बेरोजगारी:** AI ऑटोमेशन के कारण उद्योगों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने और लोगों के नौकरी से वंचित होने की संभावना है।
- **हेरफेर और डीपफेक:** AI का वास्तविक दिखने वाले सिंथेटिक मीडिया के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- डीपफेक वीडियो या ऑडियो प्रतिरूपण (Impersonation), जिनका गलत सूचना फैलाने, धोखाधड़ी या राजनीतिक हेरफेर जैसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **AI प्रणाली का अपारदर्शी होना:** AI प्रणाली द्वारा लिए गए निर्णय पारदर्शी नहीं होते हैं। इस अस्पष्टता के कारण जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखने की संभावना समाप्त हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है।

- **पक्षपात/ पूर्वाग्रह:** यदि प्रशिक्षण डेटा में नस्ल, लिंग आदि से संबंधित पूर्वाग्रह शामिल हैं, तो ऐसे में AI प्रणाली में भी इनके बने रहने और आगे प्रसारित होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, अनुचित व्यवहार और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
  - उदाहरण के लिए- प्रिडिक्टिव पुलिसिंग द्वारा विकसित किए गए ट्रायल एप्लीकेशंस में कुछ समुदायों के लोगों को संभावित खतरे के रूप में दर्शाने की प्रवृत्ति रहती है (यानी, **नस्लवादी या जातिवादी रोबोट**)।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानव बुद्धिमत्ता के स्तर को पार करने की क्षमता:** यह सिंगुलेरिटी की अवधारणा को व्यक्त करता है, जहां AI सिस्टम स्वशासी इकाई के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते हैं और ऐसे निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं जो मानवीय मूल्यों और उद्देश्यों के विपरीत हों।

संभावित समाधान

यूनेस्को में सामूहिक रूप से 193 देशों ने AI के नैतिक उपयोग के लिए उसके डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया है:

- **आनुपातिकता आधारित और हानि रहित:** AI प्रणाली का उपयोग करने और AI की किसी विशेष पद्धति का उपयोग करने का चुनाव, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुपात में होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा यह मजबूत वैज्ञानिक आधारों पर आधारित होना चाहिए।
- **न्यायसंगतता और भेदभाव रहित:** AI अभिकर्ताओं को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करते हुए हर प्रकार की न्यायसंगतता तथा भेदभाव-रहित व्यवहार का संरक्षण करना चाहिए।
- **संधारणीयता:** AI प्रौद्योगिकियों के मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- **निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण:** एल्गोरिदम आधारित प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित की आवश्यकता है:
  - निजता पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त आकलन की,
  - इनके उपयोग के सामाजिक और नैतिक परिणामों पर ध्यान देने की, और
  - डिजाइन सिद्धांत द्वारा नीति के अभिनव उपयोग की।
- **मानव निरीक्षण और अवधारण:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI प्रणाली के जीवन चक्र के किसी भी चरण के लिए भौतिक व्यक्तियों या मौजूदा कानूनी संस्थाओं को नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा AI प्रणाली से संबंधित समाधान के मामलों में भी किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता:** इससे AI प्रणाली की प्रक्रियाओं को स्पष्टता से समझा जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि AI की निर्णय लेने की प्रक्रिया और संबद्ध परिणामों से लोग सहमत हैं।
- **बहु-हितधारक और अनुकूल कार्यप्रणाली एवं सहयोग:** इससे इसके लाभों को सभी के साथ साझा किया जा सकेगा और इसके संधारणीय विकास में योगदान दिया जा सकेगा।

> "मानवीय मूल्यों और भावनाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिक नजरिया शामिल करना भावी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मूलभूत आधार प्रदान करेगा।"
>
> — अमित रे

4.4. हेल्थकेयर या स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में AI नैतिकता (AI Ethics in Healthcare)

परिचय

ICMR[9] ने **बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थकेयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के लिए देश का पहला नैतिक दिशा-निर्देश** जारी किया है।

हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI के उपयोग से जुड़े हितधारक और उनके हित	
हितधारक	**AI के उपयोग से जुड़े उनके हित**
हेल्थकेयर प्रदाता	• एक्स-रे, MRI जैसे उपकरणों से प्राप्त छवियों के विश्लेषण के माध्यम से अत्यधिक सटीक तरीके से रोग का पता लगाया जा सकता है। साथ ही, AI का उपयोग करके व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान की जा सकती हैं। • रोगी का रिकॉर्ड बनाए रखने जैसे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
फार्मास्यूटिकल उद्योग	• दवा विकास प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है और संभावित नए उत्पादों की पहचान की जा सकती है। • दवाओं और बीमारियों के बीच संभावित संबंधों तथा पैटर्न का पता लगाकर दवाओं के नए उपयोगों की पहचान की जा सकती है।
स्वास्थ्य बीमा	• प्रस्तुत दावों में विसंगतियों का पता लगाकर दावों की सत्यता की जाँच की जा सकती है। • सेवा से वंचित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
रोगी	• पहुंच और देखभाल की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकता है। • समय से पहले रोग निदान उपलब्ध और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर सकता है। • बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई (Follow-up) और बेहतर दवा प्रणाली को सुनिश्चित कर सकता है।
सरकार	• कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए तैयारी की गति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। • स्वास्थ्य क्षेत्रक में बेहतर नीति निर्माण और संसाधन आवंटन को सुनिश्चित कर सकता है।

हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI प्रौद्योगिकी के लिए ICMR द्वारा जारी नैतिक सिद्धांत

- **स्वायत्तता:** चिकित्सा से संबंधित निर्णयों में AI के उपयोग से पहले रोगी की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए।
- **सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण:** रोगियों/ प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनपेक्षित या इरादतन दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर परीक्षण, नियंत्रण तंत्र और फीडबैक तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **विश्वसनीयता:** हितधारकों के लिए AI प्रौद्योगिकियां सुगम या समझने योग्य होनी चाहिए। साथ ही, ये प्रौद्योगिकियां वैध, नैतिक, विश्वसनीय, वैज्ञानिक रूप से उचित और पारदर्शी भी होनी चाहिए।
- **डेटा गोपनीयता:** व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच तथा इसमें किसी प्रकार का संशोधन और/ या व्यक्तिगत डेटा की हानि को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकत्र किए जा रहे डेटा और इसके उपयोग के उद्देश्य पर उपयोगकर्ताओं का नियंत्रण होना चाहिए।
- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व:** इसे निवारण तंत्र और नियमित लेखा-परीक्षा की सहायता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 'ह्यूमन वारंटी' का उपयोग कर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। यह AI प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके उपयोग में रोगियों तथा चिकित्सकों के मूल्यांकन/ प्रतिक्रिया को शामिल करता है।
- **पहुंच, समता और समावेशिता:** स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए AI को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि अधिकतम संभावित समान उपयोग और पहुंच को प्रोत्साहित किया जा सके। इस पर आयु, लिंग, लैंगिकता, आय, नस्ल, जातीयता, योग्यता, यौन ओरिएंटेशन या अन्य विशेषताओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

[9] Indian Council of Medical Research/ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

आगे की राह (5E दृष्टिकोण)				
मूल्यांकन करना (Evaluate): स्वास्थ्य देखभाल में AI के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना चाहिए।	**विवरण देना (Enumerate):** हेल्थकेयर डिलीवरी में AI के इस्तेमाल में बाधक प्रमुख मुद्दों और कमियों का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।	**हितधारकों को शामिल करना (Engage):** एक समग्र समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक अंतःविषय सहयोगी रणनीति तैयार की जानी चाहिए।	**लागू करना (Enforce):** मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन की सहायता से AI के उपयोग में नैतिक नियमों को लागू किया जाना चाहिए।	**निष्पादन (Execute):** स्वास्थ्य देखभाल में AI के इस्तेमाल की स्वीकृति तथा उसकी उपयोगिता को व्यापक बनाने के लिए समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

> आखिरकार डॉक्टर्स को अपने कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम को अपनाना ही पड़ेगा। चिकित्सकीय ज्ञान व्यवस्था में यह कदम अंततोगत्वा एक नई लाभकारी स्थिति की ओर ले जाएगी: अर्थात् उन डॉक्टरों को ढूंढना और प्रशिक्षित करना जिनमें उच्चतम स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद है।
>
> — एरिक टॉपल

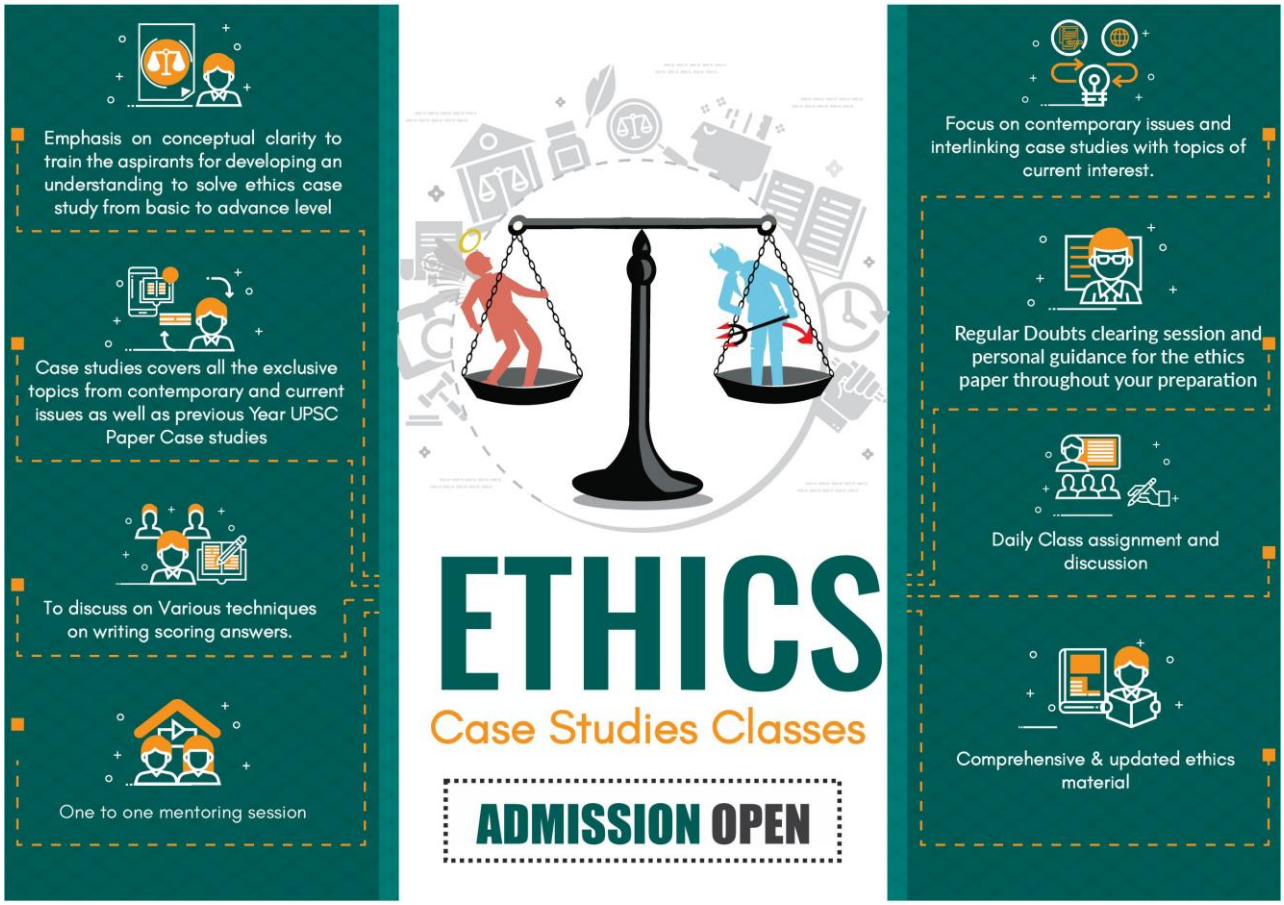

5. सोशल मीडिया और नैतिकता (Social Media and Ethics)

5.1. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति (या बोलने) की स्वतंत्रता (Freedom of Speech on Social Media)

परिचय

नोबेल पुरस्कार विजेता **मारिया रेसा** का कहना है कि **सोशल मीडिया ने झूठ के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया है।** उन्होंने कुछ सोशल मीडिया हेडलाइन्स को उदाहरण के रूप में रखा है, जैसे- "भारतीय, कोविड-19 से संबंधित मदद के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए हैं, इसलिए छोटे शहरों के ऑनलाइन संसाधनों की संख्या में वृद्धि हुई है", "लोग सोशल मीडिया पर तिरुमाला {तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD)} बाढ़ के फर्जी/ भ्रामक वीडियो पर विश्वास न करें" "यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह प्रोपेगेंडा तेज हो गया कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है" आदि। ये ख़बरें एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं जैसे कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति एक सहायक के रूप में कार्य करती है, लेकिन साथ ही साथ यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के वाहक के रूप में भी कार्य करती है।

अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत प्राप्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग सोशल मीडिया पर कई तरह से किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भावनाओं, मुद्दों और समस्याओं को व्यक्त करने के लिए **सूचनाओं का निःशुल्क साझाकरण;**
- **'कमेंट'** और **'लाइक'** जैसी सुविधाओं की सहायता से **राय को अभिव्यक्त करना;**
- **आपसी संपर्क स्थापित करना और बातचीत** करना आदि।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

उपयोगकर्ता	सेंसरशिप या प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचारों, मत और विचारधाराओं को **स्वतंत्र रूप से व्यक्त** करना।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स	स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म्स के सुरक्षित, सुगम एवं संबंधित कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए रखना।
सरकारें और विनियामकीय निकाय	**हेट स्पीच, हिंसा भड़काने** और अन्य प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कंटेंट को रोकने की आवश्यकता के साथ-साथ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करना।**
नागरिक समाज	**मुक्त और समावेशी डिजिटल व्यवस्था** को बढ़ावा देना, सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाना तथा स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने संबंधी उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण कौन से नैतिक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं?

- **गलत सूचना:** उदाहरण के लिए- कोविड-19 और टीकों जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में गलत सूचना फैलाना।
- **इंटरनेट ट्रोलिंग और भड़काऊ सामग्री:** इंटरनेट ट्रोलिंग को एक दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है। **इसमें दूसरों को आक्रामक रूप से और जानबूझकर उकसाने का कार्य किया जाता है।** "ट्रोल्स" भड़काऊ संदेशों और पोस्ट के माध्यम से **दूसरों को भड़काने, परेशान करने और नुकसान पहुंचाने का** प्रयास करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- मॉब लिंचिंग के कई उदाहरणों का स्रोत असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई भड़काऊ अफवाहें रही हैं।
- **अपमान सूचक या द्वेषपूर्ण कंटेंट (Defamatory or hateful content):** असामाजिक तत्वों की यह गलतफहमी होती है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातों के नकारात्मक परिणाम उन्हें नहीं झेलने पड़ेंगे। यह स्थिति असामाजिक तत्वों को व्यक्ति, धर्म, सामाजिक हित व राष्ट्र के संबंध में झूठी, आहत करने वाली और घृणित टिप्पणियां करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **शक्तिशाली लोगों द्वारा अनैतिक उपयोग:** उदाहरण के लिए- वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनाव में फेक न्यूज़ जैसे माध्यमों का कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर उपयोग किया गया था।
  - सोशल मीडिया पर **पेड कंटेंट** जैसे कि फर्जी फॉलोअर्स, प्रायोजित समीक्षाएं (Planted reviews) आदि उपयोगकर्ता को गुमराह करते हैं।
- **पहले से ही प्रचलित सामाजिक अलगाववादी अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करना:** नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों को और अधिक गंभीर रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।

- **मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना:** सामाजिक स्वीकृति मानव मन की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होने के कारण अपने साथियों द्वारा अस्वीकार किए जाने की भावना उत्पन्न होती है। इससे किसी व्यक्ति का आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

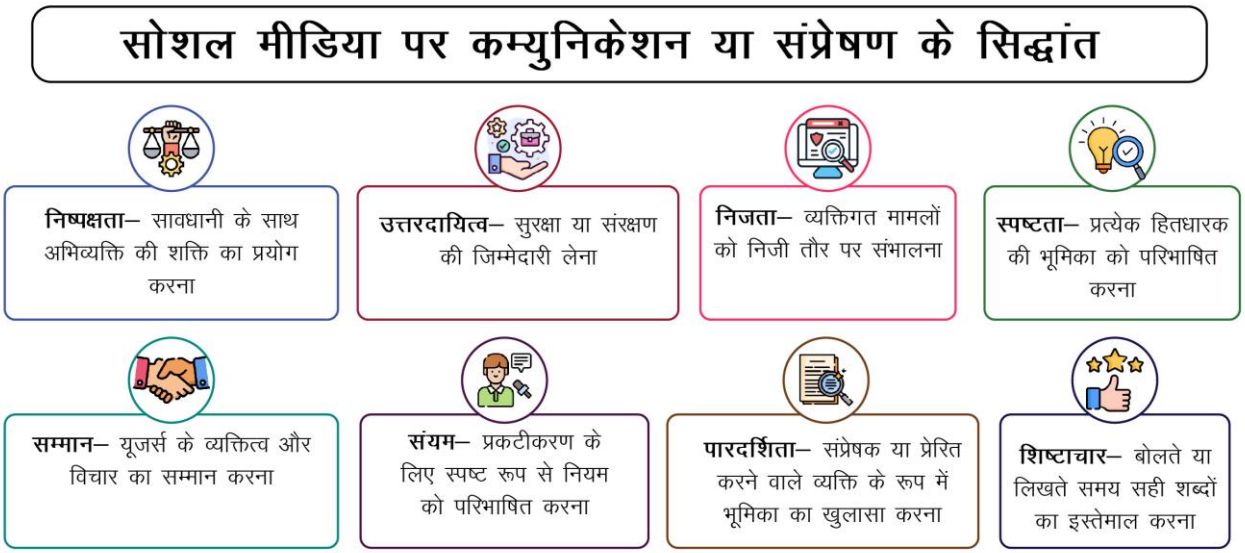

संभावित समाधान

- **उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्तरदायी तरीके से सूचनाओं का साझाकरण:** इसमें **सहिष्णुता प्रदर्शित करके, शालीनता बनाए रखकर, सामग्री को जिम्मेदारी से साझा करके** और हानिकारक एवं घृणित सामग्री को अनदेखा करके **सोशल मीडिया की स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाना शामिल** है।
- **प्लेटफॉर्म्स द्वारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाना:** अपने उपयोगकर्ताओं की ओर से उत्तरदायी, सत्यवादी और सम्मानजनक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। साथ ही, अपने उपयोगकर्ताओं की निजता की रक्षा करना प्लेटफ़ॉर्म की संरचना का हिस्सा होना चाहिए।
- **कानूनी और विनियामक फ्रेमवर्क को व्यवस्थित करना:** सरकारी प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि **विनियम मुख्य रूप से स्वैच्छिक, बहु-पक्षीय** और **यथासंभव उद्देश्यपूर्ण हों।**

> "लोगों के अधिकार कानूनों द्वारा नहीं बल्कि लोगों के नैतिक और राजनीतिक विवेक द्वारा संरक्षित होते हैं"
>
> — बी.आर. अम्बेडकर

5.2. सोशल मीडिया और सिविल सेवक (Social Media and Civil Servants)

परिचय

माननीय प्रधान मंत्री ने नए IPS पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि "सिंघम बनने का प्रयास मत कीजिए। पुलिस की वर्दी अधिकारों के अनुचित प्रयोग या धौंस जमाने के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य प्रेरणा देना है।" प्रधान मंत्री ने यह बात सिविल सेवकों की इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बनने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कही थी। इसी दौरान, IAS अधिकारी और कलेक्टर प्रशांत नायर ने अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का उपयोग करके केरल में एक झील की सफाई के लिए स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया था।

सिविल सेवक आमतौर पर सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं:

- **नागरिकों से जुड़ने के लिए:** सिविल सेवक नागरिकों के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे जनभागीदारी बढ़ सकती है, विश्वास उत्पन्न हो सकता है और संबंधित सिविल सेवक की लोकप्रियता भी बढ़ सकती है।
- **जानकारी साझा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए:** सिविल सेवकों सहित विभिन्न लोक प्राधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विवरण, अपडेटेड नीतिगत जानकारी, नियमों आदि को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए- दिल्ली यातायात पुलिस मीम्स (Memes) के जरिए यातायात नियमों एवं कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है।

- **जनता के दृष्टिकोण को समझने के लिए:** कई बार सिविल सेवक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों का फीडबैक जानने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं में जातिवाद, सांप्रदायिकता और लिंग के आधार पर व्याप्त भेदभाव (Sexism) जैसे विभिन्न मुद्दे उभर कर सामने आते हैं।
- **व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए:** आधिकारिक क्षमता से इतर, सिविल सेवक व्यक्तिगत स्तर पर इसका इस्तेमाल अपने निजी विचार रखने और अन्य कंटेंट साझा करने के लिए भी करते हैं।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

सिविल सेवक	**सरकार के वास्तविक प्रतिनिधि** और एक नागरिक के रूप में उनकी **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।**
सरकार	सिविल सेवकों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित **नीतियां, दिशा-निर्देश और मानक निर्धारित** करना।
नागरिक/ आम जन	सिविल सेवकों द्वारा साझा की गई **सूचना के बारे में आम जनता कमेंट करके,** सवाल पूछकर या सोशल मीडिया चैनलों के जरिए **सहायता मांग कर** सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकती है।
मीडिया	सिविल सेवकों की सोशल मीडिया से जुड़ी **गतिविधियों की निगरानी और उनकी रिपोर्टिंग करना।** साथ ही, उनकी पहुंच और प्रभाव में बढ़ोतरी करना।
सहकर्मी	विचारों का आदान-प्रदान करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने या प्रयासों में समन्वय लाने के लिए **अपने सहकर्मियों से जुड़ना और सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करना।**
विनियामक निकाय	**सोशल मीडिया** के उपयोग से संबंधित **दिशा-निर्देशों या नीतियों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना।**

सिविल सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित नैतिक मुद्दे

- **तटस्थता और अनामिता (Anonymity) का सिद्धांत:** सिविल सेवा मूल्यों के अनुसार, अधिकारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए और पर्दे के पीछे रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी सार्वजनिक छवि बनाने या किसी कृत्य के लिए लोगों की प्रशंसा बटोरने से बचना चाहिए। दुर्भाग्यवश सोशल मीडिया के कारण इस सिद्धांत की अवहेलना होती है।
- **सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ असंगत:** सरकार के संसदीय स्वरूप में, सरकार एवं मंत्री चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वहीं नौकरशाह केवल अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- **यह व्यक्ति की पेशेवर और निजी पहचान के बीच के अंतर को अस्पष्ट कर सकता है:** ऑनलाइन गतिविधियों को सहकर्मी, नियोक्ता और आम लोग आसानी से देख सकते हैं। इससे, सिविल सेवकों के लिए अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत गतिविधियों को अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है।
- **अनुचित आत्म-प्रचार:** कई बार सिविल सेवक प्रसिद्धि का उपयोग खुद की पब्लिसिटी के लिए करते हैं। कई सिविल सेवक अपने काम के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। इसके बाद उनके प्रशंसक और फॉलोवर्स इन पोस्ट्स का प्रचार करते हैं जिससे उन सिविल सेवकों के प्रदर्शन के संबंध में एक पब्लिक नैरेटिव तैयार होता है।

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में क्या प्रावधान हैं?

इसमें कहा गया है कि **किसी भी सेवारत सिविल सेवक को सार्वजनिक मीडिया पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो-**

- **केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हालिया नीति या कार्रवाई की नकारात्मक आलोचना** करता हो।
- **केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के संबंधों में कठिनाइयां पैदा करता हो।**
- **केंद्र सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच संबंधों में कठिनाइयां पैदा करता हो।**

संभावित समाधान

सोशल मीडिया पर सिविल सेवकों की उपस्थिति एवं उनकी भागीदारी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुछ बुनियादी मूल्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- **पहचान (Identity):** हमेशा यह ध्यान में रखें कि आप कौन हैं, विभाग में आपकी क्या भूमिका है और हमेशा मैं/ मेरा जैसे सर्वनामों का प्रयोग करते हुए पोस्ट करें। आवश्यकता पड़ने पर डिस्क्लेमर का प्रयोग कर सकते हैं।

- **प्राधिकार (Authority):** जब तक आपको अधिकार न दिया जाए तब तक कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया न दें, विशेष रूप से उन मामलों में जो न्यायालय में विचाराधीन (Sub-judice) हैं, या जो अभी ड्राफ्ट रूप में हैं या अन्य व्यक्तियों से संबंधित हैं।
- **प्रासंगिकता (Relevance):** अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर ही टिप्पणी करें तथा प्रासंगिक एवं उचित टिप्पणी करें। इससे संवाद अधिक सार्थक होगा और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
- **पेशेवर व्यवहार (Professionalism):** सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय विनम्र रहें, विवेकशील बनें और सभी का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के पक्ष में या उसके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। साथ ही, पेशेवर चर्चाओं के राजनीतिकरण से बचें।
- **खुलापन (Openness):** सभी प्रकार के विचारों या आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार रहें, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक।
- **अनुपालन (Compliance):** प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करें। बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) एवं दूसरों के कॉपीराइट का अतिक्रमण या अवहेलना न करें।
- **निजता (Privacy):** अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही अपनी निजी एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करें।

> यदि आप चाहते हैं कि आपको पसंद किया जाए, तो आप किसी भी समय किसी भी चीज़ से समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं।
>
> — मार्ग्रेट थैचर

5.3. उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता (Ethics of Influencer Endorsements)

परिचय

केंद्र ने **मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए "एंडोर्समेंट्स नो-हाउ!**[10]" शीर्षक से **एंडोर्समेंट दिशा-निर्देशों** का एक सेट जारी किया है। ये दिशा-निर्देश **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के समग्र दायरे के अधीन जारी किए गए हैं।

सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या है?

एंडोर्समेंट, **उत्पादों के विज्ञापन का एक तरीका** है। इसके तहत उत्पादों के विज्ञापन हेतु **प्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा मशहूर हस्तियों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग** किया जाता है। ऐसे लोगों की जनसामान्य के बीच ख्याति अधिक होती है तथा सामान्य जनता का ऐसे लोगों पर भरोसा अधिक होता है। साथ ही, लोगों के बीच ये सेलिब्रिटी अत्यधिक सम्मानित या लोकप्रिय होते हैं।

- **एंडोर्समेंट्स नो-हाउ!** उत्पादों के विवेकपूर्ण समर्थन अर्थात् उत्पादों के प्रचार-प्रसार से पहले उनकी जांच परख करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

ब्रांड/ कंपनियां	**मशहूर हस्तियों की पहुंच और विश्वसनीयता का लाभ** उठाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना, ताकि ब्रांड की पहचान, बिक्री में वृद्धि या ब्रांड की छवि में सुधार किया जा सके।
उपभोक्ता	ब्रांड या उत्पाद के साथ सेलिब्रिटी के जुड़ाव के चलते **उपभोक्ताओं की राय, दृष्टिकोण और खरीदारी संबंधी निर्णय प्रभावित** हो सकते हैं।
विज्ञापन एजेंसियां	यह सुनिश्चित करना कि एंडोर्समेंट ब्रांड के **मार्केटिंग उद्देश्यों के अनुरूप हो और लक्षित दर्शकों की मांग** के साथ मेल खाता हो।
मीडिया	मीडिया का प्रसार **सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के प्रभाव को व्यापक** बनाता है और ब्रांड की पहुंच में वृद्धि करता है।

[10] Endorsements Know-hows!

एजेंट/ प्रबंधक	सेलिब्रिटी की **ब्रांड इमेज का प्रबंधन करना** और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना।
विनियामक निकाय	**विज्ञापन में पारदर्शिता, सत्यता और नैतिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित** करने के लिए दिशा-निर्देश तथा नियम बनाना।
निवेशक/ शेयरधारक	**सफल एंडोर्समेंट** निवेशकों के विश्वास और स्टॉक की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के समक्ष नैतिक मुद्दे क्या हैं?

- **विश्वास के दुरुपयोग का मामला:** प्रशंसकों की इन्फ्लुएंसर के प्रति यह धारणा होती है कि वे ऐसे किसी भी चीज की अनुशंसा नहीं करेंगे जो हानिकारक या निम्न गुणवत्ता वाली हो। हालांकि, कोई भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
- **उत्तरदायित्व का अभाव:** यहां ऐसा कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है जो एंडोर्स किए गए उत्पादों की जांच-पड़ताल के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाता हो। इसके अलावा ब्रांड, सार्वजनिक रूप से उत्पाद के संबंध में उचित डेटा भी प्रदान नहीं करते हैं।
- **इन्फ्लुएंसर्स में उत्पाद की प्रकृति या गुणवत्ता की समझ का अभाव:** कभी-कभी इन्फ्लुएंसर के पास स्वयं **उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सीमित जानकारी होती है** जिसका वे प्रचार कर रहे होते हैं। गौरतलब है कि **फायर फेस्टिवल (Fyre Festival) फ्रॉड** इसका एक उदाहरण रहा है।
- **हितों का टकराव और भ्रामक मार्केटिंग:** उत्पादों का विज्ञापन यह दिखाते हुए किया जाता है कि उन्हें उपभोक्ता के लाभों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में उत्पादों का प्रचार **केवल लाभ के उद्देश्य** से किया जाता है।
- **बच्चों या किशोरों जैसे संवेदनशील समूहों को लक्षित करना:** बच्चे या किशोर, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन का **तार्किक मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं।**
- कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों या मार्केटिंग इकोसिस्टम द्वारा निर्मित **डार्क पैटर्न की पैठ में वृद्धि हो रही है।**
  - **डार्क पैटर्न** की मदद से **सॉफ्टवेयर द्वारा हेरफेर करके उपयोगकर्ताओं को ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है** जिन्हें वे नहीं चुनना चाहते हैं या ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित किया जा सकता है जो कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है।

एंडोर्समेंट्स नो-हाउ: सेलिब्रिटी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश

- **उन सभी उत्पादों या ब्रांड्स के मौद्रिक या भौतिक लाभों का प्रकटीकरण अनिवार्य है,** जिन्हें इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं।
- **जुर्माना:** अनिवार्य प्रकटीकरण में विफल रहने पर **50 लाख रुपये तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है।
- **स्पष्ट सूचना:** एंडोर्समेंट में प्रकटीकरण को सरल और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही, 'विज्ञापन', 'प्रायोजित' या 'पेड प्रमोशन' जैसे शब्दों का उपयोग सभी प्रकार के एंडोर्समेंट के लिए किया जाना चाहिए।
- **उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से विज्ञापन करना:** मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ऐसे उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं करना चाहिए, जिनकी उन्होंने यथोचित जांच-पड़ताल न की हो या जिनका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपयोग न किया हो।

संभावित समाधानों के साथ आगे की राह

- **दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन: "एंडोर्समेंट्स नो-हाउ!"** अर्थात् सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।
- **सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आचार संहिता:** इसके तहत उन पर उत्पादों की प्रामाणिकता के आकलन संबंधी अनिवार्यता तथा उन पर अपने प्रशंसकों के लिए सुरक्षित और लाभकारी उत्पादों के प्रचार-प्रसार जैसी शर्तों को लागू किया जाना चाहिए।

- **सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर समूहों द्वारा स्व-विनियमन:** इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्वयं दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के एक सेट के साथ आगे आना चाहिए। ऐसे दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण कर इन्फ्लुएंसर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके विज्ञापन/ एंडोर्समेंट नैतिक और पारदर्शी हैं।
    - उदाहरण के लिए- पी. गोपीचंद ने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के चलते ऐसे उत्पादों का विज्ञापन न करने का निर्णय लिया है।
- **आयु आधारित प्रतिबंध और पैरेंटल कंट्रोल्स को लागू करना:** इस तरह के उपाय से बच्चों या किशोरों पर भ्रामक विज्ञापनों के पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है।
- **यथोचित सरकारी जांच-पड़ताल प्रणाली का निर्माण करना:** उत्पादों या सेवाओं से संबंधित दावों की लगातार जांच करने के लिए सरकार एक समिति या फोरम का गठन कर सकती है। यह सेलिब्रिटीज पर यथोचित जांच-पड़ताल के दायित्व को निर्धारित करेगा और ब्रांड के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करेगा।

> आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, दोनों के बीच की दुविधा का समाधान निकालना ही नैतिकता है।
>
> — पॉटर स्टीवर्ट

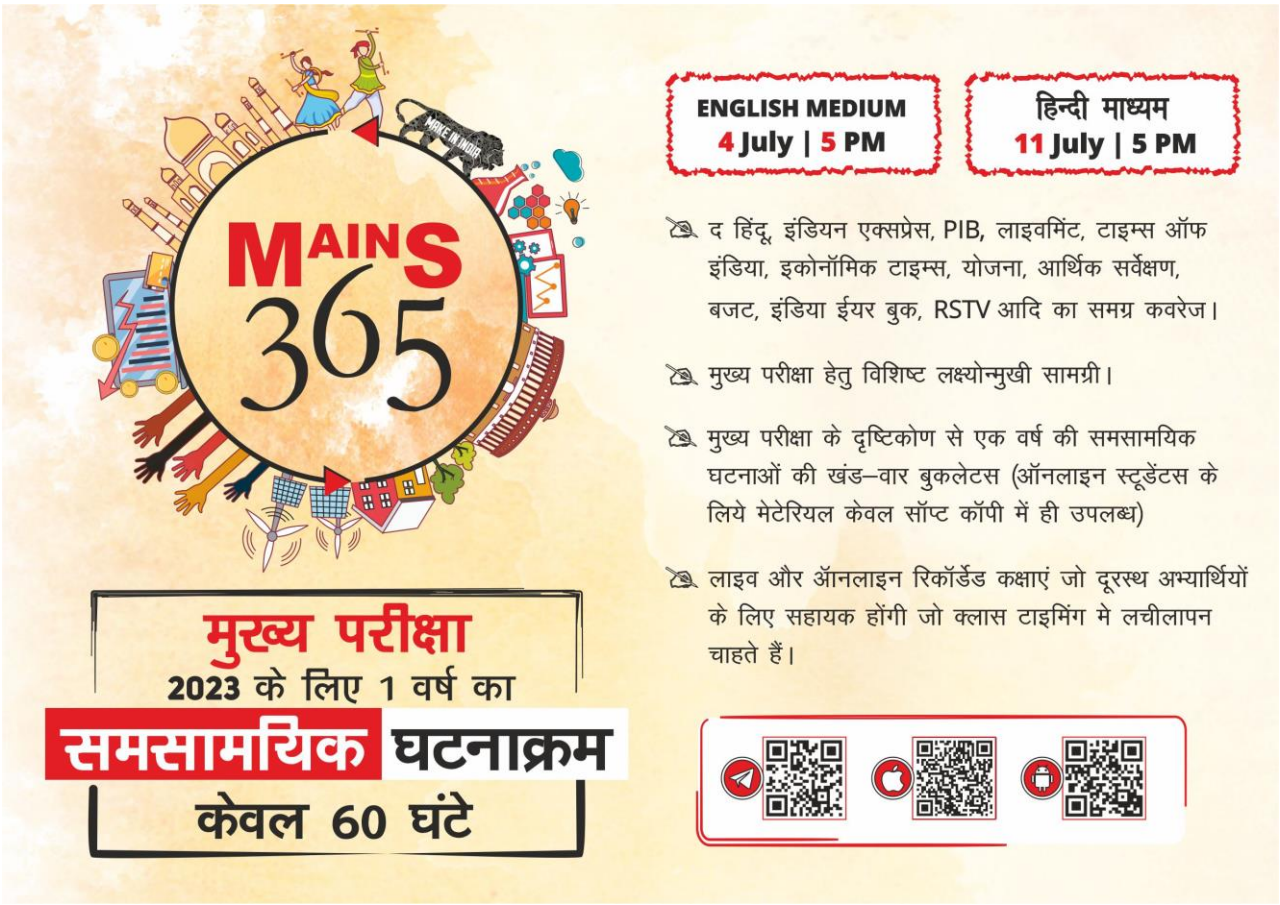

6. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वित्त-पोषण से जुड़े नैतिक मुद्दे (Ethical Issues In International Relations and Funding)

6.1. वैश्विक शासन व्यवस्था की नैतिकता (Ethics of Global Governance)

परिचय

विश्व बैंक अमेरिका को उसके दायित्वों के लिए जवाबदेह ठहरा पाने में असमर्थ रहा है। **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** ने कई अवसरों पर विकसित और विकासशील देशों पर अलग-अलग सिद्धांतों को लागू किया है। हाल ही में, **ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन, म्यांमार के रोहिंग्या संकट आदि में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले देखे गए** थे।

उक्त उदाहरण वैश्विक शासन व्यवस्था में अनैतिक/ भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली के बढ़ते मामलों को उजागर करते हैं।

ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन व्यवस्था **संस्थानों, नियमों और प्रक्रियाओं के एक सेट** की सहायता से संचालित होती है। इसका **उद्देश्य सीमा-पारीय मुद्दों का प्रबंधन करना है,** जैसे- राजनयिक संबंध, व्यापार, वित्तीय लेन-देन, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन आदि। यह **सामूहिक चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ साझा हितों के लिए कार्य** करती है। यह हमारी बढ़ती जटिल व एक-दूसरे पर निर्भर स्थिति को प्रबंधित करने हेतु आवश्यक है।

वैश्विक शासन व्यवस्था के प्रमुख हितधारक और उनके हित

संप्रभु देश	• **कई संप्रभु देश ग्लोबल गवर्नेंस में एक वैध भागीदार होते हैं और विश्व के अन्य देशों से ग्लोबल गवर्नेंस को मान्यता दिलाने में रुचि रखते हैं।** उदाहरण के लिए- कुछ वैश्विक निकायों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। • **देश अपनी संप्रभु स्वायत्तता को बनाए रखना** चाहते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जगह **राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संवृद्धि** जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
नागरिक समाज	• वे अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों और लाभों के बदले में **कुछ दायित्वों की पूर्ति** की अपेक्षा करते हैं। • इन पर **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने** और मानवाधिकार, शांति एवं पर्यावरणीय स्थिरता जैसे **वैश्विक सार्वजनिक घटकों** को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है।
वैश्विक संस्थान	• **सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके नैतिक दायित्वों के प्रति जवाबदेह** ठहराना।
निजी क्षेत्रक	• मानवाधिकारों का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने और **समाज के व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण में योगदान** देने के साथ-साथ उनके **ऊपर शेयरधारकों के लिए मूल्य को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी** होती है।
नागरिक या व्यक्ति	• व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह **जानकार एवं जागरूक नागरिक** बने और उन तरीकों को अपनाए जो समाज के अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देते हों।

ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन व्यवस्था के समक्ष नैतिक मुद्दे

- **जवाबदेही तंत्र का अभाव: दुनिया भर में साझा जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति** के कारण यह और जटिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम वैश्विक शासन व्यवस्था के भागीदारों को **दायित्व प्रदान करने में विफल** रहे हैं।
- **विभेदकारी:** बनाए गए नियम सभी के लिए समान नहीं हैं। नियम बनाने वालों और जिन पर इन्हें लागू किया जा रहा है, दोनों के हितों के बीच व्यापक अंतर मौजूद है।
- **पक्षों का अलग अलग मत/ विचार (Polarizing Narratives):** वैश्विक शासन व्यवस्था को मतभेद की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसे लेकर **अपेक्षाओं में अंतर बढ़** रहा है। **उदाहरण के लिए- जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं** में, साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।
- **कुछ देशों का अल्प प्रतिनिधित्व:** वैश्विक संस्थाओं पर शक्तिशाली देशों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके **परिणामस्वरूप** अक्सर **ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो सभी देशों या लोगों के हितों या मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।**
  - **उदाहरण के लिए-** विकासशील देश अक्सर तर्क देते हैं कि **वैश्विक व्यापार समझौते** में WTO प्रणाली विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के हितों को प्राथमिकता देती है।

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन: अलग-अलग मामलों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग को अनदेखा किया जाता है।** ऐसा विचारों में अंतर और हितों के टकराव के कारण किया जाता है। इसके अलावा, मानवाधिकारों के एक सार्वभौमिक सेट के क्रियान्वयन के लिए वैश्विक शासी निकायों के पास कोई **प्रवर्तन तंत्र मौजूद नहीं** है।

संभावित समाधान

- **जवाबदेही तंत्र को स्थापित करना: जवाबदेही और निगरानी से जुड़े उपायों को लागू करने के लिए** वैश्विक शासी निकायों को **अधिक अधिकार** दिए जाने चाहिए। जवाबदेही तंत्र की समीक्षा का काम **तटस्थ पक्षों को सौंपा जा सकता है।**
- **विधि के शासन को बनाए रखना:** वैश्विक निकायों में शासन व्यवस्था **विधि के शासन** और नीति निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। यह नीति निर्माण **व्यापक भागीदारी दृष्टिकोण** के अनुसार आम सहमति से किया जाना चाहिए।
- **संवाद आधारित** एक ऐसे **दृष्टिकोण** को अपनाया जाना चाहिए जो **प्रत्येक पक्ष की चिंताओं** को दूर करता हो।
- सभी हितधारकों की **समावेशिता और भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** वित्त-पोषण जैसे आर्थिक मानदंडों के बजाय **एक देश, एक वोट** जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
- एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए **मानवाधिकारों को बनाए रखना अनिवार्य बनाया जा सकता है।** मानवाधिकारों के संबंध में एक **साझा न्यूनतम आचार संहिता** बनाई जा सकती है।

> एक सक्षम वैश्विक शासन व्यवस्था कोई विलासिता नहीं है बल्कि मौजूदा दौर में परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए एक आवश्यकता है, जहां किसी एक राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य का किसी दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ सकता है।
>
> — कोफी अन्नान

6.2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्संबंधों से जुड़ी नैतिकता (Ethics of International Interactions)

परिचय

मौजूदा दौर में कोविड-19 के प्रकोप ने संसाधनों की उपलब्धता और राष्ट्रों के मध्य अंतःक्रिया (या बातचीत) से संबंधित वैश्विक वास्तविकताओं को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। महामारी जनित आघात ने अनेक भावी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दुविधाओं को उजागर किया है जैसे कि टीकों तक पहुँच पर राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय बहस अथवा देशों के अधिकार और अन्य देशों के प्रति विकसित देशों के उत्तरदायित्व।

राष्ट्रों के मध्य अंतर्संबंधों से जुड़ी नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कहते हैं। इस मौजूदा दौर में, यह नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक आपात स्थितियों के प्रबंधन और मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

राज्य और सरकारें	राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक समृद्धि, वैश्विक मंच पर प्रभाव तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मूल्यों और हितों को बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	शांति एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और बहुपक्षीय वार्ता एवं समझौतों को सुगम बनाना।
गैर सरकारी संगठन (NGOs)	जागरूकता बढ़ाना, सहयोग एवं सहायता प्रदान करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करना तथा वैश्विक स्तर पर नीति एवं निर्णयन प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक क्रिया से संबंधित नैतिक मुद्दे

- **युद्ध और सशस्त्र संघर्ष:** बल प्रयोग, सैन्य हस्तक्षेप और सशस्त्र संघर्ष के संबंध में नैतिक मुद्दे उठते रहे हैं।
- **वैश्विक आर्थिक असमानता:** राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के भीतर मौजूद आर्थिक असमानता कई नैतिक चिंताओं का कारण बनती है। **इसमें शामिल है:** अनुचित व्यापार प्रथाएं, श्रमिकों का शोषण, संसाधनों तथा अवसरों तक असमान पहुंच इत्यादि।

- **पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन:** नैतिक दुविधाएं तब सामने आती हैं जब किसी एक राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह की गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण होता है और इसके चलते वैश्विक स्तर पर लोगों तथा पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **शरणार्थी और प्रवासन संकट:** शरणार्थियों और प्रवासियों के साथ होने वाला व्यवहार उनके अधिकारों, सम्मान और राष्ट्रों द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता तथा सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी के मामले में नैतिक चिंताओं को उजागर करती है।
- **हथियारों का प्रसार:** हथियारों के व्यापार और इनके प्रसार से हथियारों को प्राप्त करने की होड़ बढ़ जाती है। इसके कारण संघर्ष आरंभ हो जाता है और अंततः मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावनाओं में बढ़ोतरी होती है।
- **साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याएं:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ ही साइबर सुरक्षा, निजता और डेटा के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग को लेकर नैतिक चुनौतियां उभर रही हैं।
- देशों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और आवश्यक दवाओं की असमान उपलब्धता, **स्वास्थ्य समानता को प्रभावित** करती हैं।

संभावित समाधान

- **बहुलवाद (Pluralism):** देशों को किसी-न-किसी स्तर पर सहयोग करना होगा क्योंकि मानवीय अस्तित्व सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
- **अधिकार और उत्तरदायित्व:** यह विचार इस बात पर बल देता है कि सभी देशों (विशेषकर विकसित देशों) की जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां रहने वाले सभी वैश्विक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें।
- **निष्पक्षता:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी और नैतिक अंतर्संबंधों के लिए पारस्परिकता, राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार आदि आवश्यक हैं।

> "हमारे धर्म अलग–अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग–अलग हो सकती हैं, त्वचा का रंग अलग–अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी एक ही मानव जाति के हैं।"
>
> — कोफी अन्नान

6.3. युद्ध की नैतिकता (Ethics of War)

परिचय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग **8,000 नागरिक मारे जा चुके हैं तथा 13,000 नागरिक घायल** हुए हैं। गौरतलब है कि यह स्थिति युद्ध की नैतिकता के महत्त्व को उजागर करती है।

युद्ध संबंधी नैतिकता का उद्देश्य व्यक्तियों और देश दोनों के लिए सही और गलत के निर्धारण में मदद करना है। इसके अलावा, मूलभूत रूप से सरकार और व्यक्तिगत कार्रवाई के संबंध में सार्वजनिक नीति पर बहस/ चर्चा को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।

युद्ध के प्रमुख हितधारक और उनके हित

नागरिक	ये युद्ध को समाप्त करने के पक्षधर होते हैं, हालांकि आदर्श रूप से यह उनके राष्ट्रीय हित से जुड़ा होता है।
देश	जिन कारणों से युद्ध लड़ा गया हो उन्हें पूरा करना यानी क्षेत्रीय विवाद को हल करना या अन्य सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय	संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए **मानवीय सहायता, राजनयिक सहायता का प्रयास या शांति स्थापना के प्रयासों में सहयोग** करना।
सैनिक	सैनिक अपने **राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन** और अपने देश की रक्षा करते हैं।
मीडिया और पत्रकार	इनके द्वारा किए जाने वाले कवरेज युद्ध के प्रति **धारणाओं, विचारों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को प्रभावित** कर सकते है।
निगम, उद्योग और वित्तीय संस्थान	संघर्ष के परिणामस्वरूप इन्हें **आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े व्यवधान,** निवेश की हानि या बाज़ार स्थितियों में बदलाव का सामना करना पड़ता है।

युद्ध से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **मानव जीवन की क्षति:** आम नागरिकों को अविवेकपूर्ण तरीके से जानबूझकर या अनजाने में निशाना बनाना नैतिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
- **नैतिक समानता का ह्रास:** युद्ध में अक्सर शत्रु के साथ किया जाने वाला अमानवीय व्यवहार, सैनिकों द्वारा एक-दूसरे के अनुभव और व्यवहार नैतिक चुनौतियों में शामिल होते हैं।
  - कई बार, युद्धबंदियों को अपमानित और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
- **नकारात्मक दीर्घकालिक परिणाम:** युद्ध दीर्घकालिक समस्याओं, जैसे- विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और आर्थिक अस्थिरता आदि का कारण बन जाते हैं।
- **युद्ध संबंधी अपराध और अत्याचार:** यातना, बलात्कार, गैर न्यायोचित तरीके से हत्या करना और नरसंहार जैसे युद्ध अपराधों को अंजाम देना एक गंभीर नैतिक चिंता का विषय है।
- **सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग के परिणाम:** सामूहिक विनाश के हथियार व्यापक पैमाने पर होने वाले विनाश और निर्दोष लोगों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अतः इनका विकास करना, इनको रखना और इनका उपयोग करना व्यापक नैतिक चिंताएं पैदा करता है।
  - **उदाहरण के लिए-** क्लोरीन, फॉस्जीन (दम घोंटने वाली गैस) और मस्टर्ड गैस (त्वचा में दर्दनाक जलन पैदा करने वाली गैस) जैसे **जैव-रासायनिक हथियारों** ने लोगों एवं क्षेत्रों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है।
- **असैन्य अवसंरचना का नुकसान:** अस्पतालों, स्कूलों और आवश्यक सुविधाओं जैसी असैन्य अवसंरचना के विनाश के गंभीर मानवीय दुष्परिणाम हो सकते हैं।
- **हथियारों की होड़:** युद्ध वैश्विक हथियारों की होड़ को जन्म दे सकते है जिसके चलते संघर्षों को जारी रखने में सहयोग मिलता है।

युद्ध से संबंधित दुविधाएं

- **हिंसा का औचित्य:** देश राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु युद्ध करते हैं लेकिन इसके कारण कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे मामले में साध्य वास्तव में साधन को उचित ठहरा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग का मामला।
- **सुरक्षात्मक और निवारक युद्ध (Pre-emptive and Preventive Wars):** यह निर्णय लेना कि संभावित खतरे को रोकने के लिए सुरक्षात्मक या निवारक युद्ध शुरू करना किन स्थितियों में नैतिक रूप से उचित है, एक विवादास्पद विषय है। वास्तव में दुविधा यह निर्धारित करने में है कि भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वर्तमान में बल का उपयोग कब उचित है।
- **सैन्य उद्देश्यों और मानवीय चिंताओं को संतुलित करना:** सैन्य कमांडरों और नीति निर्माताओं पर आम नागरिकों को कम नुकसान पहुंचाने वाले दायित्व एवं सैन्य उद्देश्यों को संतुलित करने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है।

संभावित समाधान

न्यायोचित युद्ध एक अवधारणा है जो युद्ध में शामिल होने के नैतिक औचित्य को निर्धारित करने के लिए मानदंडों और सिद्धांतों की रूपरेखा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में कभी-कभी आवश्यक बल के उपयोग को मान्यता देने के साथ-साथ न्याय, समानुपातिकता और गरिमापूर्ण मानव जीवन के सिद्धांतों को संतुलित करना है। इसमें शामिल है:

- **समानुपातिकता के सिद्धांत को बनाए रखना:** इसके लिए जरूरी है कि सैन्य कार्रवाई से होने वाला नुकसान, वांछित सैन्य उद्देश्य की तुलना में अधिक न हो।
- **विभेदीकरण:** दोनों पक्षों को सैनिकों और गैर-सैनिकों के बीच अंतर करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून** का पालन करके **युद्ध संबंधी अपराधों को नियंत्रित** करना चाहिए।

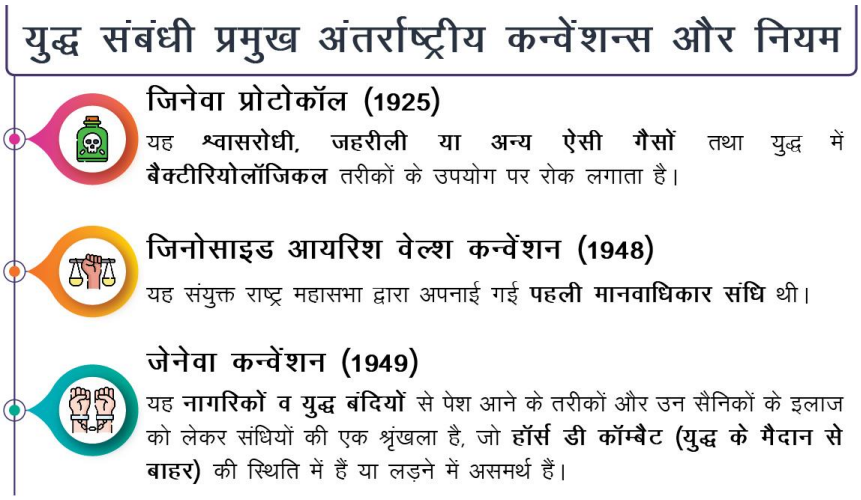

- **युद्धबंदियों के लिए जिनेवा कन्वेंशन का पालन करना:** युद्धबंदियों (सैनिक या आम नागरिक) के साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए।

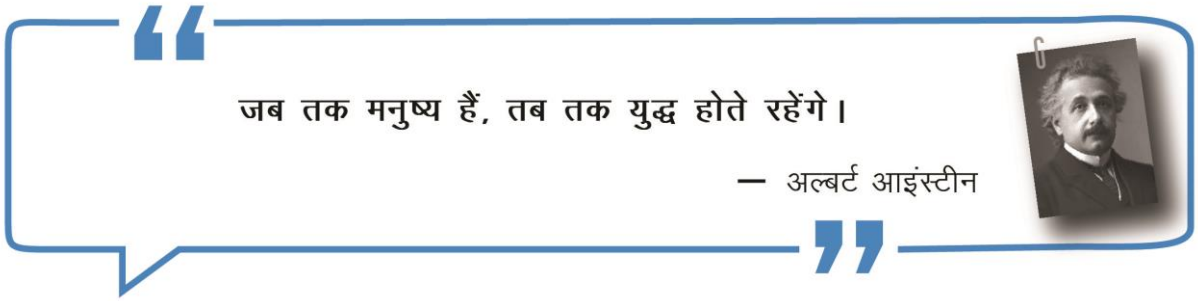

6.4. प्रवासन से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Migration)

परिचय

हाल ही में, विश्व बैंक ने **वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2023** जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन और शरणार्थियों का अवलोकन कर एक **एकीकृत ढांचे को प्रस्तुत** किया गया है। यह **ढांचा प्रवासन के गंतव्य देशों और स्रोत देशों तथा स्वयं प्रवासियों (Migrants) और शरणार्थियों (Refugee) अर्थात् सभी पर सीमा-पार आवाजाही से जुड़े सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने के लिए** प्रस्तुत किया गया है।

प्रवासन को विश्व में **परिसंपत्ति और दायित्व (या बोझ) दोनों** रूपों में देखा जाता है। परिसंपत्ति के रूप में प्रवासन का उपयोग करने और इससे जुड़े दायित्व से बचने के लिए दुनिया भर के देश **अपनी सहूलियत के अनुसार नीतियां और कानून** बनाते हैं। हालांकि, ऐसी नीतियों में अक्सर **नैतिक सिद्धांतों का अभाव** होता है।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

व्यक्ति (Individual)	**व्यक्ति** सामान्यतः बेहतर जीवन की तलाश में अपने मूल निवास को छोड़ता है।
मूल/ स्रोत देश (Origin Country)	प्रवासन के चलते जहां एक ओर मूल देश को **विप्रेषण (रेमिटेंस)** प्राप्त होता है तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से योग्य लोगों के प्रवास के चलते मूल देशों को **प्रतिभा पलायन** का भी सामना करना पड़ता है।
गंतव्य देश (Destination Country)	अधिकांश देश **केवल ऐसे प्रवासियों और शरणार्थियों** को स्वीकार करना चाहते हैं, जो **उपयोगी/ कुशल** हैं। साथ ही, ये देश एक **निश्चित सीमा** के बाद प्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इससे देश की **जनसांख्यिकीय स्थिति** बिगड़ सकती है तथा **संसाधन का उपयोग** पैटर्न नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है।
बचाव दल के लिए (For Rescuers)	बचाव दल जहां एक ओर **जरूरतमंद लोगों की मदद करने की मानवीय आवश्यकता** से बंधे होते हैं तो दूसरी ओर उन्हें **हिंसा के लिए जिम्मेदार राज्य और मानव तस्करों का सहभागी** मान लिया जाता है क्योंकि वे प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा-पार कराने में मदद करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organization)	**इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)** जैसे संगठन इस बात की निगरानी करते हैं कि प्रवासी जहां रहते हैं, वहां उनके अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा हो।

सीमा-पार प्रवासन से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **मानवाधिकारों एवं मानवीय गरिमा का उल्लंघन:** प्रवासियों को अक्सर शोषण, दुर्व्यवहार और भेदभाव सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।
- **निष्पक्षता और समान व्यवहार की कमी:** शरणार्थी नीतियां उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं। यही कारण है कि विकसित देशों द्वारा कुशल कार्यबल के प्रवासन को तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन संकटग्रस्त प्रवासन और शरणार्थियों को हतोत्साहित किया जाता है।

- **सामाजिक भेदभाव:** प्रवासियों को अक्सर हाशियाकरण, संसाधनों तक असमान पहुंच और सीमित अवसरों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **जलवायु संबंधी शरणार्थियों को मान्यता न मिलना:** जलवायु संबंधी शरणार्थियों को शरणार्थी के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त करने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **उच्च आय वाले देशों के अस्थायी श्रम प्रवासन कार्यक्रम (Temporary labour migration programs: TLMP):** ऐसे प्रवासी श्रमिकों को अक्सर बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं। इससे राष्ट्रीयता या प्रवासन स्थिति के आधार पर असमानताओं और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।

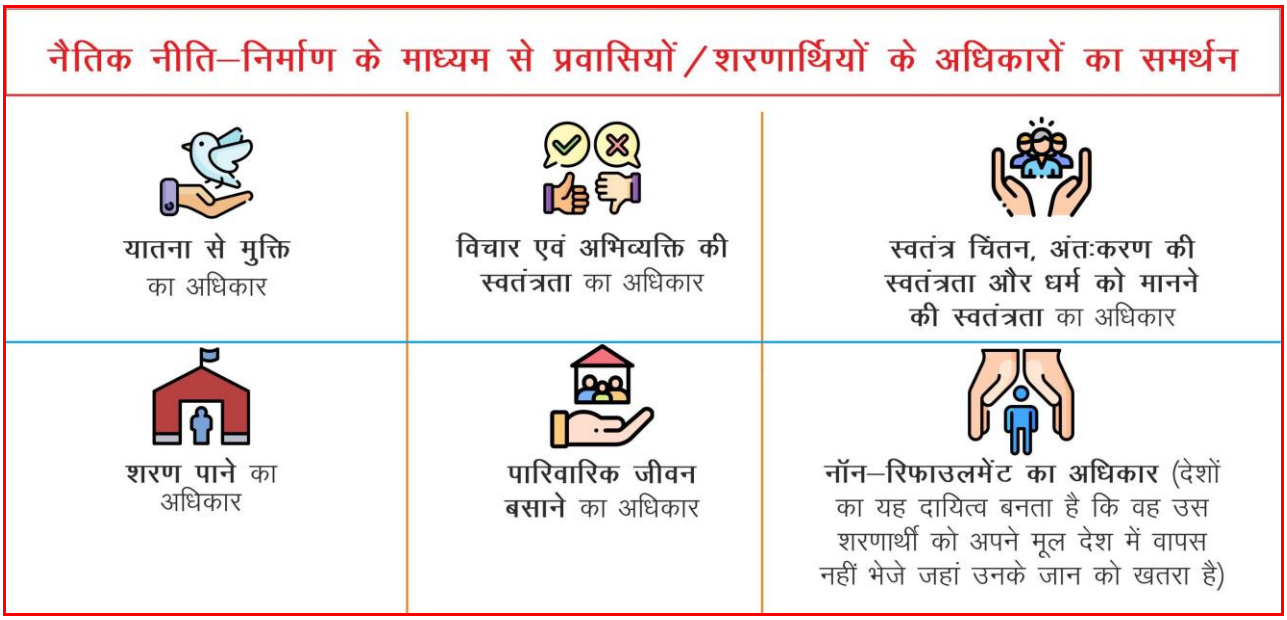

संभावित समाधान

- **समानता और गैर-भेदभाव:** राज्यों (सरकारों) को **कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन** आदि में लोगों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव और असमान व्यवहार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहिए।
- **मानवाधिकारों का सम्मान:** राष्ट्रों को **प्रवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचना** चाहिए। इसमें प्रवासियों की **मनमाने तरीके से गिरफ्तारी, यातना या सामूहिक निष्कासन जैसी कार्रवाइयों से बचना** शामिल हैं।
- **भागीदारी और समावेशन:** प्रासंगिक सार्वजनिक नीति निर्माण में प्रवासियों से परामर्श करना और उन्हें इसमें शामिल करना चाहिए।
- **जन-केंद्रित दृष्टिकोण:** इसके अनुसार प्रवासी और शरणार्थी ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्हें अक्सर कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। इसलिए उनके साथ **उचित एवं मर्यादित व्यवहार करना चाहिए।**
- **जवाबदेही और विधि का शासन: प्रवासन को शासित करने वाली प्रणाली/ नीति के तहत** प्रवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निवारण और उपचार प्रदान करने के साथ-साथ न्याय तक पूर्ण पहुंच के अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रावधान होने चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित व्यक्तियों को **चिन्हित** किया जाना चाहिए और उन्हें **सुरक्षा प्रदान** की जानी चाहिए।

> "प्रवासन कोई ख़तरा नहीं बल्कि प्रवासियों एवं जिस समाज में वे जुड़ने जा रहे हैं, दोनों के लिए एक अवसर है। यह एकीकरण बढ़ाने, समझ पैदा करने और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का एक मौका है।"
>
> — एन्जेला मार्केल

6.5. नैतिकता और जलवायु परिवर्तन (Ethics and Climate Change)

परिचय

COP26 के तहत दो सप्ताह की लंबी बातचीत के बाद **ग्लासगो** में पक्षकार देशों द्वारा **ग्लासगो जलवायु समझौते (Glasgow Climate Pact)** पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इस समझौते में जो वादे किए गए हैं, उन्हें लेकर न तो विश्व के अग्रणी नेता और न ही जलवायु विशेषज्ञ संतुष्ट हैं। जलवायु वार्ताओं में विद्यमान कमी या अंतराल और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गंभीरता का अंदाजा वैश्विक नेताओं की राय से लगाया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन को हमेशा एक पर्यावरणीय या भौतिक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नैतिक मुद्दों में भी निहित है।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

सरकारें	पर्यावरण की रक्षा करना, नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना, **भू-राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना** और पेरिस समझौते जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।
अंतर-सरकारी संगठन	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, बातचीत और समझौतों को सुगम** बनाना, वैश्विक लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करना और विकासशील देशों के क्षमता निर्माण में सहयोग करना।
व्यवसाय और निगम	जलवायु से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना, **संधारणीय कार्य पद्धतियों को अपनाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।** नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं को तलाशना और उभरती हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में पूंजीगत निवेश करना।
स्थानीय समुदाय	आजीविका की रक्षा, **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, स्वच्छ वायु और जल की उपलब्धता।** बदलती परिस्थितियों के साथ अनुकूलन और समुदाय की भलाई को प्रभावित करने वाले नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेना।
देशज लोग	अधिकारों की रक्षा, **पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का संरक्षण तथा जलवायु निर्णयन प्रक्रियाओं** तक अपनी बात पहुंचाना।
युवा और भावी पीढ़ियां	संधारणीय और जीवन जीने योग्य भविष्य, **जलवायु कार्रवाई की मांग करना और युवा तथा भावी पीढ़ियों के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाली महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों का समर्थन** करना।
वैज्ञानिक समुदाय	**अनुसंधान करना, ज्ञान साझा करना, जलवायु मॉडल में सुधार करना** और साक्ष्य-आधारित जलवायु नीतियों का समर्थन करना।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **विभिन्न क्षेत्रों और आबादी पर असंगत प्रभाव:** विकासशील देश और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर अपनी सुभेद्यता तथा अनुकूलन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण जलवायु प्रभावों का व्यापक प्रभाव झेलना पड़ता है।
- **जलवायु संबंधी प्रवास और विस्थापन:** जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवास और विस्थापन से लोगों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उनकी गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **जिम्मेदारियों का असमान वितरण:** ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में औद्योगिक देशों ने सबसे अधिक योगदान दिया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण रहा है तथा इसके नकारात्मक प्रभावों का सामना हर किसी को करना पड़ता है।
- **देशज लोगों के लिए जलवायु न्याय:** जलवायु परिवर्तन देशज लोगों की भूमि से जुड़ी आजीविका, संस्कृति, पहचान और जीवन के तरीकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
- **तकनीकी असमानता:** जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों तक पहुंच सभी देशों तथा समुदायों के लिए एक समान नहीं है।

संभावित समाधान

सदस्य देशों और अन्य हितधारकों को उचित निर्णय लेने और प्रभावी नीतियां लागू करने में मदद करने के लिए **यूनेस्को ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में नैतिक सिद्धांतों के एक घोषणा-पत्र (Declaration of Ethical Principles) को अपनाया है:**

- **ह्रास/ क्षति की रोकथाम हेतु:** जलवायु परिवर्तन के परिणामों का बेहतर अनुमान लगाने और जलवायु परिवर्तन का शमन करने तथा उसके अनुकूल और प्रभावी नीतियों को लागू करना।
- **एहतियाती दृष्टिकोण:** निश्चित वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम करने या शमन करने के उपायों के अंगीकरण को स्थगित नहीं करना।
- **समानता और न्याय:** जलवायु परिवर्तन का इस तरह से प्रबंधन करना जिससे न्याय और समानता की भावना के अनुरूप सभी को लाभ मिले।
- **संधारणीय विकास:** अधिक न्यायपूर्ण और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हुए (जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला हो) अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संधारणीय संरक्षण को संभव बनाने वाले विकास के लिए नए मार्गों को अपनाना।
- **एकजुटता:** विशेष रूप से अल्पविकसित देशों (LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों और समूहों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सहायता करना।
- **निर्णयन प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान और सत्यनिष्ठा को अपनाना:** जोखिम के पूर्वानुमान सहित, निर्णय लेने में बेहतर सहायता के लिए विज्ञान और नीति के बीच अंतर्संबंध और प्रासंगिक दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना।

> जलवायु परिवर्तन संबंधी विचार–विमर्श के मूल में नैतिकता और समानता समाहित होनी चाहिए। हमें इस विचार–विमर्श में जलवायु परिवर्तन के विषय से आगे बढ़ते हुए जलवायु न्याय की ओर जाना होगा।
>
> — नरेंद्र मोदी

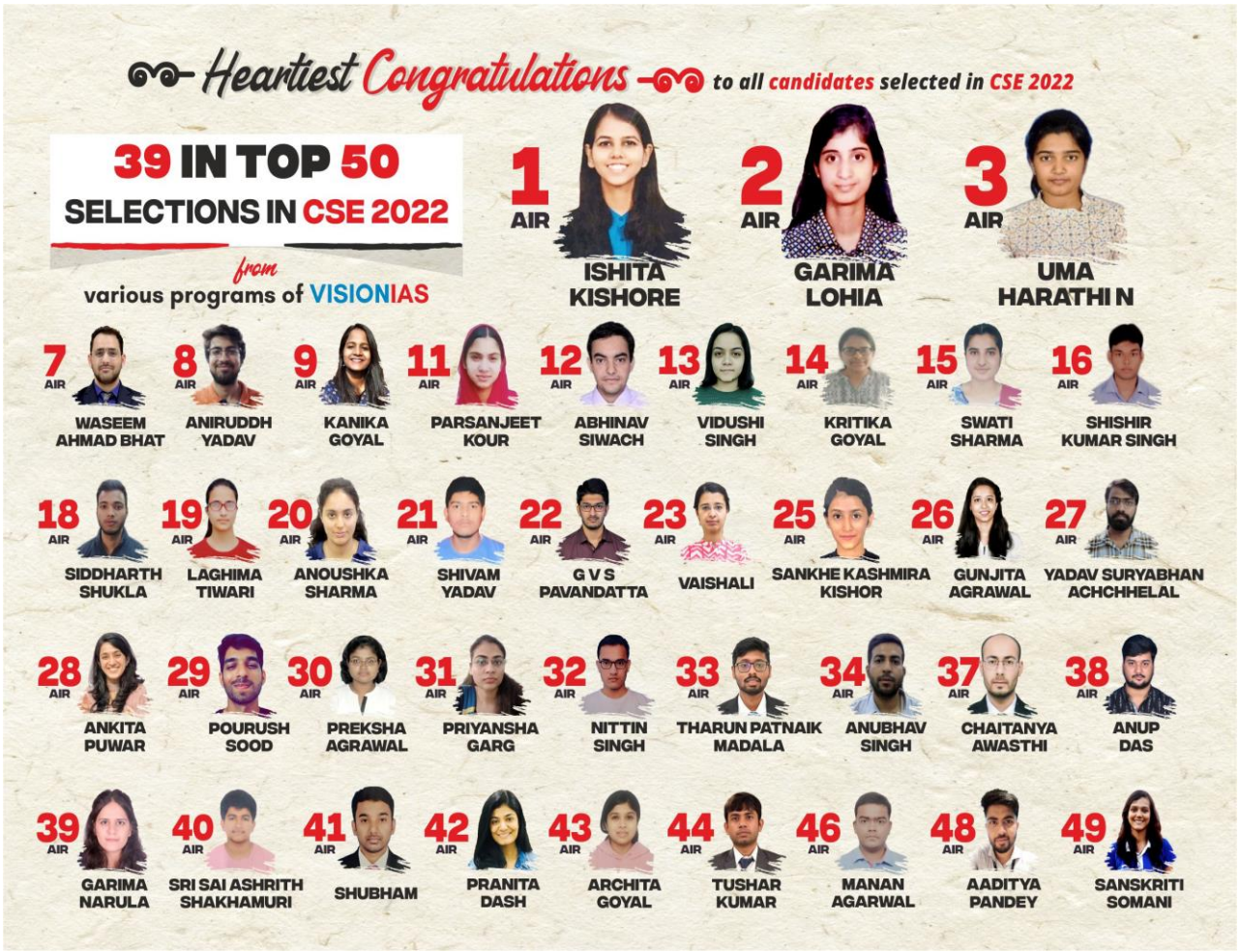

7. विविध (Miscellaneous)

7.1. संज्ञानात्मक असंगति अथवा मानसिक द्वंद्व (Cognitive Dissonance)

परिचय

सेंट पीटर्सबर्ग की रैली में शामिल 48 वर्षीय दिमित्री माल्टसेव के मन में यह अंतर्द्वन्द्व चल रहा था, कि इस कठिन समय में उसे अपने देश का समर्थन करना चाहिए या मानवतावादी दृष्टिकोण से यूक्रेनी लोगों की दुर्दशा को समझने हेतु प्रयास करना चाहिए। ऐसी संज्ञानात्मक असंगति अथवा अंतर्द्वन्द्व कोई दुर्लभ बात नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों से लेकर व्यवसायियों तक सभी लोगों को ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

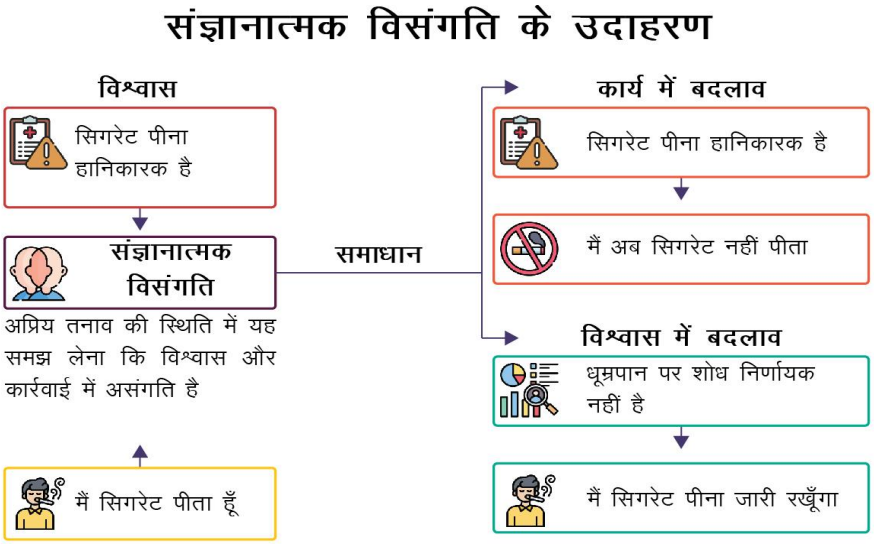

हाल ही में, कई चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन दवाओं के प्रयोग और निदान को रोकने एवं बीच बचाव करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया है जो कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त हैं। यह निम्नलिखित मुद्दों के कारण चिकित्सकों द्वारा लगातार सामना की जाने वाली संज्ञानात्मक असंगति का परिणाम रहा है:

- सीमित प्रभावकारिता वाली दवाओं का उपयोग;
- उच्च लागत वाली दवाएं;
- दवाओं की कालाबाजारी आदि।

संज्ञानात्मक असंगति अथवा मानसिक द्वंद्व क्या है?

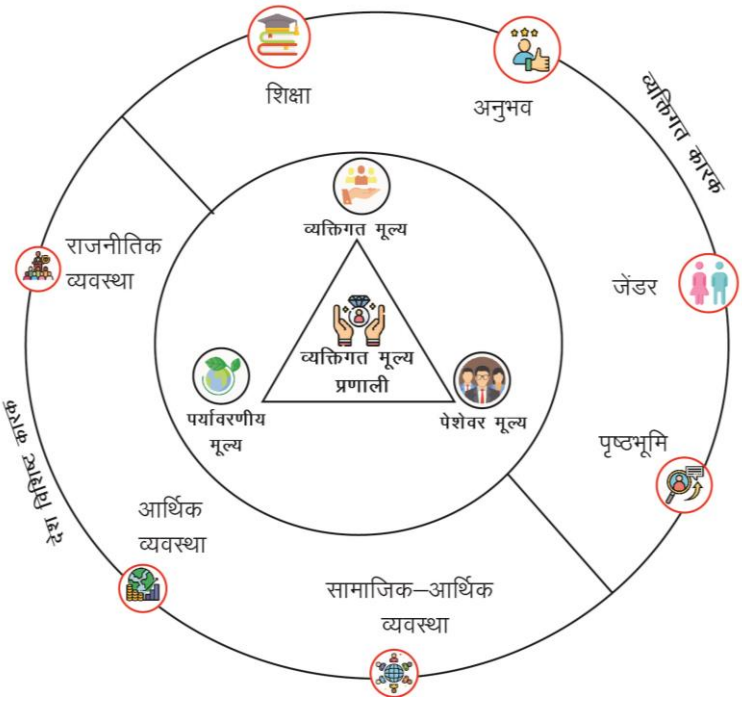

- संज्ञानात्मक असंगति को आम तौर पर 'मानसिक द्वंद्व या अशांति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः किसी व्यक्ति के **विचारों के द्वन्द्वात्मक स्थिति में होने पर** परिलक्षित होता है तथा ऐसी स्थितियां सामान्यतः उसके **व्यवहार/ कार्यप्रणाली तथा उसकी मान्यताओं के मध्य विपरीत संबंधों को दर्शाती हैं।**
- इसके दो प्रकार हो सकते हैं जैसे-
  - **पूर्वानुमानित/ प्रत्याशित असंगति (Anticipated Dissonance),** यानी वास्तविक नैतिक उल्लंघन से पूर्व अपेक्षित अनैतिक कृत्य।
  - **अनुभवजन्य/ अभिज्ञ असंगति (Experienced Dissonance),** यानी, किए गए व्यवहार/कार्यप्रणाली के बाद अनैतिक कृत्य या अपराध बोध का अनुभव होना।
- निम्नलिखित लक्षण **संज्ञानात्मक असंगति की पहचान हेतु एक चिन्हक के रूप में कार्य करते हैं-**
  - कुछ करने या निर्णय लेने से पहले **असहज महसूस करना।**

- आपने जो **निर्णय** लिया है या जो **कार्य** किया है, उसको **सही या युक्तिसंगत ठहराने की कोशिश करना।**
- आपने जो कुछ किया है उसके लिए **शर्मिंदा महसूस करना और अपने कार्यों को अन्य लोगों से छिपाने की कोशिश करना।**
- अतीत में आपने जो कुछ किया है उसको लेकर **अपराधबोध या खेद का अनुभव करना।**

संज्ञानात्मक असंगति से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **नैतिक दुविधाएं:** व्यक्तिगत मूल्य और व्यावसायिक दायित्वों के मध्य टकराव से आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **निर्णय-निर्माण की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव:** व्यक्तिगत विश्वासों और व्यवहारों के बीच असंगतता के कारण पैदा होने वाले व्यवधानों को कम करने हेतु व्यक्ति अपने अनैतिक कार्यों को तर्कसंगत या उचित ठहरा सकते हैं।
- **भरोसे और विश्वसनीयता का ह्रास:** व्यक्तिगत व्यवहारों और मूल्यों के बीच मौजूद असंगतता को दूर करने के लिए व्यक्ति कपटपूर्ण कृत्यों में शामिल हो सकते हैं।
- **दीर्घावधि में नैतिक ह्रास:** संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति में लंबे समय तक रहने से, व्यक्ति में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों से समझौता करने की प्रवृति बढ़ सकती है। इससे अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों के बड़े समूह में संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति उत्पन्न होने से दृष्टिकोण में ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और शत्रुता में वृद्धि हो सकती है।

संज्ञानात्मक संगति (Cognitive consistency): संज्ञानात्मक संगति का अर्थ है कि अभिवृत्ति या अभिवृत्ति तंत्र के दो घटकों, पक्षों या तत्वों को एक दिशा में होना चाहिए। प्रत्येक तत्व को तार्किक रूप से एक समान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक असुविधा या अशांति का अनुभव करता है अर्थात् अभिवृत्ति तंत्र में 'कुछ न कुछ बहुत ठीक नहीं है'।

संभावित समाधान

- **संज्ञानात्मक संगति का सिद्धांत (Principle of cognitive consistency):** व्यक्तिगत स्तर पर अलग-अलग आयामों, विश्वासों और विचारों से संबंधित लागत-लाभ अनुपात का पुनर्मूल्यांकन करके, व्यवहार में बदलाव करके अथवा व्यक्तिगत संज्ञान (Cognition) को कम महत्त्व देकर इस तरह की असंगति को दूर किया जा सकता है।
- **समस्याओं की पहचान करना:** पेशेवर और उच्चतर स्तर पर, समस्याओं की पहचान करने और इसके समाधान के लिए संस्थागत कदम उठाने हेतु **बाहरी हस्तक्षेप** की आवश्यकता होती है।
- **प्रभावी नेतृत्व:** सार्वजनिक तौर पर प्रचलित किसी भी सामूहिक संज्ञानात्मक असंगति के समाधान के लिए साझा उपाय खोजने हेतु नेताओं, सिविल सेवकों और विशेषज्ञों में आम लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए।

> "निर्णय लेते समय दुविधा होने की स्थिति में सबसे बेहतर होता है न्यायोचित कदम उठाना और सबसे बुरा होता है कुछ न करना।"
>
> — थियोडोर रूजवेल्ट

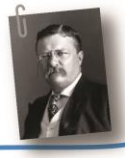

7.2. स्टार्ट-अप्स में नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Ethical Corporate Governance in Startups)

परिचय

ध्यातव्य है कि हाल के दिनों में, ऐसे कुछ अवसर आए हैं जिन्होंने कई स्टार्ट-अप्स में निम्नस्तरीय आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को उजागर किया है। साथ ही, उनकी कुछ ऐसे विवादों में संलग्नता भी जगजाहिर हुई है जिन्हें टाला जा सकता था, जैसे कि भारत-पे का मामला। इन मुद्दों से, नए युग की कंपनियों में **नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों/ सिद्धांतों** को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वास्तविक रूप में तब परिलक्षित होता है, जब ये नियम, प्रथाएं और प्रक्रियाएं **नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों** द्वारा संचालित होती हैं, तथा जिनका उद्देश्य दक्षता/ प्रभाविता को सुनिश्चित करना हो। इसमें **जवाबदेही, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व** आदि के सिद्धांत शामिल हैं।

प्रमुख हितधारक और स्टार्ट-अप्स से जुड़े उनके हित

संस्थापक और उद्यमी	नवाचार को प्रोत्साहित करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी अपने विजन को साकार करना।
निवेशक	निवेश किए गए धन से प्रतिफल प्राप्त करना।
निदेशक मंडल	शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना और कंपनी की दीर्घकालिक सफलता तथा संधारणीयता सुनिश्चित करना।
कर्मचारी	रोजगार की सुरक्षा, उचित मुआवजा, करियर का विकास और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल।
ग्राहक	कंपनी से वैल्यू फॉर मनी, संतुष्टि और विश्वास की अपेक्षा करना।
विनियामक प्राधिकरण	यह सुनिश्चित करना कि स्टार्टअप उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, बाजार की अखंडता बनाए रखने और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए संबंधित उद्योग के लिए निर्धारित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें।
स्थानीय समुदाय और समाज	स्टार्ट-अप्स से जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार, नैतिक व्यवहार और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान की अपेक्षा करना।

स्टार्ट-अप्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित शासन) से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **लेखांकन संबंधी मुद्दे:** जवाबदेही और निरीक्षण संबंधी प्रभावी तंत्र के अभाव में निवेशकों, कर्मचारियों या अन्य हितधारकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान करने में स्टार्ट-अप विफल रहते हैं।
- प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग कर **डेटा संबंधी धोखाधड़ी** और डेटा लीक को छिपाने के लिए अधिकारियों को गुमराह करने जैसे मुद्दे।
- यथोचित नियंत्रण व्यवस्था की कमी के कारण **खराब स्व-अनुपालन।**
- **सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा:** स्टार्ट-अप्स अक्सर अपनी गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देने और उनका शमन करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए- कुछ स्टार्ट-अप्स द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हुई आगजनी की घटनाएं।
- **अनैतिक भर्ती प्रथाओं में संलग्न होना** यानी अनैतिक तरीकों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धियों के कर्मचारियों को अपने पक्ष में लुभाना या उचित मुआवजा और विकास के अवसर प्रदान करने में विफल होना।

संभावित समाधान

- **जवाबदेही:** कंपनी प्रबंधन को, कंपनी के **कार्यों और आचरण को समझाने और कारण बताने के दायित्व** का पालन करना चाहिए।
- **उत्तरदायित्व:** कंपनी की ओर से प्रदत्त शक्तियों के प्रति **निदेशक मंडल/ निवेशकों** को पूर्ण रूप से जवाबदेह या उत्तरदायी होना चाहिए और **अधिकार का प्रयोग करना** चाहिए।
- **पारदर्शिता:** हितधारकों को **कंपनी की गतिविधियों**, भावी योजनाओं और **सुशासन** के हिस्से के रूप में अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में शामिल किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करना चाहिए।
- **निष्पक्षता:** प्रबंधन द्वारा विकसित और कार्यान्वित निगमित रणनीति को दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर केन्द्रित होना चाहिए। इसे **समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से किया जाना चाहिए**। साथ ही, निवेशकों को **कंपनी की वित्तीय और व्यावसायिक सुदृढ़ता** और **जोखिमों** का आकलन करने में मदद करना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** प्रबंधन को निर्णय लेने की दिशा में, कंपनी से संबद्ध सभी घटकों के हितों पर विचार करना चाहिए, जिसके अंतर्गत इन्हें शामिल किया जा सकता है:
  - **कर्मचारी**, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और समाज जैसे हितधारक, और
  - दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए **पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संधारणीयता को ध्यान में रखना।**
- **नेतृत्व: नैतिक कार्य संस्कृति** को सुदृढ़ बनाने के लिए स्टार्टअप के शीर्ष अधिकारियों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कंपनी की सत्यनिष्ठा और कानून के अनुपालन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पता चल सके।

- **अन्य हितधारकों के दायित्व:**
  - **सरकार:** निगमित अभिशासन अथवा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों के लिए **सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की एक संहिता को** विकसित और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनके मुताबिक नैतिक कार्यप्रणालियों को संहिताबद्ध (अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए) किया जाना चाहिए।
  - **नागरिक:**नैतिक रूप से अधिक जवाबदेह उत्पादों को चुनना।

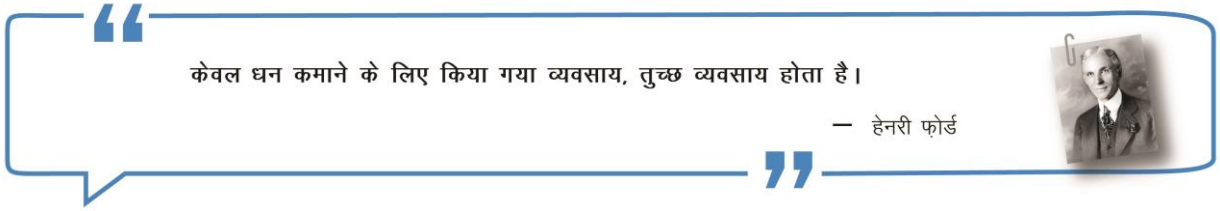

7.3. फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम की नैतिकता (Ethics of Pharmaceutical Ecosystem)

परिचय

"फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FMRAI) ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दवा विनिर्माताओं ने दवा के रूप में **डोलो-650** का सुझाव देने हेतु चिकित्सकों को 1,000 करोड़ रुपये तक के उपहार दिए हैं।"

ऐसी कई सूचनाएं सामने आई हैं जहां फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अक्सर डॉक्टर्स को रिश्वत और प्रलोभन दिया जाता है। इस मुद्दे ने फार्मा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच की सांठगांठ तथा फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम में "लाभ कमाने के एजेंडा" के प्रभुत्व को उजागर किया है।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

अनुसंधान और निर्माण सहित कोर फार्मा उद्योग	फार्मा उद्योग का उद्देश्य **मनुष्यों को रोगों से बचाने के लिए उपचार उपलब्ध कराना** है। हालांकि यह प्रयास काफी हद तक **इससे मिलने वाले आर्थिक लाभ से प्रेरित** है।
फार्मेसी (थोक और खुदरा दोनों स्तर पर)	फार्मेसी इस इकोसिस्टम में **चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य करती है।
चिकित्सक और अस्पताल	चिकित्सकों और अस्पतालों का लक्ष्य क्रमशः **रोगियों को सर्वोत्तम संभव निदान और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना** है।
मरीज	मरीज स्वास्थ्य-प्रणाली से **उचित और वहनीय मूल्य पर सर्वोत्तम संभव देखभाल** की अपेक्षा करते हैं।
विनियामक संस्थाएं	**सभी हितधारकों के हितों के बीच संतुलन** स्थापित करना हुए यह सुनिश्चित करना है कि **मरीजों को प्रदान की जाने वाली देखभाल सेवाएं सुरक्षित, सुलभ और सस्ती** हों।

फार्मास्यूटिक्स इकोसिस्टम में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

- **नैदानिक अनुसंधान में नैतिकता सुनिश्चित करना:** दवाओं को बाज़ार में लाने से पहले, **जानवरों और मनुष्यों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन में ट्रायल में भाग ले रहे जानवरों और मनुष्यों पर किए गए परीक्षण के लाभों तथा जोखिमों का सही मूल्यांकन एवं चिकित्सा विज्ञान में उन्नति करने के लक्ष्य के मध्य** नैतिक दुविधा विद्यमान है।
- **रोगियों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता:** फार्मास्यूटिक्स इकोसिस्टम दवाओं की निर्माण प्रक्रियाओं और उनके दुष्प्रभावों के बारे में रोगियों को सक्रिय रूप से जानकारी प्रदान नहीं करता है।
- **वहनीयता की कीमत पर अधिकतम लाभार्जन:** ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब लाभ को बढ़ाने के लिए दवाओं का उच्च-मूल्य निर्धारण किया गया है। साथ ही, कुछ दवा कंपनियां जेनेरिक दवाओं (जो अधिक सस्ती हैं) को डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन के दायरे से बाहर करने के लिए **'फ्रीबीज़'** का उपयोग एक साधन के रूप में करती हैं।
- **एवरग्रीनिंग प्रथाएं:** कंपनियां दवाओं पर अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए पेटेंट नियमों और मामूली बदलाव जैसे तरीकों का उपयोग करती हैं।

- **प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग:** दवा कंपनियां डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने वाले प्रेस्क्रिप्शंस की जानकारी को फार्मेसीज़ से खरीद लेती हैं। कंपनियां अपने बिक्री लक्ष्यों और अन्य मार्केटिंग गतिविधियों में कुछ विशिष्ट डॉक्टरों को लक्षित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग करती हैं।

संभावित समाधान

- **फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए आचार संहिता:** फार्मेसियों को सरकार बनाई गई "'फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता (UCPMP)[11]" का पालन करना चाहिए।
- **नैतिकता को चिकित्सा नीति का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए।** ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक नैतिकता के साथ संसाधनों के आवंटन और वितरण पर जोर देकर किया जा सकता है। साथ ही, चिकित्सा के क्षेत्र में शोषण के दुष्चक्र को तोड़ना भी आवश्यक होगा।
- प्रशिक्षण की सहायता से **स्पष्ट संचार स्थापित** करना चाहिए। सूचनाओं की निर्बाध उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए और सहमति की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।
- प्रासंगिक **विनियमों और नियमों को मजबूती से लागू करके** रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जागरूकता पैदा करके और अस्वीकार्य व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर **चिकित्सकों के अधिकारों तथा रोगियों के दायित्वों के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाना** चाहिए।
- चिकित्सा में **प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार की भूमिका** को शामिल किया जाना चाहिए।

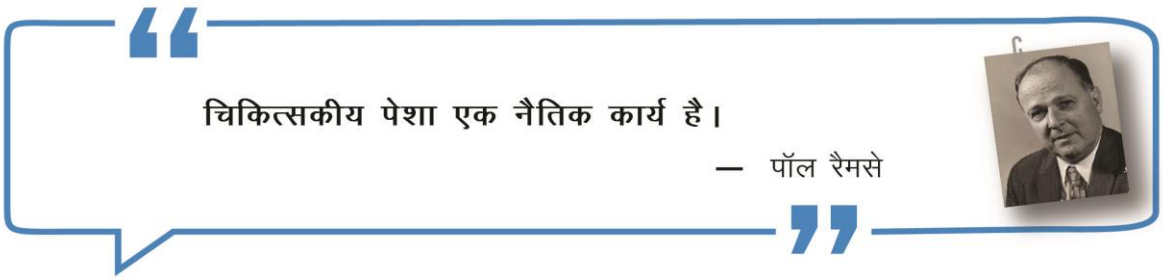

7.4. नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials)

परिचय

हाल ही में, **"भारत में नैदानिक परीक्षण के अवसर[12]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसे यू.एस.ए. इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स (USAIC) और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (PwC) इंडिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत में नैदानिक परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है।** यह **वैश्विक प्रणालियों के अनुरूप किए गए कई प्रमुख विनियामकीय सुधारों के कारण** हुआ है। साथ ही, इससे सभी के लिए भारत में नैदानिक परीक्षण की उपलब्धता भी संभव हुई है।

इसके अलावा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ-साथ देश की विविधतापूर्ण आबादी, नैदानिक परीक्षण की गतिविधियों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

[11] Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices

[12] Clinical Trial opportunities in India

प्रमुख हितधारक और उनके हित

नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी	• रोगी को अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किए जा रहे अनुसंधान के बारे में रोगी को पूर्ण जानकारी हो और वह इसमें स्वेच्छा से भाग ले। • उचित आकलन के बाद अनुसंधान-संबंधी नुकसान के लिए मुआवजा। • रोगी की निजता और गोपनीयता को अनुसंधान दल द्वारा सुरक्षित रखना।
प्रायोजक (Sponsors)	• अनुसंधान से होने वाले लाभ प्रासंगिक व्यक्तियों, समुदायों और आबादी के लिए सतत उपलब्धता के साथ **पोस्ट रिसर्च एक्सेस और लाभ साझाकरण।** • प्रायोजकों को प्रतिभागियों के बीच अनुसंधान संबंधी लाभों और जिम्मेदारियों के समान वितरण (वितरणात्मक न्याय/ Distributive Justice) को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने चाहिए।
शोधकर्ता और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता	• शोधकर्ताओं को केवल तभी मानव प्रतिभागियों को शामिल करना चाहिए जब प्रस्तावित अनुसंधान के लिए ऐसा करना अंतिम उपाय हो। • शोध के सभी चरणों में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की रक्षा के लिए शोधकर्ताओं को जिम्मेदार माना गया है। • स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण में भाग लेने वाले सभी रोगियों के साथ नैतिक व्यवहार को बनाए रखना चाहिए।
विनियामकीय एजेंसी	• अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों की तुलना में प्रासंगिक व लाभकारी हो। • अनुसंधान योजना में **पारदर्शिता और जवाबदेही** तथा परिणामों को सुलभ तरीके से जनता के लिए उपलब्ध कराना।
समाज	• अनुसंधान से होने वाले लाभ समाज के संबंधित हिस्सों तक पहुंच योग्य होने चाहिए।

नैदानिक परीक्षण से जुड़े मुद्दे

- **रोगी को सूचित करने और उसकी सहमति लेने में पारदर्शिता का अभाव:** विशेष रूप से कम साक्षर लोगों के लिए सहमति पत्र (Consent forms) की जटिल भाषा को समझना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** कुछ शोधकर्ता और प्रायोजक अधिक लाभ कमाने तथा इस उद्देश्य हेतु परीक्षणों में तेजी लाने के क्रम में नियमों व दिशा-निर्देशों की उपेक्षा करते हैं।
  - कई बार प्रायोजकों, शोधकर्ताओं, विनियामकों और नैतिकता समितियों के बीच सांठ-गांठ के कारण नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
- **जानबूझकर कर लाचार लोगों को टार्गेट करना:** अक्सर कमजोर वित्तीय स्थितियों में रहने वाले लोग अनैतिक नैदानिक परीक्षणों के लिए आसान टार्गेट बन जाते हैं।
- **मुआवजा:** नैदानिक परीक्षण के असफल होने की स्थिति में प्रतिभागी कभी-कभी मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि कई बार पैसा पाने के लालच में भी लोग झूठी जानकारी देकर परीक्षण में शामिल हो जाते हैं।
- **स्टेम सेल अनुसंधान:** चिकित्सकीय नजरिये से मानव स्टेम सेल काफी महत्त्व रखता है। इसके बावजूद, इसे विशेष रूप से मानव भ्रूण से प्राप्त करने को लेकर नैतिक चिंताएं बनी हुई हैं।
- **नवजात शिशुओं पर ड्रग परीक्षण:** नवजात शिशुओं से जुड़ी नैतिक चुनौतियों में शामिल हैं:
  - नवजात शिशुओं की सुभेद्यता,
  - अधिक मृत्यु दर,
  - रोग का उच्च जोखिम, तथा
  - माता-पिता की सहमति प्राप्त करने से जुड़ी कठिनाइयां

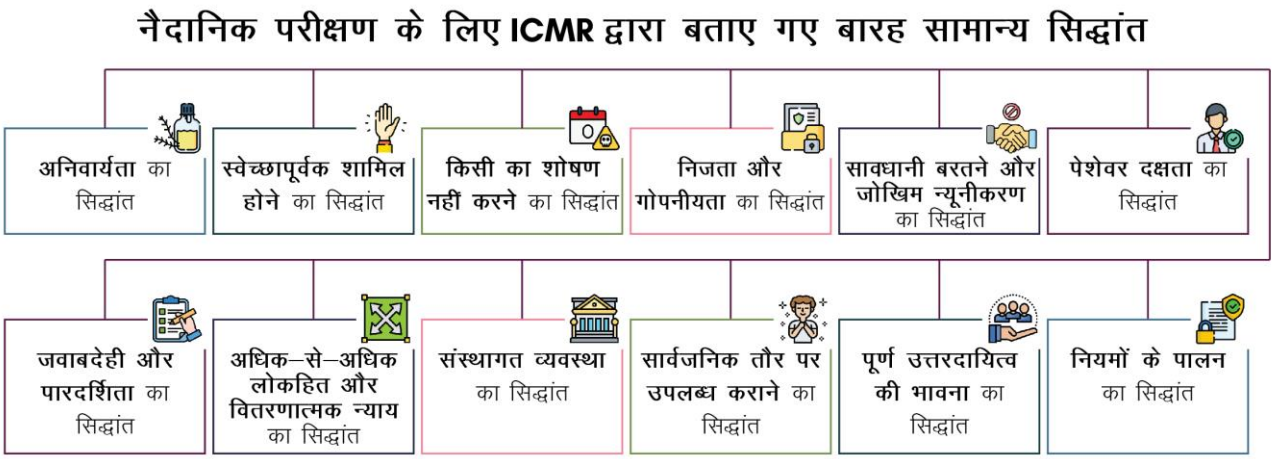

संभावित समाधान

- **विनियामकीय अनुमोदन:** नैदानिक परीक्षणों से जुड़े नियमों के पालन और उनकी समीक्षा के लिए अनिवार्य की गयी नई प्रक्रियाओं के कारण मंजूरी मिलने की गति धीमी हुई है। इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **नैदानिक परीक्षणों के लिए रोगियों का नामांकन:** यह इन्वेस्टिगेटर साइट्स अर्थात् नैदानिक परीक्षणों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और रोगियों की इच्छा पर निर्भर करती है। अतः इन्वेस्टिगेटर साइट्स से जुड़ी वृद्धि रोगियों के नामांकन को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- **गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करना:** निम्नलिखित नैतिक मुद्दों को समझने के लिए संस्थागत नैतिकता समितियों (ECs) को अध्ययन और इस संबंध में आवश्यक प्रयास करना चाहिए। इस तरह के नैतिक मुद्दों में शामिल हैं:
  - मानव संरक्षण,
  - स्वतंत्र निर्णय लेना,
  - हितों के टकराव से निपटना,
  - सुरक्षा रिपोर्ट और मुआवजे की समीक्षा करना, तथा
  - नैदानिक परीक्षण प्रक्रिया की निगरानी करना इत्यादि।
- **नैतिक नैदानिक परीक्षणों के संबंध में शिक्षित करना:** अनेक हितधारकों को नैतिक नैदानिक परीक्षण प्रथाओं के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें शामिल हैं:
  - CDSO पदाधिकारी,
  - संस्थागत नैतिकता समितियों (IEC) के सदस्य,
  - शिक्षाविद,
  - अनुबंधित अनुसंधान संगठन (CRO), और
  - उद्योग के पेशेवर।
- **परीक्षण के दौरान होने वाले मौत या चोट के लिए मुआवजा:** परीक्षण के दौरान होने वाली मृत्यु या क्षति के मामले में जांच करवाने, उपचार और संबंधित खर्चों को बीमा कवरेज में शामिल किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां

नियंत्रित दशाओं में मानव पर संक्रमण का अध्ययन (Controlled Human Infection Studies: CHIS) या ह्यूमन चैलेंज स्टडीज

- **सुर्ख़ियों में क्यों?**
  - भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की बायोएथिक्स यूनिट ने भारत में CHIS से संबंधित नैतिक आचरण के लिए एक सर्वसम्मति आधारित नीतिगत विवरण तैयार किया है।

- **यह क्या है?**
  - CHIS अर्थात् ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में स्वेच्छा से शामिल किसी स्वस्थ व्यक्ति (वॉलेंटियर्स) को अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में रोग पैदा करने वाले रोगाणु से संक्रमित करवाया जाता है। इसके जरिए मनुष्यों में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में रोगजनन (Pathogenesis), संचरण, रोकथाम और उपचार संबंधी मौजूदा समझ को और बेहतर किया जाता है।
- **यह एक नैतिक मुद्दा क्यों है?**
  - इसके तहत स्वेच्छा से शामिल किसी स्वस्थ व्यक्ति को रोगजनकों से संक्रमित किया जाता है जो एक प्रकार से हिप्पोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन कहलाता है। साथ ही, यह चिकित्सकों के लिए प्रतिपादित "डू नो हार्म" की नैतिक संहिता का उल्लंघन भी है।

> चिकित्सा प्रणाली विज्ञान एवं कला और अनुसंधान एवं रचनात्मकता का बेमिसाल गठजोड़ है।
>
> — ग्राहम–पोल जूनियर

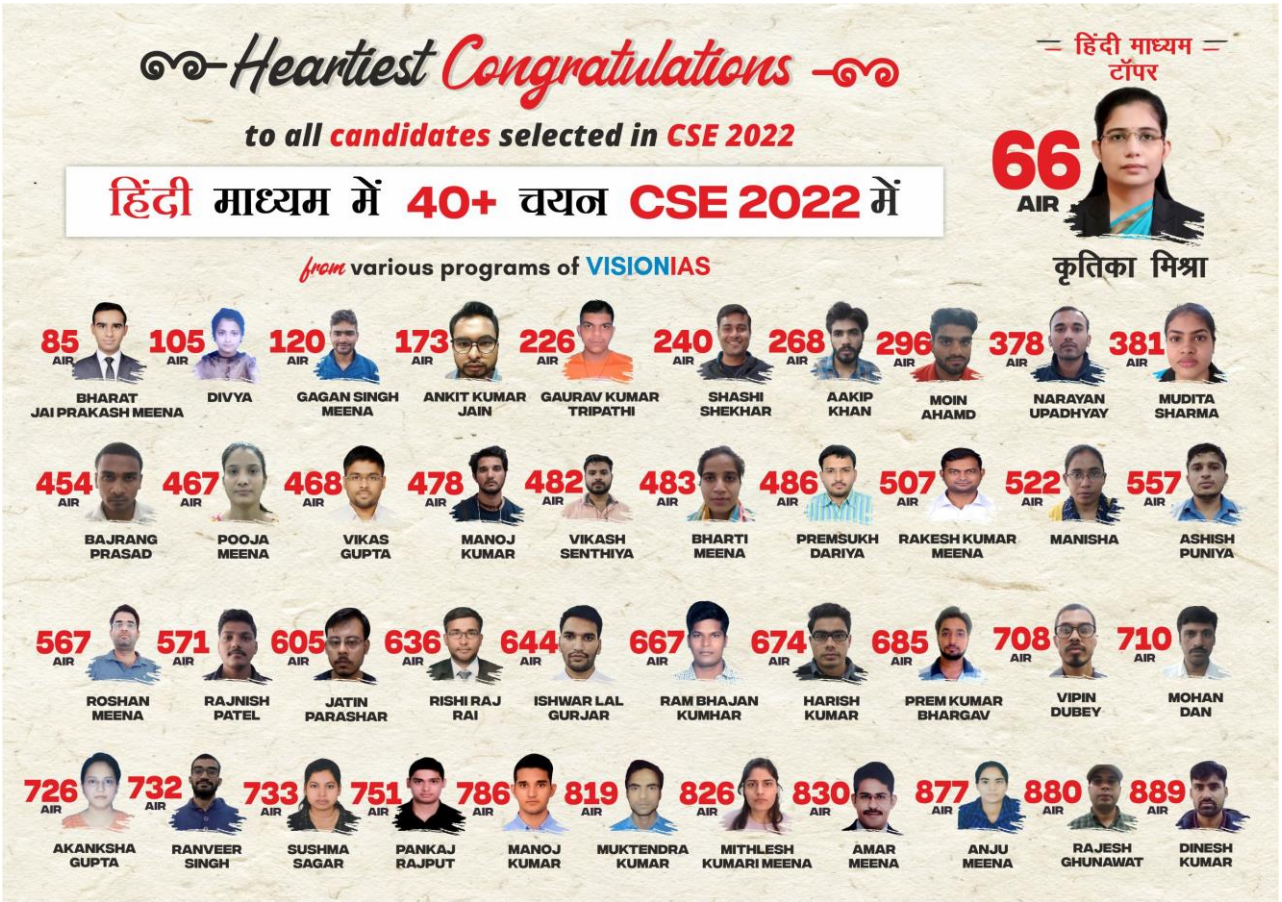

परिशिष्ट (Appendix): सिविल सेवाओं के लिए योग्यता संबंधी ढांचा (Competency Framework For Civil Services)

परिशिष्टः सिविल सेवाओं के लिए योग्यता संबंधी ढांचा

▶यह ढांचा मूल रूप से उन योग्यताओं/ पात्रताओं का एक संग्रह है, जिसे किसी सिविल सेवक के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है। साथ ही, समय के साथ इन योग्यताओं/ पात्रताओं का सामूहिक प्रयोग सुशासन की प्राप्ति को संभव बनाता है।

सुशासन की विशेषताएं

जवाबदेही	पारदर्शिता	भागीदारी	सर्वसम्मति आधारित
समानता और समावेशन	विधि के शासन का पालन	प्रभावशीलता और दक्षता	

भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता ढांचे से संबंधित 4 स्तंभ

लोकाचार
नागरिक केंद्रित प्रवृत्ति को अपनाना और समावेशिता को प्रदर्शित करना, सार्वजनिक कल्याण एवं राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों को बढ़ावा देना।

नैतिकता
सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, खुलापन और निष्पक्षता प्रदर्शित करना।

समता
सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सभी के लिए न्याय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना।

दक्षता/ क्षमता
परिचालन उत्कृष्टता और मौद्रिक मूल्य को बढ़ावा देना, मानव पूंजी का प्रबंधन एवं क्षमता विकास में सहयोग करना।

1. लोकाचार (Ethos)

जन केंद्रित	▶हाशिए पर मौजूद और वंचित लोगों की विशेष देखभाल के लिए तत्परता के साथ लोगों की सेवा करना। ▶लोगों के साथ अंतः क्रिया के दौरान मिलनसार, स्नेहपूर्ण, देखभाल का रवैया अपनाना और पूर्वाग्रह से ऊपर उठना। ▶लोगों की जरूरतों को समझना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना।
रणनीतिक सोच	▶बदलते आंतरिक और बाह्य परिवेश एवं उसके प्रभाव को समझने की क्षमता। ▶समाज की बेहतरी के लिए अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना।
संगठनात्मक जागरूकता	▶संगठन के अधिदेश (मैंडेट), संरचना, नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और अन्य संगठनों के साथ इसके संबंधों की समझ हेतु प्रयास करना। इसमें संगठन की अनौपचारिक संरचनाओं, एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करना और बाधाओं की समझ भी शामिल है।

संगठन के प्रति प्रतिबद्धता	▶ व्यवहार और रुचियों को संगठनों की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
नेतृत्व करना	▶ टीम को संलग्न करने, ऊर्जावान बनाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनने की क्षमता अर्जित करना।

2. नैतिकता (Ethics)

सत्यनिष्ठा	▶ सदैव खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना और सार्वजनिक सेवा मूल्यों को बनाए रखने के लिए काम करना।
आत्मविश्वास/ स्वयं पर भरोसा	▶ किसी कार्य को पूरा करने संबंधी अपनी क्षमता पर विश्वास करना और अहंकार या घमंड किए बिना आत्मविश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में समर्थ बनना।
बारीकियों पर ध्यान देना	▶ सटीक और सतर्क बने रहने के साथ–साथ प्रक्रियाओं, नियमों, दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुपालन हेतु एक अंतर्निहित प्रेरणा को बनाए रखना। ▶ गहन आकलन करना और अनिश्चितताओं एवं त्रुटियों को कम करने का प्रयास करना।
जवाबदेही लेना	▶ प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष और त्वरित समाधान प्रस्तुत करते हुए परिणामों (सफलताओं या विफलताओं) की जबाबदेही लेना।

3. न्यायसंगतता/ निष्पक्षता (Equity)

परामर्श एवं आम सहमति	▶ हितधारकों और प्रभावशाली लोगों की पहचान करने तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से उनके विचारों को जानने और समस्याओं का पता लगाने में समर्थ होना। ▶ संवाद, अनुनय, विविध विचारों/ रुचियों में ताल–मेल और भरोसेमंद संबंधों के माध्यम से आम सहमति विकसित करना।
निर्णय लेना	▶ प्रासंगिक तथ्यों, कार्यों, लक्ष्यों, बाधाओं, जोखिम और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए समय पर निर्णय लेना।
समानुभूति	▶ समानुभूति का तात्पर्य दूसरों के विचारों, भावनाओं और चिंताओं को सटीकता के साथ सुनने और समझने में सक्षम होने से है, भले ही इन्हें स्पष्टता रूप से व्यक्त नहीं किया गया हो।
प्रत्यायोजन	▶ उचित स्तर की स्वायत्तता सुनिश्चित कर जिम्मेदारियों को प्रत्यायोजित करना ताकि अन्य लोग स्वतंत्र तरीके से नवाचार करने और नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें।

4. दक्षता / क्षमता (Efficiency)

परिणाम उन्मुख	▶ लक्ष्यों को प्राप्त करने और उत्कृष्टता के मानक के अनुरूप कार्य निष्पादन की प्रबल इच्छा बनाए रखना।
सैद्धांतिक / व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करना	▶ अलग–अलग घटकों को एक साथ रखकर किसी स्थिति या माहौल को समझना और उन पैटर्न की पहचान करना जो स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं हैं। रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर विभिन्न पहलुओं को एकीकृत कर समझना।
पहल और प्रयास	▶ पद से अपेक्षित कर्तव्य से अधिक योगदान देने हेतु तत्पर रहना। ▶ चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरना और नए अवसरों की तलाश करना।
जानकारी एकत्रित करना	▶ व्यवहार और रुचियों को संगठनों की आवश्यकताओं और लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
नियोजन एवं समन्वय	▶ जन, धन और समय जैसे संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ कार्य योजना बनाने, प्रबंधन करने और निगरानी करने की क्षमता विकसित करना।
ज्ञान अर्जित करने की इच्छा	▶ प्रासंगिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ स्वयं को अपडेट करना, नवीनतम विकास को दूसरों के साथ साझा करना तथा अर्जित ज्ञान के उपयोग का समर्थन करना।
अभिनव सोच	▶ बदलाव के लिए तैयार रहना, मुद्दों को अलग ढंग से समझना, वैकल्पिक समाधान उपलब्ध करना / आउट ऑफ बॉक्स समाधान पेश करना और स्मार्ट तरीके से काम करके दक्षता के लिए प्रयासरत रहना।
समस्या को सुलझाना	▶ किसी स्थिति को छोटे–छोटे घटकों में तोड़कर समझना, सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
दूसरों के विकास में सहयोग करना	▶ वास्तव में दूसरों की क्षमताओं में विश्वास करना तथा उनके क्षमता विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। ▶ सीखने के लिए एक सकारात्मक परिवेश सृजित करना तथा व्यक्ति एवं टीम के लिए विकासात्मक अवसर प्रदान करना।
आत्म–जागरूकता और आत्म–नियंत्रण	▶ व्यक्तिगत भावनात्मक आवेग की पहचान करना और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। ▶ उकसाए जाने, प्रतिकूल स्थिति या अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों में काम करते समय पेशेवर रवैया अपनाना और भावनात्मक संयम की भावना को बनाए रखना। इसमें दीर्घकालिक प्रतिकूलताओं की मौजूदगी के बावजूद लचीलापन और सहनशक्ति का प्रदर्शन शामिल है।
संचार कौशल	▶ दूसरों को ऐसी भाषा में जानकारी प्रदान करना जो स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान हो। इसमें दूसरों की अनकही भावनाओं और चिंताओं को सुनने तथा समझने की क्षमता भी शामिल है।
एक टीम के रूप में कार्य	▶ साझा लक्ष्यों के लिए साथ मिलकर एक इकाई के रूप में काम करना, आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग के आधार पर टीमों का गठन करना।

VISIONIAS

DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024

DAKSHA MAINS MENTORING PROGRAM 2024

(A Strategic Revision, Practice, and Enrichment Mentoring Program for Mains Examination 2024)

Daksha Mains Mentoring Programme 2024 is a comprehensive and personalized mentoring program that adopts an **outcome-oriented and strategic approach to help** students aspiring to excel in the UPSC Mains Examination -2024.

The Programme adopts an innovative model where students will receive continuous support and guidance from senior mentors, helping students identify and improve upon their foundation skills, building knowledge and skill levels, and growth areas.

Further, the Mentor will help students develop analytical skills, critical thinking abilities, effective answer writing skills, and clarity of thought and expressions which are much needed to succeed in the Mains examination.

Daksha empowers students to transform their abilities into competencies through rigorous practice, continuous assessment, and expert guidance which instill confidence among students to emerge victorious in the UPSC Mains examination.

Scan the QR Code to Register

FEATURES OF THE PROGRAMME

Targeted Revision and Consolidation

- Covering static and dynamic part for Mains examination in a stimulated manner
- Development of analytical skills by establishing cross-linkages across the syllabus.
- Preparation strategies for current affairs and its integration with static syllabus

Development of Advanced Answer Writing Skills

- Analyzing the evolving demand of UPSC Mains papers
- Foundational skill assessment through the Baseline Analysis Test
- Need-based interventions to improve answer writing skills
- Gaining valuable insights from topper's answer writing approaches
- Emphasis on answer enrichment in GS subjects
- Live answer writing practice and discussion sessions

Continuous Performance Assessment and Feedback

- Performance and progress tracking through Daksha Mains Practice Test
- Detailed one-to-one feedback sessions on answer-scripts
- Subject specific smart interventions for performance maximization

Dedicated Support and Motivation

- Resolution of student queries through regular one-to-one session
- Providing platform to students for discussion and engage in peer-learning
- Multi-platform support through telephonic, email, and in-person interaction
- Providing motivation and psychological support during mains preparation

ONLINE | DELHI | JAIPUR | HYDERABAD | PUNE | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI | RANCHI | PRAYAGRAJ | BHOPAL

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor,
Near Gate 6, Karol Bagh
Metro Station
DELHI

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar,
New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर